भारतीय समाज में महिलाओं का बदलता परिदृश्य

डॉ. अखिलेश शुक्ल

भारतीय समाज में महिलाओं का बदलता परिदृश्य

भारतीय समाज में महिलाओं का बदलता परिदृश्य

डॉ. अखिलेश शुक्ल
ऑनरेरी सम्पादक
पं. गोविन्द वल्लभ पंत एवार्ड तथा
प्रतिष्ठित भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एवार्ड से सम्मानित
प्राध्यापक, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, नैक 'ए' ग्रेड

सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा
म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1973 के अंतर्गत पंजीकृत
पंजीयन क्रमांक 1802, सन् 1997

ISBN- 978- 81- 87364 84-9

रिसर्च जरनल का वार्षिक विशेषांक

ISSN 0973-3914

Research Journal of Social & Life Sciences
Peer-Reviewed Research Journal
UGC Journal Old No.40942, Impact Factor 5.125 IIFS
Indexed & Listed at: Ulrich's International Periodicals Directory©, ProQuest, U.S.A (Title Id: 715205)
(An Official Journal of Centre for Research Studies, Rewa, M.P, India)
Registered under M. P. Society Registration Act, 1973 Reg. No. 1802

भारतीय समाज में महिलाओं का बदलता परिदृश्य

©सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा

प्रथम संस्करण : 2022

₹ 500.00

प्रकाशक
गायत्री पब्लिकेशन्स
186/1 लिटिल बैम्बिनोज स्कूल कैम्पस
विन्ध्य विहार कॉलोनी
पड़रा, रीवा (म.प्र.) 486001
फोन : 7974781746

E-mail- researchjournal97@gmail.com
researchjournal.journal@gmail.com
www.researchjournal.in

लेजर कम्पोजिंग - प्रेम ग्राफिक्स
रीवा- 486001 (म.प्र.)

मुद्रक: ग्लोरी ऑफसेट
नागपुर

पुस्तक में प्रस्तुत किये गये विचार और तथ्य लेखकों के हैं, जिनके विषय में सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, सम्पादक मण्डल, प्रकाशक तथा मुद्रक उत्तरदायी नहीं हैं। पुस्तक के सम्पादन एवं प्रकाशन में पूर्ण सावधानी रखी गई है, किन्तु किसी त्रुटि के लिए सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, सम्पादक मण्डल, प्रकाशक तथा मुद्रक उत्तरदायी नहीं हैं। सम्पादन का कार्य अव्यावसायिक और ऑनरेरी है। सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र, रीवा जिला रीवा (म.प्र.) रहेगा।

आमुख

समाज की मूलभूत और सबसे महत्वपूर्ण इकाई प्रारंभ से परिवार ही रहा है। देश के सशक्तिकरण एवं विकास के लिए सबसे पहले परिवार जैसी बुनियादी संस्थाओं के नैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आयामों पर हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। समाज के विकास के लिए परिवार का संतुलित विकास अति महत्वपूर्ण है। अतः हमें यदि देश का संपूर्ण एवं संतुलित विकास करना है तो हमें परिवार नामक बुनियादी संस्था पर सबसे ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम परिवार में पुत्र और पुत्री के बीच कोई भी भेदभाव ना करें और यह हम अपने पुत्रों को आवश्यक रूप से समझाएं और उनके क्रियाकलापों में शामिल भी करवाएं। आज भी पुरानी मान्यता के जो लोग हैं, उनका यह मानना है कि औरत को कोई आजादी नहीं मिल सकती, वह अकेले कहीं नहीं जा सकती हैं, वह अकेले कहीं घूम-फिर नहीं सकती है, लेकिन इन मूल्यों को आज का युवा मानने से इनकार करता है।

कुछ लोग यह भी कहते हैं कि मकान में जो महत्वपूर्ण स्थान दीवालों का का होता है, समाज में वही महत्व लड़कों की शिक्षा का है। लेकिन घर बनता कैसे है? घर के आधार में कौन हैं? घर के आधार में हमारी पुत्रियां हैं, हमारी लड़कियां हैं, अर्थात उनका संबंध जड़ से है। समाज में अगर हमारी जड़ ही कमजोर हो गई तो हमारा घर या मकान बिल्कुल मजबूत नहीं हो सकता है। इस सामाजिक संदर्भ को यथार्थ में समझने की आवश्यकता है।

पक्षपात की हद तो तब हो जाती है जब छोटे छोटे कार्यों में हमें भेदभाव दिखता है। कुछ लोगों ख्याल है कि लड़की पराया धन होती है, उसे कौन सी नौकरी करनी है। इसलिए कुछ मां-बाप लड़के और लड़की में भेदभाव करते हैं और यह भेदभाव हमारे व्यवहार में खिलाने-पिलाने में पहनाने-उढ़ाने में भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है। यह सरासर अन्याय है। ईश्वर ने लड़के और लड़कियों को एक जैसा मस्तिष्क दिया है और आज लड़कियां बेहतर परिणाम लाकर यह सिद्ध भी कर रही है।

लड़कियां तो मां-बाप के घर कुछ ही दिन रहती है, इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम उनके शिक्षा-दीक्षा, पालन-पोषण पर गहराई से ध्यान दें, तभी हम एक सशक्त समाज की संकल्पना को पूरा कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें हमारे बच्चों का ट्रस्टी बनाया है इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम पूरे न्याय के साथ सभी सदस्यों के साथ समान व्यवहार करें क्योंकि लड़के और लड़कियों दोनों में एक जैसी शक्ति है, एक ही आत्मा है। अतः हमें उन्हें विकास का समान अवसर दिया जाना चाहिए।

महिला सशक्तिकरण का मूलभूत उद्देश्य महिलाओं का विकास और उनमें आत्मविश्वास का संचार करना है। महिला सशक्तिकरण समाज के संपूर्ण

विकास के लिए महत्वपूर्ण है। महिलाओं का सशक्तिकरण सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक प्रघटना है, क्योंकि वे रचनाकार होती हैं। अगर आप उन्हें सशक्त करें, उन्हें शक्तिशाली बनाएं, प्रोत्साहित करें, यह समाज के लिए बेहतर है। महिला और पुरूष सृष्टि निर्माण और मानव समाज के आधार हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक है। ये जीवन रूपी रथ के ऐसे पहिये हैं जिनसे जीवन-यात्रा सुचारू रूप से संचालित होती है। परिवार और समाज में स्थायित्व के लिए दोनों की ही भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण रही हैं। किसी समाज में परिवर्तन और विकास का आधार पुरूषों और महिलाओं के पारस्परिक मेल-जोल, कदम से कदम मिलाकर चलने और दोनों की समान गतिशीलता पर ही निर्भर है। किसी भी एक पक्ष के पिछड़ने पर सामाजिक जीवन में अराजक स्थिति निर्मित होती है। मानव जाति का इतिहास इसका साक्षी है कि जहाँ महिलाओं की उपेक्षा की गई है, वहाँ समाज का विकास अवरूद्ध हुआ है। सृष्टि की रचना, बच्चों की शिक्षा, परिवार की परवरिश के रूप में महिला की भूमिका पुरूष से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होने से समाज रचना में उसकी स्थिति केन्द्रीय हो जाती है। अतः स्त्रियों की उन्नति के बिना मानव जाति और समाज का उत्थान नहीं हो सकता। जहाँ तक भारत का संबंध है ''यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता'' अर्थात् जहाँ महिलाओं की पूजा होती है। वहां देवताओं का वास होता है। इस आदर्श के साथ कोई भी भारतीय स्त्री पश्चिमी स्त्री की तुलना में गौरव का अनुभव कर सकती हैं। विद्या का आदर्श सरस्वती में,धन का आदर्श लक्ष्मी में, पराक्रम का आदर्श दुर्गा में, पवित्रता का आदर्श गंगा में, यहाँ तक कि सृष्टि सृजन का आदर्श जगद् जननी के रूप में हमें केवल भारत में ही देखने को मिलता हैं।

डॉ. अखिलेश शुक्ल
सम्पादक

अनुक्रमणिका

01.	भारतीय समाज में कोरोना का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव **डॉ. अखिलेश शुक्ल**	09
02.	महिला सशक्तिकरण का समाजशास्त्रीय अध्ययन (शहडोल जिले के विशेष संदर्भ में) **डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय**	22
03.	महिला सशक्तिकरण के आयाम **डॉ. संध्या शुक्ला**	30
04.	भारतीय समाज में महिलाओं का बदलता परिदृश्य **डॉ. सीमा श्रीवास्तव**	38
05.	समाज में महिलाओं की समस्याएँ तथा महिला सशक्तीकरण **डॉ. कंचन मसराम**	46
06.	कार्यशील महिलाओं की समस्याएं **पुष्पा सिंह**	53
07.	पंचायती राज में अनुसूचित महिला का नेतृत्व एवं राजनीति सहभागिता **शिखा पाण्डेय**	59
08	मध्य प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान **गायत्री देवी** **आर. पी. गुप्ता**	67
09	आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भूमिका **निशा सिंह**	79
10	स्वामी विवेकानन्द की दृष्टि में नारी के आदर्श प्रतिमान **ऋचा मिश्रा**	83
11	महिला सशक्तिकरण में लैंगिक समानता एक चुनौती **रेशमा देवी** **डॉ. पी.के. शर्मा**	89

12.	परिवर्तित परिदृश्य: सिंगल मदर्स समस्याओं के बावजूद एक सफल अभिभावकत्व **श्रीमती ज्योति बाला चौबे** **डॉ. रूपम अजीत यादव**	96
13.	भारत में महिला विकास वर्तमान अवस्थिति एवं सुझाव **डॉ. मीना कुमारी**	101
14.	स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान **श्रीमती मंजरी अवस्थी**	109
15.	भारतीय महिलाओं के शोषण की उत्थानकारी बुन्देली चितेरी: कामिनी बघेल **राज कुमार सिंह**	116

महिला सशक्तिकरण का सामाजिक संदर्भ

• अखिलेश शुक्ल

समाज की मूलभूत और सबसे महत्वपूर्ण इकाई प्रारंभ से परिवार ही रहा है। देश के सशक्तिकरण एवं विकास के लिए सबसे पहले परिवार जैसी बुनियादी संस्थाओं के नैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आयामों पर हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। समाज के विकास के लिए परिवार का संतुलित विकास अति महत्वपूर्ण है। अतः हमें यदि देश का संपूर्ण एवं संतुलित विकास करना है तो हमें परिवार नामक बुनियादी संस्था पर सबसे ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम परिवार में पुत्र और पुत्री के बीच कोई भी भेदभाव ना करें और यह हम अपने पुत्रों को आवश्यक रूप से समझाएं और उनके क्रियाकलापों में शामिल भी करवाएं। आज भी पुरानी मान्यता के जो लोग हैं, उनका यह मानना है कि औरत को कोई आजादी नहीं मिल सकती, वह अकेले कहीं नहीं जा सकती हैं, वह अकेले कहीं घूम-फिर नहीं सकती हैं, लेकिन इन मूल्यों को आज का युवा मानने से इनकार करता है।

कुछ लोग यह भी कहते हैं कि मकान में जो महत्वपूर्ण स्थान दीवालों का का होता है, समाज में वही महत्व लड़कों की शिक्षा का है। लेकिन घर बनता कैसे है? घर के आधार में कौन हैं? घर के आधार में हमारी पुत्रियां हैं, हमारी लड़कियां हैं, अर्थात उनका संबंध जड़ से है। समाज में अगर हमारी जड़ ही कमजोर हो गई तो हमारा घर या मकान बिल्कुल मजबूत नहीं हो सकता है। इस सामाजिक संदर्भ को यथार्थ में समझने की आवश्यकता है।

पक्षपात की हद तो तब हो जाती है जब छोटे छोटे कार्यों में हमें भेदभाव दिखता है। कुछ लोगों ख्याल है कि लड़की पराया धन होती है, उसे कौन सी नौकरी करनी है। इसलिए कुछ मां-बाप लड़के और लड़की में भेदभाव करते हैं और यह भेदभाव हमारे व्यवहार में खिलाने-पिलाने में पहनाने-उढ़ाने में भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है। यह सरासर अन्याय है।

• प्राध्यापक, समाजशास्त्र, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

ईश्वर ने लड़के और लड़कियों को एक जैसा मस्तिष्क दिया है और आज लड़कियां बेहतर परिणाम लाकर यह सिद्ध भी कर रही है।

लड़कियां तो मां-बाप के घर कुछ ही दिन रहती है, इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम उनके शिक्षा-दीक्षा, पालन-पोषण पर गहराई से ध्यान दें, तभी हम एक सशक्त समाज की संकल्पना को पूरा कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें हमारे बच्चों का ट्रस्टी बनाया है इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम पूरे न्याय के साथ सभी सदस्यों के साथ समान व्यवहार करें क्योंकि लड़के और लड़कियों दोनों में एक जैसी शक्ति है, एक ही आत्मा है। अतः हमें उन्हें विकास का समान अवसर दिया जाना चाहिए।

महिला सशक्तिकरण का मूलभूत उद्देश्य महिलाओं का विकास और उनमें आत्मविश्वास का संचार करना हैं। महिला सशक्तिकरण समाज के संपूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण है। महिलाओं का सशक्तिकरण सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक प्रघटना है, क्योंकि वे रचनाकार होती हैं। अगर आप उन्हें सशक्त करें, उन्हें शक्तिशाली बनाएं, प्रोत्साहित करें, यह समाज के लिए बेहतर है। महिला और पुरूष सृष्टि निर्माण और मानव समाज के आधार हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक है। ये जीवन रूपी रथ के ऐसे पहिये हैं जिनसे जीवन-यात्रा सुचारू रूप से संचालित होती है। परिवार और समाज में स्थायित्व के लिए दोनों की ही भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण रही हैं। किसी समाज में परिवर्तन और विकास का आधार पुरूषों और महिलाओं के पारस्परिक मेल-जोल, कदम से कदम मिलाकर चलने और दोनों की समान गतिशीलता पर ही निर्भर है। किसी भी एक पक्ष के पिछड़ने पर सामाजिक जीवन में अराजक स्थिति निर्मित होती है। मानव जाति का इतिहास इसका साक्षी हैं कि जहाँ महिलाओं की उपेक्षा की गई है, वहाँ समाज का विकास अवरूद्व हुआ है। सृष्टि की रचना, बच्चों की शिक्षा, परिवार की परवरिश के रूप में महिला की भूमिका पुरूष से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होने से समाज रचना में उसकी स्थिति केन्द्रीय हो जाती है। अतः स्त्रियों की उन्नति के बिना मानव जाति और समाज का उत्थान नहीं हो सकता। जहाँ तक भारत का संबंध हैं ''यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता'' अर्थात् जहाँ महिलाओं की पूजा होती है। वहां देवताओं का वास होता है। इस आदर्श के साथ कोई भी भारतीय स्त्री पश्चिमी स्त्री की तुलना

में गौरव का अनुभव कर सकती हैं। विद्या का आदर्श सरस्वती में,धन का आदर्श लक्ष्मी में, पराक्रम का आदर्श दुर्गा में, पवित्रता का आदर्श गंगा में, यहाँ तक कि सृष्टि सृजन का आदर्श जगद् जननी के रूप में हमें केवल भारत में ही देखने को मिलता हैं।

वैदिक युग की विदूषियों, विश्वबारा लोपा, घोषमुद्रा और इन्द्राणी के बाद सीता,सुलभा, सावित्री और मंडन मिश्र की पत्नी शारदा की भूमिकाएँ, स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना लक्ष्मी बाई, विश्व राजनीति में विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, इन्दिरा गांधी की ख्याति, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, प्रशासनिक सेवाओं तथा उद्योगों में स्त्रियों की वर्तमान उपलब्धियाँ, यहां तक कि पुरूषों के अनुकूल माने जाने वाले पुलिस जैसे विभाग में किरण बेदी, आशा गोपालन, चित्रा मुद्गल, कंवलजीत देयोल जैसी स्त्रियाँ प्रशासनिक क्षमता और सूझमूझ का परिचय दे रही हैं।

यह तथ्य निर्विवाद है कि भारतीय महिलाएँ किसी भी दृष्टि से पुरूषों से कम नहीं हैं। इतिहास के प्रारंभिक समय में उन्हें पुरूषों से कम नहीं माना गया। मध्य काल और विदेशी शासनकाल में उनकी स्थिति दोयम दर्जे की हो गई। उन्हें पूर्णतः पुरूषों पर निर्भर बना दिया गया। यहाँ तक कि उन्हें पुरूषों की दासी एवं जूती कहकर संबोधित किया गया तथा उनके नागरिक एवं सार्वजनिक अधिकार छीनकर उन्हें घर की चहारदीवारी में बंद कर दिया गया। इस सबका परिणाय यह निकला कि आबादी का लगभग आधा हिस्सा सदियों तक परनिर्भरता और दासता का शिकार होकर निष्क्रिय बनाकर अशिक्षा, अज्ञानता और गरीबी के ऐसे चंगुल में फँस गया कि अभी तक इससे निजात पाना कठिन हो रहा है। स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात् ''नारी उत्थान'' और ''महिला सशक्तिकरण'' के लिए किए जाने वाले प्रयास नगरों तक ही सीमित रह गए है। ग्रामीण महिलायों की अशिक्षा और अज्ञानता के कारण ही न तो जनसंख्या की समस्या हल हो रही है, न ही भावी पीढ़ी का सही मार्गदर्शन संभव हो पा रहा है। नवाचार, ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति ग्रामीण महिलाओं को जागरूक बनाए बिना नहीं हो सकती।

महिला सशक्तिकरण की शुरूआत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस से मानी जा सकती है। मैक्सिको में महिला दिवस का आरम्भ करते हुये राष्ट्रसंघ के महासचिव डॉ. कुर्त वाल्दहाईन ने कहा था, महिलाओं के प्रति भेद भाव की नीति उतनी ही गम्भीर समस्या है, जितनी की अनाज की कमी और बढ़ती हुई जन संख्या। महिला सशक्तिकरण की पहल 1985 में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन नैरोबी में की गई थी। वास्तव में यदि विचार किया जाए तो महिला सशक्तिकरण का सामान्य सा अर्थ निकलता हैं कि महिला को शक्ति सम्पन्न बनाना। परन्तु व्यापकता इसका अर्थ बड़ा ही गूढ़ है। सशक्तिकरण का अभिप्रय सत्ता प्रतिष्ठानों में महिलाओं की साझेदारी से हैं। निर्णय लेने की क्षमता सशक्तिकरण का एक बड़ा मानक हैं। महिला सशक्तिकरण उन्हें नये क्षितिज दिखाने का प्रयास हैं, जिससे ये नई क्षमताओं को प्राप्त कर स्वयं को नये तरीके से देखेंगी, घरेलू शक्ति सम्बन्धों का बेहतर समायोजन करेंगी और घर एवं बाह्य परिवेश में स्वायत्तता की अनुभूति करेंगी। सशक्तिकरण का अर्थ हैं कि किसी कार्य को करने की क्षमता। महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं को पुरूषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायत्तता से हैं । भारत में महिला सशक्तिकरण का प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक दशा को सुधारना है।

महिलायें सदैव हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पारिवारिक व्यवस्थाओं का आधार रही हैं। आज की परिस्थितियों में जीवन के हर क्षेत्र में उनका योगदान बढ़ रहा हैं। सभी महिलायें कर्मशील होती है, परन्तु उनके द्वारा किये गये कार्य को मुद्रा में नही मापा जाता। यही कारण है कि किसी भी प्रदेश की कुल आय में महिलाओं की आय नगण्य हैं। इसका दूसरा कारण यह भी है कि अधिकतर महिलायें असंगठित क्षेत्रों में कार्य करती हैं। परिणामस्वरूप उनके द्वारा अर्जित आय कुल सकल आय में दिख नहीं पाती। इसलिए यह आवश्यक हैं कि महिलाओं के कार्यक्षेत्र को संगठित किया जाये और यह सुनिश्चित किया जाये की उनके द्वारा अर्जित आय उन्हें ही प्राप्त हो। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के दायित्व और जीवन सन्दर्भ

भी बदले हैं, ऐसे में आज महिला-पुरूष के बीच की असमानता को मिटाकर उन्हें आगे लाने की जिम्मेदारी हम सबकी है।

महिला सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम-

महिलाओं के विकास के बिना देश और समाज का विकास अधूरा है। इसीलिए सरकार ने बच्चियों के सशक्तिकरण और विकास के लिए सुकन्या समृद्धि योजना और कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं की शुरुआत की है। किसी भी समाज के विकास का सीधा सम्बन्ध उस समाज की महिलाओं के विकास से जुड़ा होता है। महिलाओं के विकास के बिना व्यक्ति, परिवार और समाज के विकास की कल्पना भी नही की जा सकती है। महिलाओं के विकास के लिए सरकार ने कुछ योजनाओं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना आदि की शुरुआत की है। महिला सशक्तिकरण के लिए बनाई गई योजनाएं निम्नलिखित हैं-

1. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम-

- बालिकाओं के अस्तित्व, संरक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 22 जनवरी, 2015 को पानीपत, हरियाणा में इस कार्यक्रम की शुरूआत की गई थी।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य लड़कियों के गिरते लिंगानुपात के मुद्दे के प्रति लोगों को जागरूक करना है।
- इस कार्यक्रम का समग्र लक्ष्य लिंग के आधार पर लड़का और लड़की में होने वाले भेदभाव को रोकने के साथ साथ प्रत्येक बालिका की सुरक्षा, शिक्षा और समाज में स्वीकृति सुनिश्चित करना हैद्य

2. किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (सबला)

- केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम की शुरूआत 1 अप्रैल, 2011 को की गई थी।
- इस कार्यक्रम को 'महिला एवं बाल विकास मंत्रालय' की देख-रेख में चलाया जा रहा है।

- इस कार्यक्रम के तहत भारत के 200 जिलों से चयनित 11–18 आयु वर्ग की किशोरियों की देखभाल 'समेकित बाल विकास परियोजना' के अंतर्गत की जा रही है, इस कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को 11–15 और 15–18 साल के दो समूहों में विभाजित किया गया है।
- इस योजना के तहत प्राप्त होने वाले लाभों को दो समूहों में विभाजित किया गया है। (1) पोषण (11–15 वर्ष तक की लड़कियों को पका हुआ खाना दिया जाता है) (2) गैर पोषण (15–18 वर्ष तक की लड़कियों को आयरन की गोलियां सहित अन्य दवाइयां मिलती हैं)

3. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना-

- यह मातृत्व लाभ कार्यक्रम 28 अक्टूबर, 2010 को शुरू किया गया था।
- इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 19 साल या उससे अधिक उम्र की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले दो बच्चों के जन्म तक वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- इस कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा नवजात शिशु और स्तनपान कराने वाली माताओं की बेहतर देखभाल के लिए दो किस्तों में 6000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- यह कार्यक्रम 'महिला एवं बाल विकास मंत्रालय' द्वारा चलाया जा रहा है।

4. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना-

- इस योजना का शुभारम्भ 2004 में किया गया था।
- यह योजना वर्ष 2004 से उन सभी पिछड़े क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है जहाँ ग्रामीण महिला साक्षरता की दर राष्ट्रीय स्तर से कम हो।
- इस योजना में केंद्र व राज्य सरकारें क्रमश 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत खर्च का योगदान करेंगे।
- इस योजना का मुख्य लक्ष्य 75 प्रतिशत अनुसूचित

जाति/जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं तथा 25 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार की बच्चियों का दाखिला कराना है।

- योजना में मुख्य रूप से ऐसी बालिकाओं पर ध्यान देना जो विद्यालय से बाहर हैं तथा जिनकी उम्र 10 वर्ष से ऊपर है।

5. प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजना

- इस योजना की शुरुआत प्रधामंत्री मोदी द्वारा 1 मई 2016 को की गई थी।
- इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन मिलेंगे।
- योजना का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और उनकी सेहत की सुरक्षा करना है।
- इस योजना के माध्यम से सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाले जीवाश्म ईंधन की जगह एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा देकर पर्यावरण को स्वच्छ रखने में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना चाहती है।

6. स्वाधार घर योजना

- इस योजना को 2001-02 में शुरू किया गया था।
- इस योजना को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से चलाया जा रहा है।
- इस योजना का उद्देश्य वेश्यावृत्ति से मुक्त महिलाओं, रिहा कैदी, विधवाओं, तस्करी से पीड़ित महिलाओं, प्राकृतिक आपदाओं, मानसिक रूप से विकलांग और बेसहारा महिलाओं के पुनर्वास की व्यवस्था करना है।
- इस योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं के भोजन और आश्रय, तलाक शुदा महिलाओं को कानूनी परामर्श, चिकित्सा सुविधाओं और महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।
- इस योजना के माध्यम से महिलाओं को अपना जीवन फिर से

शुरू करने के लिए शारीरिक और मानसिक मजबूती प्रदान की जाती है ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें।

7. महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम

- इस योजना की शुरुआत 1986-87 में एक केन्द्रीय योजना के रूप में की गयी थी।
- इस योजना को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से चलाया जा रहा है।
- योजना का मुख्य उद्येश्य महिलाओं का कौशल विकास कराकर उनको इस लायक बनाना है कि वे स्व-रोजगार या उद्यमी बनने का हुनर प्राप्त कर सकें।
- इस योजना का मुख्य लक्ष्य 16 वर्ष या उससे अधिक की लड़कियों/महिलाओं का कौशल विकास करना है।
- इस योजना के तहत अनुदान सीधे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को न देकर संस्था/संगठन यहाँ तक कि गैर सरकारी संगठन को सीधे ही पहुँचाया जाता है।

उपर्युक्त योजनाओं के माध्यम से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि सरकार महिलाओं के समग्र विकास के लिए हर तरह के प्रयास काफी लम्बे समय से करती आ रही है और यही कारण है कि आज समाज में महिलाओं की भूमिकाओं में बहुत तरह के बदलाव भी दिखायी देने लगे हैं। आज शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पर महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज ना करायी हो। महिलाओं के लिए यह योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। महिलाएं इन योजनाओं का लाभ लेकर अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर सकतीं है। इन योजनाओं के कारण महिलाएं केवल आत्मनिर्भर ही नहीं बनती बल्कि, सभी क्षेत्रों में अच्छी तरह से कार्य करके सफलता प्राप्त करती है और अपने तथा अपने परिवार के जीवन को सुखद बना सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं में जागरूकता लाई जाए तो अधिक से अधिक महिलाएं इन योजनाओं का लाभ ले सके।

महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए गैर-सरकारी प्रयास- महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित होकर ब्रिटिश या परतंत्र भारत में महिलाओं ने विभिन्न

संस्थाओं के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य किया है। भारतीय महिलाओं ने शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर होकर कई संस्थाओं के द्वारा महिला उत्थान के लिए कार्य किया। उन्होंने स्त्रियों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक दृष्टि में विकास के लिए सभी को सचेत एवं जागरूक किया। स्वतंत्रता के पश्चात कई गैर-सरकारी संगठनों के प्रयास के फलस्वरूप गरीब और अशिक्षित स्त्रियों को कानूनी अधिकारों हेतु आत्मनिर्भरशीलता के लाभ-संबंधी जानकारी के संबंध में जन जागरूकता फैलाई जाए। गैर सरकारी संगठन सरकार के सहयोग के द्वारा ही कार्य करती हैं। गैर-सरकारी संगठनों को सार्वजनिक समर्थन के द्वारा नागरिक एवं सार्वजनिक समाज के बीच मजबूत हुए संबंध संयुक्त कार्यवाही के लिए नए अवसर प्रदान करते हैं। इन सब महिला संगठनों ने प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, वैषयिक शिक्षा केंद्र, सिलाई केंद्र, कार्यशील महिला आवास, वृद्धाओं के लिए घर, उपेक्षितों के लिए घर आदि की व्यवस्था की 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कई राष्ट्रीय स्तर की महिला संस्था कार्यरत थीं जिनका विवरण इस प्रकार है-

1.अखिल भारतीय महिला सम्मेलन (ए.आई.डब्ल्यू.सी.)- सन 1927 में मागरिट बहिनों एवं अन्य के प्रयासों के द्वारा अखिल भारतीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया। यह बाद में एक संस्था के रूप में कार्य करने लगी। यह संस्था समस्त राज्यों को प्रतिनिधित्व करने वाली वृहत संस्था है। महारानी माया राज सिंधिया के अध्यक्षता में इसका पहला अधिवेशन पुने में 1927 को आयोजित हुआ था। इसके अंतर्गत राज्य स्तर पर स्त्रियों की विभिन्न समस्याओं के संबंध में विचार किया जाता है एवं सरकार के समक्ष महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास किया जाता है। इस संस्था का कार्य भारत वर्ष में फैले 500 शाखाओं तक है। वर्तमान मे शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए, मानसिक रूप से अक्षम लोगों के लिए विद्यालय, परिवार योजना, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, छापाखाना, कार्यशील महिला आवास, कामकाजी स्त्रियों को प्रशिक्षण, वृद्धाओं के लिए वृद्धाश्रम आदि कार्यों में यह संस्था संलग्न है।

2.भारतीय महिला संगठन (डब्ल्यू.आई.ए.)- सन 1917 को मद्रास में अनी बेसेन्ट, डोरोथी जिनजरादास एवं मार्गारिट बहिनों के द्वारा इस संगठन

को स्थापित किया गया। यह स्त्रियों प्रथम संगठन है, जिसने सभी स्तर के स्त्रियों को एक साथ लाने का प्रयास किया। इसका लक्ष्य पुरुष और स्त्रियों के लिए समान अधिकार सभी स्त्रियों के लिए शिक्षा, बाल विवाह व अन्य सामाजिक व्याक्तियों पर रोक, राजनीतिक दृष्टि से स्त्रियों के अधिकार, स्त्रियों की आत्मनिर्भर बनाना आदि है।

3.भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद (एन.सी.डब्ल्यू. आई)- यह परिषद 1926 में स्थापित हुई जिसकी संस्थापिका लेडी अम्बरडीन, लेडी टाटा तथा बंबई प्रांत की अन्य महिलाएँ थीं। इस संगठन के साथ बंबई प्रांतीय महिला परिषद, कलकत्ता प्रांतीय सेवा लीग तथा बिहार, बंगाल की अन्य प्रांतीय परिषदों ने हिस्सा लिया था। वे सभी कार्यों में शामिल होती थी।

4.राज्यस्तर के गैर-सरकारी संगठन- महिला विकास में स्वैच्छिक संगठन महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। जन सहयोग के अभाव में अधिकांश विकास योजनाएँ अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर पाती हैं, अत: ये स्वैच्छिक समूह प्रशासन एवं जनता के मध्य दूरी को कम करते हैं और जन सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त ये स्वैच्छिक समूह महिला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जागरूकता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

स्वाधीना (www.shadhina.org.in)- इस गैर-सरकारी संस्था का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण है। यह संस्था अशिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता, स्वास्थ्य, आर्थिक शोषण जैसे मुद्दों को लेकर स्त्रियों को सशक्त बनाती है। विशेषत: इनका लक्ष्य आदिवासी एवं पिछड़े वर्ग की महिलाएँ हैं। स्वाधीना अभी झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं तमिलनाडु जैसे राज्यों के 52 ग्रामीण इकाई में कार्यरत है।

स्त्री आधार केंद्र - (www.stree adharkendra-org) यह स्त्रियों की सहायता के लिए एक गैर सरकारी संस्था है। इसकी आरंभ शुरुआत अस्सी दशक के प्रारंभ में महाराष्ट्र में हुआ। स्त्रियों को घरेलू हिंसा, और अन्यान्य समस्याओं से लढ़ने तथा क्षमता विकास के लिए यह संस्था कार्यरत है।

स्व-रोजगार प्राप्त महिला संघ (अहमदाबाद सेवा)- स्व-रोजगार प्राप्त महिला संघ सन 1972 को महिला इस संघ की स्थापना टेक्साटाइल मजदूर संघ, के महिला इकाई द्वारा हुई। यह स्त्रियों में सहकारिता उत्पादन

और वितरण के महत्व लेकर आई। जिसके कारण कोई बिचौलिया उनका लाभ न ले सके। स्त्रियों सशक्त बनाने हेतु सेवा बैंक की भी स्थापना की गई ताकि स्व-रोजगार प्राप्त महिलाओं को कम रेट पर ऋण उपलब्ध करावाया जा सके। इससे बहुत अधिक मात्रा में महिलाएँ लाभान्वित हुई। यह गुजुरात में बानसकंठा जिले में अपना काम कर रहा है। यह जिला, राज्य के उत्तरी भाग में सूखा क्षेत्र है। इस क्षेत्र के लोग प्राकृतिक आपदाओं, स्थायी निर्धनता और अनपढ़ता से घोर रूप से प्रभावित हैं। इस क्षेत्र में उच्च मृत्यु दर देखी गई है और सूखे के दिनों में लाभप्रद रोजगार की खोज में अन्य क्षेत्रों में जाकर बसना पड़ता है। सेवा ने इन्हें एकजुट करते हुए क्षेत्र में स्त्रियों को संगठित करने का प्रयास किया है।

बानसकठा महिला संघ (बी डब्ल्यू ए)- बानसकठा महिला संघ (बी डब्ल्यू ए) स्त्रियों का ग्राम स्तर के उत्पादकों के समूहों का परिसंघ है जिसे सेवा के सहयोग से गठित किया गया है। बी. डब्ल्यू.ए. स्त्रियों को ऋण समूहों का गठन करने में सहायता करता है।

कामकाजी महिला संघ (डब्ल्यू.डब्ल्यू. एफ)- कामकाजी महिला संघ (डब्ल्यू.डब्ल्यू. एफ) का गठन 1978 में मद्रास में किया गया था कि जो कि मद्रास झोपड़पट्टी समुदायों में निर्धन स्त्रियों की सहभागितापरक आवश्यक निर्धारण का परिणाम था। तभी से यह असंगठित क्षेत्र में कार्यरत निर्धनतम और उपेक्षित स्त्रियों को एकजुट करता आ रहा है। ये महिलाएँ साख सहकारियों और एकता के माध्यम से डब्ल्यू.डब्ल्यू. एफ. द्वारा संगठित की जा रही हैं। इसके हस्तक्षेप के कारण अब हजारों महिलाएँ साहुकारों और अन्य मध्यस्थों की जकड़ से छुट गई है और अब उन पर निर्भर नहीं हैं। इस तरह महिलाएँ बचत करने, परिसंपत्तियों सृजित करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने योग्य में बन पाई हैं।

इन सबके अलावा देश भर में कई गैर सरकारी संगठन हैं जो महिला सशक्तिकरण का कार्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कर रही है। कुछ ऐसी संगठनों के नाम इस प्रकार हैं- स्वरोजगार प्राप्त महिला संघ, अहमदाबाद, अन्नपूर्णा महिला मंडल, मुंबई, आन्ध्र महिला सभा, मद्रास, महिला अभ्युदय संस्था, आंध्र प्रदेश महिला संगम, अन्वेषी (हाइद्रावाद), महिला समाजम, केरल आदि अनेक संस्थाएँ नारी उत्थान व उन्हें सक्षम बनाने हेतु प्रयासरत हैं।

वास्तविकता तो यह है कि जब तक निर्णय प्रक्रिया में सम्पूर्ण मानव आबादी के इस आधे भाग की आवाज नहीं सुनी जायेगी, हमारी निर्वाचित संस्थाओं व कार्यपालिका की निष्पक्षताा पर प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। वस्तुतः समाजीकरण की निश्चित प्रकार की प्रक्रिया तथा विविध सामाजिक दबावों के कारण औसत भारतीय महिला इन क्षेत्रों में स्थान प्राप्त करने में स्वयं को अक्षम महसूस करती हैं। महिला सशक्तिकरण हेतु अत्यन्त आवश्यक हैं कि प्रशासनिक संरचना के प्रत्येक स्तर पर महिलाओं की गुणात्मक व साथ ही संख्यात्मक सहभागिता भी अनिवार्य रूप से हो। शक्ति संरचना महिलाओं की सहभागिता को सुनिश्चित करना, उन्हें समानता दिलाने या उनके आनुपातिक व विस्तृत सामाजिक मुद्दों को, महिलाओं व समाज के सन्दर्भ में समझने का प्रयास भी होगा। एक न्यायोचित व मानवीय सामाजिक व्यवस्था के निर्माण हेतु हमें महिलाओं की सहभागिता के महत्व को समझना होगा। वस्तुतः महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण स्वयं में एक उदेश्य ही नहीं बल्कि असमानता पर आधरित व्यवस्था में प्रभावशाली परिवर्तन के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन भी माना जा सकता हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. डॉ.लावनियां, एम.एस. (2016) भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर
2. कुमार केवल जे. (1997) मांस कम्युनिकेशन इन इंडियां जैको पब्लिशिंग मुंबई
3. डॉ. शुषमा हुक्कू: स्त्री पुरुष समानता कैसे? जागृति म.प्र. शैक्षणिक परिषद भोपाल 2003 पृष्ठ 25
4. कुरुक्षेत्र: इंदिरा राजाराम ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी महिलाएं मई 2007 पृष्ठ 29
5. इंडियां टूडे सुखदेव थोराट' गुणवत्ता का प्रश्न अक्टूबर 2007 पृष्ठ 17
6. रामकरन (2014) मीडियां एवं महिला विकास डॉ. एम.एन. सिंह (सं) आधुनिक समाजशास्त्रीय निबंध, विवेक प्रकाशन जवाहर नगर दिल्ली।
7. Mahajan, A. (1990), 'Instigators of Wife Battering (ed.) in Sushma Sood, *Violence against Women',* Arihant Publishers, Jaipur.
8. Mahajan, A. and Madhurima (1995), '*Family Violence and Abuse in India',* Deep and Deep Publications, New Delhi.

9. Menon, Nivedita (1999), '*Gender and Politics in India',* Oxford University Press, New Delhi.
10. Mohammad, Noor (1990), 'Battered Wives: A Study of Socially and Economically Backward People of Slum Area, (ed.) in Leelamma Devasia and V.V. Devasia, *Female Criminals and Female Victims, Datt Sons, Nagpur.*
11. Omvedt, Gail (1986), *Violence against Women: New Movements and New Theories in India*, Kali for Women, New Delhi.
12. Pandey and Upadhyay (1990), *Women in India- Past and Present.* Chugh Publications, Allahabad.
13. Pillai, Suma (2001), 'Domestic Violence in New Zealand: An Asian Immigrant Perspective, *Economic and Political Weekly,* Vol. XXXVI (ii), pp. 965-974.
14. Visaria, Leela (2000), Violence against Women: A Field Study. *Economic and Political Weekly,* Vol. 35(20), pp. 1742-1751.

महिला सशक्तिकरण का समाजशास्त्रीय अध्ययन (शहडोल जिले के विशेष संदर्भ में)

• डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय

महिलाओं में ऐसी शक्ति प्रवाह होना, जिससे वे अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सके। परिवार एवं समाज में सम्मानपूर्वक रह सके। समाज में उनके वास्तविक अधिकार के प्राप्त करने के लिए सक्षम होना ही महिला सशक्तिकरण है। अन्य शब्दों में महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार लाने से है। जिससे कि उन्हें शिक्षा रोजगार आर्थिक तरक्की के बराबरी के मौके प्राप्त हो सके या समान अधिकार हो सके। इससे महिलाओं के सामाजिक स्वतंत्रता और तरक्की प्राप्त हो सकें।[1]

प्राचीन काल से ही हमारे देश में महिलाओं का स्थान समाज में पुरूषो के बराबरी का था। इसी संदर्भ में हमारे प्राचीन आचार्य मनु का कहना था कि 'यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमन्ते तत्र देवता' अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता का निवास करते है। मुगल शासनकाल में महिलाओं की दशा एवं दिशा समाज मे कमी आई। जिससे समाज की महिलाओं में बात विवाह की प्रथा शुरूआत होने के कारण से अशिक्षा व आर्थिक परतंत्रता आदि कई सामाजिक बुराइयों की शुरूआत हो गयी। ब्रिटिश शासन काल में भी महिलाओं की स्थिति में कोई खास सुधार नही हुआ, किन्तु सती प्रथा आदि का अंत किया गया।[2]

19 वीं सदीं मे महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में शुरूआत हुई। इस काल को महिलाओं का पुर्नजागरण काल कहा जाय तो अतिशयोक्ति नही होगी क्योंकि इस काल में अनेक, सुधारवादी व्यक्तित्व सक्रिय हुए हैं। बंगाल में राजाराम मोहनराय ने जहाँ सती प्रथा के खिलाफ मुहिम चलाया। दूसरे क्रम में ईश्वर चन्द्र विद्यासागर एवं गुजरात में दयानन्द सरस्वती ने स्त्री शिक्षा एवं विधवा विवाह जैसे सामाजिक कुरीरियों के

• विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र शास. नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बुढार (शहडोल)

समाप्त करने के लिए मुहिम चलाकर, महिला उत्कर्ष की दिशा में यह एक सराहनीय विशिष्ट प्रयास था। इसके कारण महिलाओं में एक नई चेतना जागृत की चिनगारी उत्पन्न हो गयी और आज आग के रूप में प्रज्जवल हो गयी है। शिक्षा के संबंध में कहा गया है कि 'दस पुरूषो की तुलना में एक महिला को शिक्षित करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक महिला को शिक्षित करने से एक परिवार शिक्षित होता है।'[3]

केन्द्रीय सरकार ने महिलाओं की सृजनात्मक शक्ति को स्वीकार करते हुए महिला शक्ति संपन्नता के अपनी योजनाओं का मुख्य लक्ष्य तथा आधार बनाया है। महिलाओं के अधिकारों शिक्षा व रोजगार से संबंधित क्षेत्रों में कुछ दशकों के दौरान उल्लेखनीय प्रगति हुई है। महिलाओं के सशक्त बनाने के लिए निम्नांकित योजनाएं केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जा रही हैं[4]–

1. बालिका संवृद्धि योजना,
2. राष्ट्रीय महिला कोष
3. स्वशक्ति परियोजना,
4. स्त्री शक्ति पुरस्कार
5. महिलाओं हेतु रोजगार सह–आयोत्पादक एकक स्थापित करना।
6. महिलाओं हेतु प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता।
7. महिलाओं पर अत्याचारों की रोकथाम हेतु शिक्षात्मक कार्य
8. बच्चों हेतु देखभाल केन्द्र सहित कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास भवनों का निर्माण एवं विस्तार
9. महिलाओं तथा बच्चों हेतु कृत्यक बल (टास्क फोर्स) का गठन
10. राष्ट्रीय महिला आयोग
11. इन्दिरा महिला योजना

घरेलू हिंसा को सहन करना महिलाओं की सबसे बड़ी मजबूरी आर्थिक स्वतंत्रता न होना है। इसके अन्य कारण भी हैं जैसे अशिक्षा, पति का नशा करना, जुआ खेलना, दहेज की माँग करना आदि। घरेलू हिंसा का महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ता है जो मुख्यत: निम्न हो सकते हैं–

- शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक आदि तरह से क्षय महिलाओं के व्यक्तित्व को कुठाराघात करता है।
- महिलाओं के निर्णय लेने की क्षमता में कमी के साथ–साथ दृढ़

संकल्प को कमजोर बना देता है।

- घरेलू हिंसा से महिलाओं में वेश्वावृत्ति की प्रवृत्ति को बढ़ाती है।
- घर व समाज में महिलाओं की सम्मान में कमी आती है।
- महिलाओं के अन्दर डर व भय समा जाने से मानसिक रोगी हो जाती है या सम्भावना रहती है।5

घरेलू हिंसा रोकने के उपाय - घरेलू हिंसा रोकने के उपाय निम्नलिखित हैं[6] –

- कड़े कानून बनाये व बने हुए कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करना।
- घर व परिवार के बुजुर्गों द्वारा लड़के व लड़कियों में कार्य का बँटवारा न करना तथा लिंग भेद आधारित कार्य को विभाजित न करना।
- शिक्षा से घरेलू हिंसा से संबंधित व्यवस्थित बातचीत से कमी या समाप्त कर सकते हैं।
- महिलाओं (बालिकाओं) को उचित शिक्षा व प्रशिक्षण देकर, आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना।
- घरेलू हिंसा दूर करने के लिए सभी थानों में एक प्रशिक्षित महिला पुलिस की भर्ती होनी चाहिए।
- देश में शराब की बिक्री बन्द कर देनी चाहिए आदि।

महिला सशक्तिकरण के कुछ उदाहरण[7] -

- सरोजनी नायडू संयुक्त प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी।
- सन् 1951 में डेक्कन एयरवेज की प्रेम माथुर प्रथम भारतीय महिला व्यावसायिक पायलट बनी।
- सन् 1959 में अन्ना चाण्डी केरल उच्च न्यायालय की पहली महिला जज बनी।
- सन् 1963 में सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री उत्तरप्रदेश की बनी।
- सन् 1966 में कमलादेवी चट्टोपाध्याय के समुदाय नेतृत्व के लिए रेमन मैम्सेसे अवार्ड दिया गया।
- सन् 1966 में इंदिरा गाँधी भारत की पहली प्रधानमंत्री बनी।
- सन् 1972 में किरण वेदी भारतीय पुलिस सेवा में भर्ती होने वाली

पहली महिला थी।

- सन् 1979 में मदर टेरेसा नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली पहिला महिला थी।
- सन् 1997 में कल्पना चावला पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी।
- सन् 2007 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी।
- सन् 2009 में मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी।
- सन् 2017 में निर्मला सीतारमन पहली पूर्णकालिन महिला रक्षामंत्री बनी।

प्रस्तुत शोध का उद्देश्य- इस शोध के प्रमुख उद्देश्य निम्न लिखित हैं –

- महिलाओं के वास्तविक दशा का पता लगाना।
- महिलाओं के शिक्षा स्तर की जानकारी प्राप्त करना।
- महिलाओं के सशक्तिकरण में शासकीय योजनाओं की भूमिका की स्थिति का पता लगाना।

शोध प्रविधि - शोध कार्य को करने को करने के लिए एक निश्चित पद्धति का प्रयोग किया जाता है। प्रस्तुत शोध-पत्र में दैव निदर्शन पद्धति द्वारा प्राथमिक समंकों का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक समंकों के संकलन हेतु मध्यप्रदेश के शहडोल जिले को समग्र मानते हुए इसके पाँचों विकासखण्डों से देव-निदर्शन पद्धति को आधार पर 6-6 गाँवों का चयन किया गया है। प्रत्येक गाँव से 10-10 महिला उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। इस प्रकार कुल 30 गाँवों से 300 महिला उत्तरदाताओं का साक्षात्कार अनुसूची द्वारा समंकों का एकत्रीकरण किया गया है।

सीमांकन- इस शोध-पत्र में 18 वर्ष से अधिक महिलाओं के द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शैक्षिक, आर्थिक व सामाजिक स्तर का अध्ययन करने के लिए केवल शहडोल जिले के पाँचों विकासखण्डों को शामिल किया गया है।

परिकल्पना - इस शोध-पत्र में निम्नलिखित परिकल्पनाओं को शामिल किया गया है-

1. महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि से महिलाएं सशक्त हुई हैं।

2. केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन से महिलाएँ सशक्त हुई हैं।
3. महिलाओं में घर-परिवार के सामाजिक, आर्थिक आदि निर्णय करने की क्षमता में वृद्धि से महिलाएँ सशक्त हुई हैं।

परिणामों का विश्लेषण- एकत्रित प्राथमिक समंकों के सांख्यिकीय विश्लेषण से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए हैं -

सारणी क्रमांक 01

शहडोल जिले की महिलाओं के शैक्षणिक विकास एवं महिलाओं के सशक्तिकरण के मध्य संबंध के लिए काई-वर्ग की गणना

(अ) काई-वर्ग मूल्य की गणना -

चर	वास्तविक आवृत्ति (O)	अनुमानित आवृत्ति (E)	(O - E)	(O-E)2	$\frac{(O-E)^2}{E}$
AB	182	145	37	1369	9.44
Ab	24	61	-37	1369	22.44
aB	29	66	-37	1369	20.74
ab	65	28	37	1369	48.89
अगणित काई-वर्ग मूल्य का मान					101.51

(ब) स्वातंत्र कोटियों की संख्या (D.F.) = 01

(स) 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर काई-वर्ग का सारणी मूल्य D.F.-1 का मान = 3.84

(द) काई वर्ग का अगणित मूल्य 101.51 है, जो कि सारणी मूल्य से अधिक है, अतः अन्तर सार्थक है अर्थात् महिलाओं के शैक्षणिक विकास (वृद्धि) से महिलाओं के सशक्तिकरण में संबंध है। इससे यह स्पष्ट है कि महिलाओं की शिक्षा में जैसे-जैसे वृद्धि होती जाती है, वैसे-वैसे महिलाओं में सशक्तिकरण बढ़ जाता है।

सारणी क्रमांक 02
केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन से शहडोल जिले की महिलाओं में सशक्तिकरण के मध्य संबंध में लिए काई-वर्ग की गणना

(अ) काई–वर्ग मूल्य की गणना –

चर	वास्तविक आवृत्ति (O)	अनुमानित आवृत्ति (E)	(O - E)	(O - E)2	$\frac{(O-E)^2}{E}$
AB	148	121	27	729	6.02
Ab	49	76	- 27	729	9.59
aB	36	63	- 27	729	11.57
ab	116	40	27	729	18.23
अगणित काई–वर्ग मूल्य का मान					45.41

(ब) स्वातंत्र कोटियों की संख्या (D.F.) = 01

(स) 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर काई–वर्ग का सारणी मूल्य D.F.-1 का मान = 3.84

(द) काई वर्ग का अगणित मूल्य 45.41 है, जो कि सारणी मूल्य 3.84 से अधिक है, अतः अन्तर सार्थक है अर्थात् केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन से शहडोल जिले की महिलाओं में सशक्तिकरण के लिए कारगर है।

सारणी क्रमांक 03
महिलाओं में घर-परिवार के सामाजिक आर्थिक आदि निर्णयन करने की क्षमता एवं महिलाओं में सशक्तिकरण के मध्य काई-वर्ग की गणना

(अ) काई–वर्ग मूल्य की गणना –

चर	वास्तविक आवृत्ति (O)	अनुमानित आवृत्ति ;स्द्ध	(O - E)	(O - E)2	$\frac{(O-E)^2}{E}$
AB	116	97	19	361	3.72
Ab	58	77	-19	361	4.69
aB	51	70	-19	361	5.16
ab	75	56	19	361	6.45
अगणित काई–वर्ग मूल्य का मान					20.02

(ब) स्वातंत्र कोटियों की संख्या (D.F.) = 01

(स) 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर काई–वर्ग का सारणी मूल्य D.F.-1 का मान = 3.84

(द) काई वर्ग का अगणित मूल्य 20.02 है, जो कि सारणी मूल्य 3.84

से अधिक है, अतः अन्तर सार्थक है अर्थात् महिलाओं में घर-परिवार के सामाजिक आर्थिक आदि निर्णयन करने से शहडोल जिले की महिलाओं में सशक्तिकरण होता है।

परिकल्पनाओं का सत्यापन-

1. महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि से शहडोल जिले की महिलाएं सशक्त हुई हैं, यह परिकल्पना सत्य पायी गयी है। (सारणी क्रमांक 01 के विश्लेषण से स्पष्ट है)
2. केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन से शहडोल जिले की महिलाएँ सशक्त हुई हैं, यह परिकल्पना सत्य पायी गयी है। (सारणी क्रमांक 02 के विश्लेषण से स्पष्ट है)
3. महिलाओं में घर-परिवार के सामाजिक, आर्थिक आदि निर्णयन करने की क्षमता में वृद्धि से शहडोल जिले की महिलाएँ सशक्त हुई हैं, यह परिकल्पना सत्य पायी गयी है। (सारणी क्रमांक 03 के विश्लेषण से स्पष्ट है)

निष्कर्ष- प्राचीन काल या वदिक युग में महिलाओं को पुरुषों की तरह बराबरी का दर्ज प्राप्त था। मुगलों के शासनकाल में नारियों का अपहरण, जबरदस्ती विवाह आदि के कारण से बाल-विवाह, पर्दा प्रथा, अशिक्षा आदि कुरीतियों का उदय हुआ। 19वीं सदी में राजाराम मोहनराय द्वारा सती प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाया गया। ईश्वरचन्द्र विद्यासागर द्वारा स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया तथा दयानन्द सरस्वी द्वारा विधवा-विवाह का प्रयास किया गया। अतः इसे पुर्नजागरण का काल कहा गया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा महिलाओं को शिक्षा देने, रोजगार देने व कई विशेष अधिकारों के लिए अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता न होने के कारण से पति व ससुराल के लोगों द्वारा घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है, जिससे उनका व्यक्तित्व कमजोर होने के साथ-साथ मानसिक रोगी तक हो जाती हैं। घरेलू हिंसा को रोकने के लिए समाज व घर-परिवार के मुखिया द्वारा लिंग भेद को समाप्त करना चाहिए तथा सरकार द्वारा कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करना चाहिए। महिलाओं के सशक्तिकरण के द्वारा ही कल्पना चावला जैसी महिलाएँ अंतरिक्ष में जाकर भारत का गौरव बढ़ाया है, इसमें प्राथमिक समंकों का प्रयोग किया गया है। परिकल्पना क्रमांक 01 से 3 सभी सत्य पायी गयी हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. अरोड़ा, प्रीत (2012) : नारी समाज की उन्नति के सापेक्ष शिक्षा एवं आत्म निर्भरता।
2. राजकुमार (2005) : नारी के बदले आयाम, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस
3. हसनैन नदीम (2007) : समकालीन भारत समाज, भारत बुक सेंटर
4. अग्रवाल, प्रमोद कुमार (2020) : भारत का संविधान, प्रभात पेपर बैक्स प्रकाशन, नई दिल्ली
5. आहूजा, राम (1997) : भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत प्रकाशन रायपुर
6. श्रीनिवास, एम.एन. (1985) : द चेन्जिंग पोजीशन ऑफ इंडिया वूमन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, प्रेस
7. सामान्य ज्ञान, लूसेन्ट (2020)

महिला सशक्तिकरण के आयाम

• डॉ. संध्या शुक्ला

महिला सशक्तीकरण से जुड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और कानूनी मुद्दों पर संवेदनशीलता और सरोकार व्यक्त किया जाता है। सशक्तीकरण की प्रक्रिया में समाज को पारंपरिक पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के प्रति जागरूक किया जाता है, जिसने महिलाओं की स्थिति को सदैव कमतर माना है। वैश्विक स्तर पर नारीवादी आंदोलनों और यूएनडीपी आदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने महिलाओं के सामाजिक समता, स्वतंत्रता और न्याय के राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। महिला सशक्तीकरण, भौतिक या आध्यात्मिक, शारिरिक या मानसिक, सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। यथार्थ में महिला सशक्तिकरण समाज में नारी की दशा और दिशा निर्धारित करने का एक ऐसा आंदोलन है, जिसमें समाज के साथ - साथ सरकार तथा गैर सरकारी संगठनों की मिली-जुली भूमिका है। यहां एक प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या केवल महिलाओं के मुद्दों के लिये किये गये प्रयासों को, महिला सशक्तिकरण आंदोलन कहा जा सकता है? या केवल महिलाओं द्वारा किये जाने वाले स्वहित के आन्दोलनों को महिला आंदोलन कहना चाहिये । मुद्दा या भागीदारी की अपेक्षा वस्तुतः नारी सशक्तिकरण में उसके पीछे निहित विचार या दृष्टि ही महत्वपूर्ण है।

समाज में नारी की दशा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जुड़े हुए कई आंदोलन 19 वीं शताब्दी के मध्य में हमारे देश में हुए । इनमें सतीप्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह, स्त्री शिक्षा आदि विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया। इन सुधारों के लिए जहां पश्चिम का दबाव था, ब्रिटिश शासकों की भूमिका भी थी, वहीं शिक्षित भारतीय स्वयं भी हमारे समाज की स्त्री के प्रति

• प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश

बर्बरता को महसूस करने लगा था, परन्तु ये आंदोलन महिला सशक्तिकरण के प्रयास नहीं माने जा सकते है। इनकी दृष्टि सुधारतावादी थी। स्त्री के प्रति इनका दृष्टिकोण परम्परावादी ही रहा। इनके मत में स्त्री इसलिये शिक्षित हो, कि वह परिवार व समाज को संस्कारित व शिक्षित कर सकती है। स्त्री के प्रति बर्बरता भी नहीं होना चाहिये, क्योंकि इससे विश्व हमें असभ्य समझेगा। स्त्री उत्थान को इसलिये जरूरी माना गया था कि एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि पत्नि, मां और बहन के रूप में सफल होना चाहिये। समाज के लिए नारी की रचनात्मक भूमिका का आंकलन करते हुए ही स्त्री उत्थान को आवश्यक माना गया था। यह एक प्रकार से ब्राह्मणवादी दृष्टि थी जो स्त्री की सिर्फ सीता सावित्री की छवि को बढ़ावा देती थी तथा सिर्फ समाज हित के लिये स्त्री के उत्थाान की अपेक्षा करती थी। अतः स्पष्ट है, स्त्री शिक्षा आदि उसका जन्मसिद्ध अधिकार न होकर पुत्रों को उनकी माता से विरासत में मिलने वाला गुण माना गया।[1] हमारी संस्कृति में नारी को यद्यपि महिमा मंडित किया गया है तदापि, स्त्री को केवल स्त्री होने के नाते स्वीकृति, हमारी परम्परा में, एक अमूर्त या सैद्धान्तिक अर्थ में भले ही रही हो, समाज के मूर्त संबंधों में ऐसी स्वीकृति के सबूत दुर्लभ रहे है और आज तक दुर्लभ है।[2]

भारतीय समाज में विद्यमान विभिन्न धर्मो, जातियों, संस्कृतियों तथा वर्गो की विभिन्नताओं के मध्य औरत की दशा तथा घर परिवार में उनकी भूमिका में कोई विशेष अंतर नहीं पाया जाता है। विडम्बना यह है कि एक ओर हम भारतीय अपनी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और पौराणिक प्रकरणों का हवाला देकर, बड़े वर्ग से नारी को शक्ति रूपा मानकर वैदिक युग से यह कहते आये है "यत्र नार्यहन्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता" तो दूसरी तरफ स्मृतियों के संदर्भ में " पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने" में परावलम्बी निःसहाय तथा मध्यकाल में "ढ़ोल गंवार शूद्र, पशुनारी" में दासी स्वरूपा और वर्तमान युग में भी "दुर्बल लिंग" अबला मानते रहे है। संक्षेप यह है कि स्त्रियों के संबंध में उक्त सभी विचार देवत्व या दासित्व वाले स्त्री के मनुष्य होने की अस्वीकृति से उपजे है। अतः वास्तव में प्रयोजन यह होना चाहिये कि नारी को एक इंसान के रूप में, मानव व्यक्तित्व के रूप में, मित्र भाव से पुरूष वर्ग स्वीकार करें।[3] यही यथार्थ महिला सशक्तिकरण का आधार हो सकेगा।

महिलाओं के प्रति मध्यकालीन युग के हमारे दृष्टिकोण में, अंग्रेजों के भारत आगमन के पश्चात् ही परिवर्तन लक्षित होता है। यह महिला सशक्तिकरण का समर्थन न होकर सुधारवादी कार्य था। इसके परिणामस्वरूप ही सहज रूप में आजादी के आंदोलन में, स्त्रियों को मानव व्यक्तित्व के रूप में भागीदारी का अवसर प्राप्त हुआ था। इसका कुछ श्रेय गांधीजी को भी है। गांधीजी को विश्वास था कि महिलाओं की भागीदारी के बिना सत्य, सत्याग्रह और अहिंसा पर आधारित उनके आंदोलन को अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकती, स्त्रियों में सहिष्णुता, त्याग, सहनशीलता तथा प्रेम आदि के मानवीय गुण अधिक होते है जो गांधीजी के कार्यक्रम के मूल आधार रहे है। महिलाओं की अस्मिता के सवाल गांधीजी से पूर्व भी यत्र-तत्र उठने लगे थे। मद्रास में रामास्वामी पेरियार ने ब्राह्मणवादी परम्पराओं को खुली चुनौती दी थी।[4] पण्डिता रमाबाई ने सन् 1890 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में यह प्रश्न उठाया था कि यहां स्त्रियों का कोई प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है । महाराष्ट्र की डॉ. रखमाबाई ने अपने बौद्धिक अनमेल विवाह को मानने से इंकार कर दिया था।[5]

यहां यह उल्लेखनीय है कि किसी भी देश की प्रगति को जानने का सबसे उत्तम तरीका उन सकारात्मक परिवर्तनों को देखना है, जो देश के मानव संसाधनों की सूची में दर्शित होते हैं । ऐसा विशेषत: उन देशों के संबंध में सत्य है, जहां ऐसे परिवर्तन समाज के कमजोर वर्गो, विशेष रूप से, महिलाओं में दिखाई देते है। अत: सभी सरकारों ने, महिलाओं की समस्याओं का कानूनी तथा प्रशासनिक कार्यवाही के माध्यम से तथा उन प्रतिष्ठानों संस्थानों को सुदृढ़ बनाकर किया है जो स्वास्थ्य शिक्षा तथा न्याय दिलाने के कार्य में लगी हुई है। हमारी सरकार भी वास्तव में महिला सशक्तिकरण के लिये कटिबद्ध रही है । सन् 2001 से इस प्रक्रिया में जो गति आई है, वह उल्लेखनीय है । महिलाओं के विकासात्मक संकल्पना में तथा सचेतना में अत्यधिक परिवर्तन परिलक्षित होता आया है। महिला सशक्तिकरण अथवा महिला विकास एक मानसिक अवस्था होकर, उसमें महिलाओं की कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक विकास के लिए पूरक वातावरण निर्माण करने पर बल दिया जाता है। इसलिए आवश्यक कानून, सुरक्षात्मक उपाय, योजना और विभिन्न विकास योजनाओं का निर्माण व क्रियान्वयन करना आवश्यक

होता है । भारत सरकार ने इस संदर्भ में कई कार्यक्रमों और स्कीमों के रूप में कई सकारात्मक कदम उठाये है, ताकि महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में लाया जा सके। यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि मानव संसाधन का आधा हिस्सा महिलाऐं है, और इस तरह देश की आर्थिक संपदा के आधे हिस्से की मालिक है। यदि मानव संसाधन के इस आधे हिस्से की उपेक्षा की जाती है, तो देश की प्रगति में अवरोध अवश्यम्भावी होगा। इस सत्य के परिपेक्ष में ही शक्तिकरण को सकारात्मक दिशा देने के प्रमाण अवश्य है। महिला सशक्तिकरण का प्रथम चरण नारी शिक्षा को माना गया है। महिलाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा उनके सुनियोजित विकास के लिए पिछले 7 दशकों में योजनागत परित्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की समाज में सम्मानपूर्ण स्थिति के लिये जो प्रयास हुए है उनमें नौवी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य उल्लेखनीय है। इसमें सामाजिक परिवर्तन व विकास के एजेन्ट के रूप में विशेषकर महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया गया। पंचायतीराज संस्थानों, सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों जैसे जन सहभागिता संस्थानों में महिलाओं को 33 से 50 प्रतिशत तक आरक्षण दिया गया है।[7]

स्वंतत्रता से पूर्वकाल में महिलाओं की दयनीय अवस्था देखकर, हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय नेतृत्व ने महिलाओं को संविधान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण समानता का अधिकार देकर, सर्वांगीण विकास के लिए अवसर उपलब्ध करा दिया है। इसके आधार पर उनके लिए स्व विकास के दरवाजे खुले है। भारत का संविधान महिलाओं के लिये निम्नलिखित गारंटी प्रदान करता है :

- कानून के समक्ष महिलाओं की समानता अनुच्छेद 14
- सरकार, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर नागरिकों में भेदभाव नहीं करेगी अनुच्छेद 15 (1)
- सरकार महिलाओं और बच्चों के पक्ष में कोई विशेष उपबंध बना सकेगी – अनुच्छेद 15 (3)
- सरकार पुरूष और महिलाओं के लिए समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार उपलब्ध कराने, अनुच्छेद 39 क

और पुरूषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन नीति अपनाएगी – अनुच्छेद 39 (घ)

- महिलाओं की प्रतिष्ठा के लिए, अपमानजनक प्रथाओं का परित्याग करना – अनुच्छेद 51 (क) (ड)
- पंचायतीराज संस्थाओं में 33 प्रतिशत सीटे महिलाओं के लिये आरक्षण – अनुच्छेद 243 (घ) (3)
- पंचायतीराज संस्थाओं में सभापति पद में एक तिहाई पद महिलाओं के लिये आरक्षण – अनुच्छेद 243 (घ) (4)
- प्रत्येक नगरीय निकाय में कुल सीटों की एक तिहाई सीटें महिलाओं के आरक्षित – अनुच्छेद 243 (न) (3)8

संविधान के प्रावधानों के साथ-साथ भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार से संबंधित दस्तावेज के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण से संबंधित सभी अभिसमयों को भी क्रियान्वित करने का निर्णय लिया। इसमें मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा पत्र 1948 को अंगीकृत किया गया तथा महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अभिसमय 1979 को अंगीकृत किया गया तथा 1981 में लागू भी किया गया। सी.ई.डी. ए. डब्ल्यू. पर बनी समिति द्वारा इस पर निगरानी रखी गई है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की प्रतिबद्धताओं के संदर्भ में, भारत ने "सबके लिए शिक्षा" विषय पर विश्व सम्मेलन 1990 जोएटीएन, मानव अधिकार पर दूसरा सम्मेलन 1983 वियना, महिलाओं पर चौथा विश्व सम्मेलन 1995 बीजिंग के निर्णयों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता घोषित की है। नीति प्रलेख के अंतर्गत सरकार ने स्वरोजगार में लगी महिलाओं के लिये आयोग गठित किया, जिसने श्रम शक्ति रिपोर्ट 1988 प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति सी.एस.डब्ल्यू. आई. की रिपोर्ट "समानता की ओर" 1975, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 बालिका राष्ट्रीय कार्य योजना 1992, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति – 2001, महिला कैदियों पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट 1987 आदि सरकार के महिला सशक्तिकरण के मार्गद'ाक महत्वपूर्ण दस्तावेज कहे जा सकते है। यह निर्विवाद सत्य है कि, सरकार सैद्धांतिक रूप में महिला सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। इसके लिये राष्ट्रीय नीति में

निम्नलिखित कार्य शामिल किये गये है।

- महिलाओं के पूर्ण विकास के लिए सकारात्मक आर्थिक और सामाजिक नीतियों के माध्यम से एक वातावरण उत्पन्न करना ताकि वे अपनी पूरी संभात्य शक्ति को समझने में समर्थ हो सके।
- राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सिविल सभी क्षैत्रों में पुरूषों के साथ समान आधार पर महिलाओं द्वारा सभी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता का कानूनन और वास्तव में उपयोग करना।
- राष्ट्र के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षैत्र में महिलाओं की सहभागिता और निर्णय करने में समान पहुॅच।
- स्वास्थ्य सुरक्षा सभी स्तर पर गुणवत्ता वाली शिक्षा, कैरियर और व्यावसायिक संबंधी, स्वास्थ्य और सुरक्षा और सरकारी पद आदि में महिलाओं की समान पहुँच।
- महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त करने के उद्देश्य से न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करना।
- पुरूष और महिला दोनों को शामिल करने और सक्रिय सहभागिता द्वारा सामाजिक मनोवृत्तियों और सामुदायिक प्रथाओं में परिवर्तन लाना।
- जैंडर प्रस्पैक्टिव विकास प्रक्रिया में महिलाओं को मुख्य धारा में लाना।
- महिलाओं और बालिकाओं के प्रति भेदभाव और सभी प्रकार की हिंसा को समाप्त करना।
- सभ्य समाज, विशेष रूप से महिला संगठनों के साथ साझेदारी बनाना और उसे सुदृढ़ करना।

महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति में जो उद्देश्य सम्मिलित किये गये है, उन्हें अमलीजामा पहनाने के लिये कार्यक्रम को रेखांकित किया जाना आवश्यक है, अन्यथा यह नीति भावात्मक अमूर्त मृगतृष्णा के रूप में राजनीतिक उद्देश्य का साधन बनकर रह जावेगी।

सशक्तिकरण के ये मुद्दे यद्यपि स्पष्ट है, सर्व विदित है, तदापि इनको

निम्न शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है, यथा – (क) महिला और गरीबी (ख) महिलाओं की शिक्षा (ग) महिलाएं और स्वास्थ्य (घ) महिलाओं के प्रति हिंसा (ड) महिलाऐं और अर्थव्यवस्था (च) स'ाक्त महिलाऐं और निर्णय लेना (छ) महिलाओं के मानव अधिकार।

महिला स'ाक्तिकरण के मुद्दे स्पष्ट होने पर इनके क्रियान्वयन के लिये इस दिशा में सरकारी प्रयासों पर दृष्टिगत करने से, वस्तुस्थिति का आंकलन किया जा सकता है। सर्वप्रथम सरकार इसके लिये राष्ट्रीय नीति तैयार की है । महिला संस्थानों द्वारा उनके स्वयं द्वारा किये कार्यो व उपलब्धियों की पहचान और सम्मान के लिए "श्री शक्ति" पुरूस्कार की स्थापना की गई है । महिलाओं के प्रति हिंसा पर बनी जिला स्तरीय समितियों के प्रचालन के लिये "हेल्प लाईन" दिशा निर्देश जारी किये गये है । कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों पर निगरानी के लिये राष्ट्रीय स्तर की समिति गठित की गई है। संसद सदस्यों और ग्रास रूट स्तर की महिला कार्यकर्ताओं के बीच बातचीत के लिये टेली सम्मेलन आयोजित किये गये है। महिलाओं को सूचना मिलती रहे और उन्हें सशक्त बनाया जाता रहे और वे अपने प्रति अधिकारों के उल्लंघन की शिकायते आन लाइन दर्ज कर सकें, इसके लिए राष्ट्रीय महिला संसाधन केन्द्र नामक पोर्टल की स्थापना की गई है। "जैंडर बजटिंग एक्सर साइज" द्वारा शासन के 9 विभागों में जैंडर बजट सेल की स्थापना की गई। राज्यों और जिलों के लिये भी जैंडर विकास तालिका तैयार करने के उपाय किये गये है।[9]

सरकारी प्रयासों की सफलता में लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार सबसे बड़े अवरोध सिद्ध हुए है। बैसाखियों के सहारे किसी को पैर पर खड़ा नहीं किया जा सकता, जब तक हितग्राही में स्वयं खड़े होने की प्रबल इच्छा विद्यमान नहीं हो। महिला उत्थान के लिए कुछ महिला संगठनों ने प्रयास किये है।[10] रोग का निदान, बाह्य उपचार से तात्कालिक संतोष का विषय हो सकता है, परन्तु जब तक रोग के कारणों की चिकित्सीय प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जावें, रूग्णता से मुक्ति संभव नहीं है । अतः महिला सशक्तिकरण के लिये राजनीतिक निर्णय कारिता में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित किया जाना समस्या का एकमात्र हल है । सरकार संगठन और पुरूष प्रधान समाज की अनुकम्पा से महिला सशक्तिकरण दिवा स्वप्न है। राजनीतिक

सहभागिता में वृद्धि से स्वाभाविक ही घर की चार दिवारी और सामालिक प्रश्नों पर निर्णय लेने की नारी की क्षमता में वृद्धि होना स्वाभाविक है । संविधान के 73 वें 74 वें संशोधनों में महिलाओं को जो अधिकार मिले है और म.प्र. सरकार ने इन संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का जो निर्णय लिया है, वह भारत सरकार तथा भारतीय राजनीति के कर्णधारो को, ईमानदारी से सोचने और निर्णय लेने के लिए विवश करेगा। जनसंख्या के 50 प्रतिशत भाग के प्रति समानता की संवैधानिक घोषणा का क्रियान्वयन हमारी पुरूष प्रधान विधायिका का मानवीय नैतिक दायित्व है, यथार्थ में तभी हमारा महिला सशक्तिकरण का सपना सच ना हो सकेगा।[11]

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. कश्तवार रेखा : स्त्री चिंतन की चुनौतियां : राजकमल प्रकाशन दिल्ली (2006) पृष्ठ 100
2. कुमार कृष्ण : 'विचार का डर : राजकमल' प्रकाशन दिल्ली (1996) पृष्ठ 30
3. 'राष्ट्रीय सहारा' लखनऊ (अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस) 08 मार्च 1998
4. त्रिपाठी कुसुम : जब स्त्रियों ने इतिहास रचा : नवजागरण प्रकाशन नागपुर पृष्ठ 19
5. त्रिपाठी कुसुम : जब स्त्रियों ने इतिहास रचा : नवजागरण प्रकाशन नागपुर पृष्ठ 21
6. भारत में महिलाऐं - सांख्यिकीय प्रोफाइल (महिला सशक्तिकरण के उपाय) प्रकाशक-राष्ट्रीय जनसहयोग संस्थान नईदिल्ली पृष्ठ 01
7. भारत का योजना आयोग (2007) पंचवर्षीय योजना नईदिल्ली.
8. भारतीय जनसांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (2002) नई दिल्ली.
9. भारत में महिलाऐं - सांख्यिकीय प्रोफाइल 2007 राष्ट्रीय जनसहयोग एवं बाल विकास संस्थान नईदिल्ली पृष्ठ 10-14
10. अनामिका : कहती है औरतें : इतिहास बोध प्रकाशन, इलाहाबाद (2007) पृष्ठ 275
11. जायसवाल रामकृष्ण : महिलाओं की स्थिति : एक विश्लेषण : जरनल ऑफ आचार्य - नरेन्द्र देव रिसर्च इंस्टीट्यूट नैनीताल (2006-2007 संयुक्तांक) पृष्ठ 63-65

भारतीय समाज में महिलाओं का बदलता परिदृश्य

• डॉ. सीमा श्रीवास्तव

वैश्विक परिदृश्य में भारतीय समाज अपनी विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक विरासत के चलते महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत की इस विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को भारतीय महिलायें ही पीढ़ी दर पीढ़ी सम्हालती आ रही है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्राचीन काल से लेकर अब तक परिवर्तनों के दौर में भारतीय समाज में भी अनेक परिवर्तन हुए हैं। वैदिक काल की सशक्त महिलायें परिवर्तन के दौर में अनेक कुरीतियों के चलते हाशिये पर चली गई किन्तु समाज सुधार आंदोलनों के चलते भारतीय समाज में महिलाओं ने अपनी पहचान बनाना प्रांरभ किया। वर्तमान परिदृश्य में भारतीय समाज में महिलायें जीवन के हर क्षेत्र मे एक सशक्त महिला के रूप में स्वयं की पहचान बनाये हुए समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है। प्रस्तुत शोध पत्र में भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के बदलते परिदृश्य विश्लेषण किया गया है –

सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्र में महिलाओं का बदलता परिदृश्य- प्राचीन काल से लेकर अब तक भारतीय समाज के सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति निरंतर बदलती रही है। वैदिक काल में जहॉ महिलाओं को पूरी स्वतंत्रता प्राप्त थी वे शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, वर का चुनाव कर सकती थी, किन्तु मध्यकाल में अनेक कुरीतियों के माध्यम से महिलाओं का शोषण प्रारंभ हो गया। इसके बावजूद अनेक महिलाओं ने विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी पहचान बनाये रखी। अंग्रेजों के आगमन के पश्चात् विभिन्न समाज सुधार आंदोलनों के चलते धीरे-धीरे महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आना प्रारंभ हुआ। तत्कालीन अनेक महिलाओं ने आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । इसके पश्चात् स्वतंत्र भारत में धीरे-धीरे महिलाओं ने विकास की नई गाथा लिखते हुए आज

• प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय ज.शं.त्रिवेदी स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, बालाघाट

महत्वपूर्ण मुकाम हासिल कर लिया है। आज भारत की महिलायें कम्प्यूटर क्रांति, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, अर्थव्यवस्था , राजनीति इत्यादि किसी भी क्षेत्र में पुरूषों से पीछे नहीं है बल्कि अपने स्वयं के दम पर अपनी पहचान बनाये हुए है। भारतीय समाज में अब महिलाओं का परिदृश्य बदल चुका है, अब वे पूर्ण आत्मविश्वास के साथ हर चुनौती का सामना करने एवं परिवार के साथ देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को तत्पर है। आज की महिलायें उच्च शिक्षित हैं, अपने स्वयं के निर्णय लेने में सक्षम है।

लेकिन इन सबके बावजूद आज भी भारत की महिलायें अपनी परंपराओं की महत्वपूर्ण संवाहक है। वे भले ही आर्थिक रूप से सशक्त हो गई हैं, पुरूषों के समक्ष परिवार व देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। उन्होंने अपनी परंपरागत सांस्कृतिक विरासत को भी बनाये रखा है। अपने परिवार के हर जिम्मेदारी को निभाकर भारत की महिलायें एक और अपने कार्यक्षेत्र में पूरी निष्ठा के साथ कार्य कर रही हैं तो दूसरी ओर परंपराओं से जुड़े रहकर सांस्कृतिक मान्यताओं का पालन करते हुए विभिन्न त्योहारों को भी उतने ही उत्साह से मना रही है।

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में धार्मिक पंरपरायें महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वर्तमान आधुनिक भारतीय समाज में तीव्र सामाजिक–आर्थिक–राजनैतिक परिवर्तनों के बावजूद धार्मिक मान्यतायें आज भी जन मानस से जुड़ी हुई है तो इसका पूरा श्रेय महिलाओं को जाता है। वे आज भले ही किसी भी मुकाम पर पहुॅच गई हो, आज भी उनमें धर्म के प्रति गहरी आस्था ओर विश्वास की भावना है। अपने कार्यक्षेत्र के साथ–साथ वे धार्मिक परंपराओं का पूरी निष्ठा के साथ पालन कर रही है। भारतीय पितृसत्तात्मक समाज में परंपरागत रूप से पुरूष ही परिवार का मुखिया रहते हुए घर के बाहर की जिम्मेदारियों का निर्वहन करता रहा है और महिलायें घरेलू कार्यों के साथ पारिवारिक सदस्यों की देखभाल करती रही है। आधुनिक भारतीय समाज में सशक्त होती भारतीय महिलायें आत्मनिर्भर होने के साथ घरेलू जिम्मेदारियों को निभाते हुए घर से बाहर जिम्मेदारियॉ भी निभा रही है। क्योंकि आज भी वे अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है। यद्यपि नई पीढ़ी में स्थितियॉ बदल रही है– अब युवा पीढ़ी के पुरूष एवं महिलायें समान जिम्मेदारी से घर व बाहर के कार्य का बॅटवारा करने

के साथ अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में भी कार्य करते हैं। आज की महिला अपनी क्षमताओं को पहचानती है और इसी के अनुरूप अपने परिवार और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

भारतीय समाज में प्रचलित सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह, बहुविवाह, दहेज प्रथा, विधवा विवाह निषेध, देवदासी प्रथा, सती प्रथा इत्यादि में माध्यम से महिलाओं का बहुत अधिक शोषण एक लंबे समय तक होता रहा। लेकिन इसके बावजूद आज भारतीय महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में शीर्ष तक पहुँचकर अपनी क्षमताओं को साबित कर दिया है। आज भारतीय समाज के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी महत्वपूर्ण उपस्थित दर्ज करवाई है।

आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं का बदलता परिदृश्य- यद्यपि मानव विकास की प्रारंभिक अवस्था से ही भारतीय समाज में महिलाओं किसी न किसी रूप में दिन-प्रतिदिन के आर्थिक कार्यों में सहभागिता करती रही है लेकिन उनके कार्यो को घरेलू कार्य में गिना जाता रहा है, उसकी आर्थिक गणना नहीं की जाती। समय बदलने के साथ महिला सशक्तीकरण के वर्तमान दौर में विभिन्न शासकीय व अशासकीय योजनाओं के सहयोग से अब महिलाओं की आर्थिक स्थिति बदल रही है। वे घर से बाहर निकलकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है। रोजगार के परंपरागत क्षेत्रों के अतिरिक्त अब वे नये क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त कर रही हैं, जैसे बैंकिंग, वाणिज्य, विपणन, पत्रकारिता, सेना, सूचना प्रौद्योगिकी, विमानन, अंतरिक्ष इत्यादि।

आत्मविश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। आत्मनिर्भरता से ही आत्मविश्वास पैदा होता है। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की 68.88 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रो में माइक्रो फाइनेंस की सहायता से ग्रामीण महिलायें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की नई इबारत लिख रही है। उद्यमिता, कौशल विकास एवं माइक्रोफाईनेंस ने ग्रामीण महिलाओं में नई ऊर्जा भर दी है, इससे एक ओर वे स्वयं तथा परिवार की आवश्यकतायें पूरी करने में सक्षम हो रही हैं तो दूसरी ओर अन्य महिलाओं को भी रोजगार देने में सक्षम हो रही है।

आज देश भर में से 70 लाख स्वयं सहायता समूह है जो 6-7 वर्ष पहले के आंकड़ों से तीन गुना अधिक है। देश में खुले जनघन खातों में से 55 प्रतिशत से अधिक खाते महिलाओं के है। उद्यमिता के क्षेत्र में भारतीय महिलाओं की गति में वर्तमान दशक में तीव्र वृद्धि हुई हैं। इस दिशा में विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संगठनों के साथ-साथ स्वयं महिलायें भी प्रयासरत हैं। प्राप्त आंकड़ों (कुरूक्षेत्र-अक्टूबर 2021) के अनुसार देश में संचालित 58.2 मिलियन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में से केवल 14 प्रतिशत अर्थात 8.05 मिलियन महिलाओं के स्वामित्व में हैं। अनेक चुनौतयां के बाद यहॉ एक पहुॅचना भी महिलाओं के लिये एक बड़ी उपलब्धि है। आत्मविश्वास से भरपूर वर्तमान भारतीय महिलायें निश्चित ही देश के आर्थिक परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखती है।

राजनैतिक क्षेत्र में महिलाओं का बदलता परिदृश्य- भारत में महिलाओं की स्थिति वैदिक काल से लेकर अब तक निरंतर बदलती रही है। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ थी उन्हें परिवार व समाज मे सम्मान प्राप्त था। वे सभा व समितियों में स्वतंत्रतापूर्वक भाग लेती थी। किन्तु कालांतर में उनकी स्थिति दयनीय होती चली गई। विभिन्न समाज सुधार आंदोलनों व शासकीय तथा गैर शासकीय प्रयासों के चलते स्थिति में परिवर्तन हुआ और आज भारत के वर्तमान परिदृश्य में राजनैतिक क्षेत्र में आज महिलाओं ने एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। अब वे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोक सभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, प्रतिपक्ष की नेता इत्यादि शीर्ष पदों पर आसीन हो गई है।

संचार क्रांति- भारत में महिलाओं के विकास में संचार क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान है। मोबाईल और इंटरनेट ने महिलाओं को विकास के नये अवसर उपलब्ध करवाते हैं। डिजीटल क्रांति ने महिलाओं को जानकारी खोजने , स्वास्थ्य और शैक्षिक सेवाओं तक पहुंचने, आय अर्जित करने और दूसरों के साथ मिलकर काम करने के साथ-साथ उनका पक्ष सुने जाने की क्षमता प्रदान करके लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण को आगे बढ़ा सकता है। (डिजीटल होते गॉव, कुरूक्षेत्र मई 2022) मोबाईल और इंटरनेट के माध्यम से आज महिलायें घर बैठे शिक्षा प्राप्त करने के साथ-साथ विभिन्न प्रशिक्षण भी प्राप्त कर रही है तो दूसरी

ओर विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर स्वयं परिवार के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रही हैं सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि वर्क फ्राम होम के चलते महिलाओं को पूरी दक्षता के साथ काम करने की स्वतंत्रता मिली है, जिससे वे अपने व्यवसायिक कार्यों के साथ अपने परिवार व बच्चों की उचित देखभाल कर पा रही है। पुरूष प्रधान भारतीय समाज में आज भी घर परिवार व बच्चों की जिम्मेदारी आज भी महिलाओं की ही है। जिसे वे पूरी तन्मयता से पूरी करती हैं। डिजीटलीकरण में महिलाओं के वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को पारदर्शी , सस्ती, सुलभ, और योग्य बनाने के लिये एक सक्षम वातावरण बनाने की क्षमता है।(कुरूक्षेत्र –मई 2022)

भारत में महिलाओं की वर्तमान स्थिति- यद्यपि वैश्विक परिदृश्य में भारतीय महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है लेकिन फिर भी स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती। इसके पीछे मुख्य कारण इस प्रकार है–

- स्त्री पुरूष साक्षरता में अंतर
- कन्या भ्रूण हत्या
- बाल विवाह
- लैंगिक असमता
- राजनैतिक सहभागिता की कम दर
- महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध
- कार्यस्थल पर भेदभाव
- कौशल विकास प्रशिक्षण की कमी
- बुनियादी आवश्यकताओं की कमी

भारत में प्रति वर्ष 100 में से औसतन 17 लड़कियॉ स्कूल छोड़ देती है। भारत में लड़कियों में ड्राफआउट रेट 16.88 प्रतिशत है। यद्यपि महिलाओं की संख्या पुरूषों की तुलना में कम है लेकिन आनुपातिक दृष्टिकोण से देखने पर हम पाते हैं कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी नगण्य जैसी ही है। भारत में पंचायती राज अधिनियम के लागू होने के बाद महिला प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि हुई है लेकिन इसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। देश की आधी आबादी महिलाओं की हैं ऐसी स्थिति में इस आधी

आबादी को विकास की मुख्य धारा में लाये बिना देश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। विश्व परिदृश्य में आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहॉ भारतीय महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज न कराई हो। विभिन्न शासकीय, गैर शासकीय प्रयासों के साथ-साथ भारत की महिलाओं ने अपने आत्मबल एंव कुछ बेहतर पाने की जिजीविशा के दम पर अंतरिक्ष तक अपनी पहुँच बनाई हैं।

यह सर्वविदित है कि सिंधुघाटी के मातृसत्तात्मक समाज के बाद कालांतर में सदियों तक भारत में महिलाओं का अनेक भीषण विषमआतों का सामना करना पड़ता रहा है। बावजूद इसके आज भारत में महिलाओं ने स्वयं के लिये बेहतर मुकाम हासिल कर लिया है। भारत की महिलाओं ने अपनी पहचान वैश्विक परिदृश्य में दर्ज करवाई है। आज भारत की महिलाओं के समक्ष अपने लक्ष्य व चुनौतियॉ पूर्णतः स्पष्ट हैं और इन्हें पाने के लिये वे पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रयासरत हैं अपनी उपलब्धियों से महिलायें न केवल स्वंय के लिये बल्कि समाज व देश के लिये भी विकास की नई ईबारत लिख रही हैं। (www.drishtiias.com) इन सभी अवरोधों के बावजूद आज भारत में महिलाओं में शिक्षा के प्रति ललक बढ़ है भले ही वे साक्षरता दर में पुरूषों से आर्थिक रूप से मजबूत हो रही है। परिणामस्वरूप उनका सामाजिक परिवेश भी बदल रहा है। राजनीति में सहभागिता धीरे-धीरे बढ़ रही है। संचार क्रांति, डिजीटलीकरण की मदद से वे अपनी क्षमताओं और हुनर को विश्व के सामने प्रस्तुत कर रही है। वर्तमान भारतीय परिदृश्य में महिलाओं की उपलब्धियों के उदाहरण इस प्रकार हैं-

- सामाजिक कार्यकर्ता- सिंधु ताई सफ्काल -अनाथ बच्चों की परवरिश के लिये वर्ष 2021 पद्यश्री पुरस्कार से सम्मानित।
- पर्यावरण विद् - तुलसी गौड़ा जो वन विश्वकोष के नाम से जानी जाती है-वर्ष 2021 पद्यश्री पुरस्कार को सम्मानित।
- रक्षा क्षेत्र - अवनी चतुर्वेदी - लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला
- मैरीकॉम पी.वी.सिंधु - ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय महिला।

- गीता गोपीनाथ- अतंर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में पहली महिला अर्थशास्त्री।
- टेसी थॉमस- अग्नि IV मिसाइल परियोजना निदेशक के रूप में महत्वपूर्ण कार्य। ये मिसाइल वूमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानी जाती हैं।
- शंकुतला देवी- सबसे तीव्र मानव संगणना का गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड इनके नाम है।
- ऋतु करिधाल - चंद्रयान-2 की मिशन की मिशन निदेशक रही है। इन्हें रॉकेट वूमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है।
- मुथैया वनिता- चंद्रयान-2 की परियोजना निदेशक है। दूसरों में अंतर-मिशन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है।
- डॉ. मंगला मणि- अंटार्कटिका के बर्फीले क्षेत्र में एक वर्ष से अधिक समय बिताने वाली दूसरों की पहली महिला वैज्ञानिक है। ये पोलर वूमेन के नाम से जानी जाती हैं।
- डॉ. गगनदीप कांग- विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया के टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह की अध्यक्ष।
- डॉ. चंद्रिमा शाह- भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. गोयल शिखा, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिक्षेत्र में महिला सशक्तीकरण, International journal of Humanities and social science research ,Volume 8, 2022
2. कुरूक्षेत्र- अक्टूबर 2021 ,अप्रैल 2022 , मई 2022
3. प्रियंका कुमारी, वैश्वीकरण के दौर में महिला सशक्तीकरण, एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण, Journal of socio-Educational & cultural Research,Vol-2 , July-Dec 2016
4. पॉण्डेय डॉ. दीपशिखा, पाण्डेय डॉ. सुशान्त कुमार, भारत में महिलाओं की परिवर्तित सामाजिक अवस्था - एक तुलनात्मक अध्ययन, International journal of scientific & Innovalive Research studies, Vol-2 , Sep -2014
5. शर्मा, जी. एल., सामाजिक मुद्दे, रावत पब्लिकेशन्स,जयपुर, 2015
6. शुक्ल, डॉ. अखिलेश, शुक्ल डॉ. संध्या, सिंह डॉ. संगीता, वर्तमान संदर्भ में

भारतीय नारी, सेन्टर फार रिसर्च स्टडीज रीवा, गायत्री पब्लिकेशन्स, 2019

समाज में महिलाओं की समस्याएँ तथा महिला सशक्तीकरण

• डॉ. कंचन मसराम

भारत बदल रहा है यह बदलाव बहुत तेज है, शहर, समाज, जिंदगी सब लोग तेज रफ्तार से बदल रहे है, इसके बावजूद नही बदल रही है, तो महिलाओ की जिंदगी। यद्यपि महिलाएं किसी भी समाज का एक महत्वपूर्ण अंग होती है तथा समाज के विकास मे महिला अस्तित्व के बिना कल्पना भी नही की जाती है। जबकि भारतीय समाज में स्त्रियाँ पुरूषों की अपेक्षा अधिक अलाभप्रद, हानिकारक और अमानवीय स्थिति में है, न्याय, स्वतंत्रा, समानता व अधिकार जैसी चीजों से महिलाओ का संबंध न के बराबर है।

महिलाओं संबंधी सामाजिक मुद्दों की पहचान के लिए यह जानना आवश्यक है, कि ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से राष्ट्र और परिवार में उनको उचित सम्मान तथा उचित स्थान नही मिल पा रहा है, उनका उत्पीड़न, उपेक्षा एवं शोषण हो रहा है। इनमे प्रमुख कारण अशिक्षा, लिंग भेद एवं यौन शोषण व तलाक आदि। महिलाएँ इनका विरोध क्यों नही करती, क्योंकि परिवार की बदनामी पुरूष प्रधानता की गलत परंपरा के कारण, कानून की जटिलता पुलिस एवं समाज द्वारा उत्पीड़न का भय होता है।

महिलाओं की समस्या - घर मे सम्मान पाने घरेलू हिंसा से बचने एवं परिजनों के अपमान से बचने के लिए जब एक महिला आत्मनिर्भर होने के लिए घर से बाहर निकलती है तो उसे समाज और पुरूष सत्तात्मक सोच रखने वालो का सामना करना पड़ता है। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति सदियों से दयनीय रही है, उनका हर स्तर पर शोषण और अपमान होता रहा है। पुरूष प्रधान समाज होने के कारण सभी नियम कायदे कानून

• सह प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालाघाट (म.प्र.)

पुरूषों के हितों को ध्यान मे रखकर बनाये जाते रहे। खेलने और शिक्षा ग्रहण करने की आयु मे बेंटियों की शादी कर देना और फिर बाल्यावस्था मे ही गर्भधारण कर लेना उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित होता रहा है स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण जीवन अनेक बीमारियों के साथ व्यतीत करना पडता है। शिक्षा के अभाव के कारण ये इसे अपना भाग्य मानकर सहती है इसके अतिरिक्त दहेज प्रथा जैसी कुरूतियो के कारण भी महिलाओं को भी सम्मान से नही देख गया अक्सर परिवार मे पुत्री के होने को ही दुर्भाग्य की संज्ञा दी जाती है। इसी कारण परिवार में लड़की के जन्म को टालने के लिए हर समय प्रयास किये जाते रहे, जो आज कन्या भ्रूण हत्या के रूप मे भंयकर स्थिति पैदा हो रही है। क्योंकि भारत मे महिलाओं को लेकर अजीब स्थिति है सामाजिक ढाँचा अति पुरातन और रूढिवादी है, कानून महिलाओं के मामले मे बहुत प्रगतिशील किस्म के है पर बिडंवना यह है कि शोषण और दुभर जीवन स्थितियाँ झेलती महिलायें कानून तक पहुॅच नही पाती और इन कानूनो का दुरूपयोग बड़े पैमाने पर प्रचलित हो गया है दूसरी और समाज के रूढ़िवादी ढॉचे और कानूनी प्रक्रियाओं से अलग एक और संसार है जहाँ महिलाओं के लिए जीवन बदल रहा है, अगर भारत महिलाओं के लिए वास्तविक बदलाब लाना चाहता है तो उसे इसकी शुरूआत महिलाओ को भी इंसान मानकर करनी होगी। जबकि वैश्वीकरण के दौर में जब आज महिलओं को कालसेंटर, शॉपिग माल, पेट्रोल पंप मे देखकर विश्वास होता है कि भारत बदल रहा है, महिलाओं की स्थितियों में सुधार हो रहा है। आज महिलाओं को कापोरेट जगत राजनीति, शिक्षा, विज्ञान, मीडिया, साहित्य और स्वास्थ्य हर जगह देखा जा सकता है लेकिन उन्हे दूसरी श्रेणी का नागरिक माना जाता है उन्हे न सिर्फ बल्कि दफ्तर मे हिंसा का सामना करना पड़ता है बल्कि उनकी आधी आबादी को बुनियादी शिक्षा तक नसीब नही है साथ ही बहुत कम को ही जैसे स्वास्थ्य सुविधाओ तक वास्तविक पहुंच है।

महिला सशक्तीकरण- महिला सशक्तीकरण से तात्पर्य, महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक रूप से सक्षम होना है। इन तीनो ही पक्षों में आर्थिक रूप से सशक्त होगी तो उसका प्रभाव सामाजिक व राजनैतिक पक्ष पर भी पडेगा इसलिए महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने हेतु उनकी आर्थिक गतिविधियो व राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेने हेतु सरकार द्वारा

निरंतर प्रयास किये जा रहे है, ताकि वे आर्थिक रूप से सक्षम हो और समाज में पद व प्रतिष्ठा प्राप्त करे महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु सरकार द्वारा बहुत सी योजनायें चलायी जा रही है। 73 वें सविंधान संशोधन के अनुसार महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्थ में भागीदारी का प्रावधान, स्वसहायता समूह, महिलाओ के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतू छात्रवृत्तियों व ग्रामीण स्तर पर रोजगार देने हेतु मनरेगा कार्यक्रम में सभी योजनाये महिलाओं को सशक्त बनाने मे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। महिलाओं के सर्वागीण उत्थान के लिए भारत शासन ने वर्ष 2001 को महिला सषक्तिकरण वर्ष घोषित किया था और इस हेतु एक विषय वस्तु आधारित कैलेण्डर तैयार कर उसका क्रियान्वयन शुरू किया गया। विषय वस्तु आधारित इस कैलेंडर के आधार पर कई उद्देश्यों को हमने पूरा कर लिया है निश्चित रूप से या भारतीय समाज के लिए एक सुखद संकेत है।

महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम- महिला और बाल विकास मंत्रालय महिलाओ के सशक्तीकरण के लिए देश भर में विभिन्न योजनाओ व कार्यक्रमों को लागू कर रहा है–

1. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं घटते लिंगानुपात की समस्या से निपटने और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए इसके तहत व्यापक अभियान पर काम किया जा रहा है।
2. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, गर्भवती और शिशुओं की देखभाल में जुटे महिलाओं को नगदी मुहैया कराकर उनके बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के लिए कार्य करना जिसे मातृत्व लाभ कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था।
3. घरेलू कौशल और व्यावसायिक शिक्षा के जरिए 11 से 18 आयु वर्ग की लड़कियों का सशक्तीकरण और पोषण व सामाजिक हैसियत को बढ़ावा देना।
4. प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना द्वारा ग्रमीण महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए छात्रा वॉलिंटयर्स की सहभागिता के जरिए सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना है।
5. राष्ट्रीय क्रेंच योजना द्वारा कामकाजी महिलाओं को 6 महीने से 6 साल आयु, समूह के बच्चों को दिन में देखभाल सुविधाएं मुहैया कराना है।

6. राष्ट्रीय महिला कोष का लक्ष्य गरीब महिलाओं को आजीविका संबंधी सहयोग और आय पैदा करने संबंधी गतिविधियो की खातिर आसान शर्तें के साथ छोटे स्तर पर कर्ज मुहैया कराना है ताकि उनका सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके।
7. बेसहारा और परेशानी में फँसी महिलाओ को राहत और पुनर्वास मुहैया कराने के लिए सुधार गृह।
8. महिलाओं की तस्करी रोकने, पुनर्वास और देह व्यापार के मकसद से तस्करी की िंकार बनी महिलओं को फिर से सहारा देने के लिए उज्जवला योजना।
9. घर से दूर रहकर काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कामकाजी महिला छात्रावास।
10. हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन योजना जिसके तहत इलाज संबंधी मदद, पुलिस सहायता, कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक काउसंलिंग और तात्कालिक सहयोग व सेवाएँ दिऐ जाना।
11. जेंडर बजटिंग योजना द्वारा नियोजन, बजटीय तैयारी कार्यान्वयन, नीति/कार्यक्रम की समीक्षा और आवंटनो के विभिन्न चरणों मे लैंगिक नजरिए को मुख्य धारा में लाने के औजार के तौर पर लागू किया गया है जिसमे संस्थागत तंत्र को मजबूव करने और संबंधित अलग अलग पक्षों के प्रशिक्षण में मदद करती है। ताकि लैंगिक चिंताओं को केंद्र और राज्य सरकारों के स्तर पर मुख्य धारा में लाया जा सकें।

महिला कल्याण हेतु राज्यो द्वारा दिए गए प्रयास

1.कामधेनु योजनाः- महाराष्ट्र में इस योजना के द्वारा परित्यक्ता एवं आश्रयहीन महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए सहायता दी जाती है। महाराष्ट्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रत्येक व्यावसायिक शिक्षा में लडकियों के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण की भी व्यवस्था है।

2.किशोरी बालिका योजना- बिहार सरकार ने 11 से 18 वर्ष, तक की लडकियों के पोषण तथा स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से उन्हे अक्षर अंक ज्ञान कराने के उद्देश्य से यह योजना प्रारम्भ की है। इसके अन्तर्गत कम आमदानी वाले परिवार की किशोरियाँ लाभ प्राप्त करने की पात्र होती है।

3.स्वस्थ सखी योजना- उ.प्र. सरकार की इस योजना के तहत आठवी कक्षा तक पढ़ी 18 से 35 वर्ष की आयु की अनुसूचित जाति की महिलाओं को मिडवाइफ के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। चयनित महिलाओं को 500 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जाएगा।

4.सैनेट्री मार्ट योजना- उ.प्र. सरकार द्वारा सिर पर मैला ढोने की प्रथा पर रोक लगाए जाने के परिणामस्वरूप बेरोजगार हुए लोगो के पुनर्वास के उददेश्य से महिला केंद्रित यह योजना आरम्भ की गई है। इस प्रकार से बेरोजगार हुए लोगो को सैनेट्री की दुकाने स्थापित करने के लिए ढाई लाख रूपये तक के ऋण की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। इसमें अनुदान की राशि भी शामिल है।

5.अपनी बेटी अपना धन योजना:- बालिकाओ के भविष्य को सुरक्षित रखने के उददेश्य से 2 अक्टूम्बर 1994 इस योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों की नवजात बालिकाओं के नाम से 2500 रूपये सरकार द्वारा इंदिरा विकास पत्र के माध्यम से निवेश कर दिया जाता है। 18 वर्ष के पश्चात यह राशि लगभग 25000 रूपये के रूप मे देय होती है। यह राशि उसी को दी जाती है जिसके नाम से यह राशि निवेशित होती है।

6.देवी रूपक योजना- हरियाणा सरकार द्वारा पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के जन्मदिवस पर 25 सिंतबर 2002 को इस योजना की घोषणा की इस योजना का मूल उददेश्य जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए दम्पतियों को जागरूक करना है, प्रजनन योग्य दम्पतियों विशेषत: नवविवाहितो को लक्षित करते हुए यह योजना शुरू की गई। पहले बच्चे लड़की के जन्म पर नसबंदी कराने पर 500 रूपये प्रतिमाह तथा पहले बच्चे लड़के के जन्म पर नसबंदी करने पर 200 रूपये प्रतिमाह की राशि इस योजना के तहत दम्पति को दी जाएगी इसके दूसरे बच्चे के जन्म पर यदि दोनो लडकियाँ हो तब नसबंदी कराने पर यह राशि 200 रूपये प्रतिमाह होगी।

7.बालिका संरक्षण योजना- आंध्रप्रदेश में बालिकाओं को संरक्षण एवं समाज मे उन्हे सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए राज्य सरकार ने यह योजना प्रारम्भ की इस योजना मे 60 हजार से अधिक ऐसी बालिकाओं को लक्षित किया जाएगा जो ऐसे निर्धन परिवारो की है। योजना का उददेश्य कम से कम माध्यमिक स्तर तक बालिकाओं को शिक्षित करना तथा 18

वर्ष के बाद ही उनका विवाह सुनिश्चित करना है। इस योजना मे कन्या के नाम से कुछ कल्याण राशि को निवेश करने का प्रावधान भी है।

8.पंचधारा योजना- म.प्र. सरकार द्वारा 1 नवम्बर 1991 से ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं के कल्याण एवं विकास हेतु पंचधारा योजना आरम्भ की गई। इस योजना में पाँच उप योजनाएँ शामिल है।

- **वात्सल्य योजना-** प्रसवकाल मे महिलाओं को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करना।
- **ग्राम्प योजना-** ग्रामीण महिलाओं को लघु व्यवसाय आरम्भ करने हेतु कार्यशील पूँजी प्रदान करना।
- **आयुष्मति योजना -** अति निर्धन महिलाओं के बीमार होने पर उनके उपचार एवं पौष्टिक आहार का प्रबन्ध करना
- **सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना-** निराश्रित विधवाओं के लिए योजना।
- **कल्पवृक्ष-** आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में अनुसूचति जाति/जनजाति की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना।

9. ग्रामीण इंजीनियर योजना- म.प्र. सरकार ने 20 मई 2003 में यह योजना प्रारम्भ की। इसके तहत सभी 52 हजार गाँवों में एक ग्रामीण इंजीनियर उपलब्ध कराने के लिए 25 हजार युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी प्रशिक्षण दसवी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया। इसके लिए 10+2 परीक्षा से उत्तीर्ण युवा युवतियों को प्रशिक्षिण किया जाता है। महिलाओं को इसमें वरीयता दी जाएगी।

निष्कर्ष- शिक्षा, लिंगानुपात, सामाजिक सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वंतत्रता, न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाएँ, और काम करने की आजादी आदि को विकास का पैमाना माना जा सकता है यदि विकास के इस पैमाने के आधार पर हम भारतीय महिलाओं की स्थिति को देखे तो निष्कर्ष निकलेगा। कि भारतीय महिलाएँ पुरूषों के मुकाबले और अन्य देशो की महिलाओं की तुलना में विकास की दौड़ में काफी पीछे है। क्योकि परंपराए कभी भी खुद नही बदलती उनका बदलना हमारे बदलने पर निर्भर करता है हमें एक बात बहुत ईमानदारी से स्वीकारनी है कि गलत रास्तों पर चलकर कभी सहीं नही हुआ जा सकता पुरूष क्या कर रहा है क्या करता रहा है उसे कहने से हमे अपने दोषों को जस्टिफाई नही कर सकते और न ही हमें करना चाहिए

यदि हम सच में सशक्तिकरण के माने पैदा करना चाहते है तो ईमानदार स्वीकारोक्ति और पड़ताल के बिना हमारी दुनिया में न कोई क्रांति संभव है न प्रतिक्रांति।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. शर्मा जी. एल., सामाजिक मुद्दे, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर
2. योजना, अगस्त 2018 महिलाओं का सशक्तीकरण
3. कौशिक आशा, नारी सशक्तीकरण, जयपुर 2004
4. गोयल संगीता गोयल सुनील, भारतीय समाज में नारी, जयपुर 2005
5. शर्मा पी.डी., महिला सशक्तीकरण और नारीवाद, रावत पब्लिकेशन जयपुर
6. लवानिया डॉ. एम. एम., भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र, रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर

कार्यशील महिलाओं की समस्याएं

• पुष्पा सिंह

भारतवर्ष में स्त्री को देवी का रूप माना जाता है। वेदों पुराणों में भी स्त्री की महिमा का बखान है। लेकिन भारत की बदलती राजनैतिक परिस्थितियों के अनुसार स्त्रियों की दशा में भी उतार-चढ़ाव आते रहे। आज के समाज में स्त्री और पुरुष को सिक्के के दो पहलू माना जाता है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व असंभव है। वर्तमान में भारत की शिक्षा में बहुत अधिक सुधार हुआ है। इसके साथ ही नारी जागरूकता भी बढ़ी है। नारी अपने हक के लिए जागरूक हुई है। अब उसे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और अभिव्यक्ति के साथ हर तरह की आजादी चाहिए। इस आजादी में सबसे बड़ा उसका सहारा उसकी मजबूत आर्थिक स्थिति होती है। आज के दौर में महिलाएं खुद को पुरुषों के समकक्ष सबित किया है। वास्तव में समकालीन विश्व की महिलाएं अब कॅरियर के मामले में पीछे नहीं हैं। आज हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और वे तेजी से आगे बढ़ रही हैं।

हालांकि यह सच है कि कामकाजी महिलाओं को महिला होने के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सदियों से महिलाओं को शारीरिक यौन और मानसिक रूप से शोषण और प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा है। घर और कार्यस्थल दोनों में उनके सामने असंख्य चुनौतियाँ और समस्याएं हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं -

कार्यस्थल पर भेदभाव- महिलाओं के साथ उनके कार्यक्षेत्र के हर स्तर पर भेदभाव किया जाता है। आमतौर पर कारखानों और श्रम उन्मुख उद्योगों आदि में पदोन्नति और विकास के अवसरों से के वंचित रह जाती हैं। समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के तहत अधिकांश कामकाजी महिलाओं को उनके समान वेतन के अधिकार से वंचित रखा जाता है और उन्हें अपने पुरुष समकक्ष की तुलना में कम भुगतान किया जाता है। उनके बौद्धिक स्तर को भी कम करके आप आ जाता है और उन्हें महत्वपूर्ण कार्य से वंचित कर दिया जाता है।

• व्याख्याता, डाइट अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़

सुरक्षा और गरिमा के लिए चुनौतियाँ- भारतीय समाज में पुरानी सोच एक कामकाजी महिला के लिए घरेलू वातावरण के साथ बाहर निकल कर काम करने को बहुत ही मुश्किल बना देता है। यदि कोई महिला कार्यालय समय से अधिक कार्य करती है तो समाज उनकी मर्यादा और नैतिकता पर सवालिया निशान लगाएगा। इसके अलावा कभी-कभी असुरक्षित सामाजिक वातावरण के कारण वे देर रात तक काम करने में झिझकती हैं। इसके अलावा ज्यादातर मामलों में एक पुरुष कर्मचारी को महिला कर्मचारी की तुलना में अधिक आदर और सम्मान दिया जाता है। परिवार में उनके सकारात्मक योगदान के बावजूद गृहिणी होने के नाते उनकी महिला की छवि ज्यादा नहीं बदली है। यहां तक कि अगर वह काम करती है, तो उससे खाना पकाने, बच्चों की देखभाल और अन्य सभी घरेलू कर्तव्यों की अपेक्षा की जाती है। यह व्यस्त कार्यक्रम उसे शांति, आराम, नींद, स्वतंत्र सोच और विलासितापूर्ण जीवन से वंचित करता है। ऐसा होता है कि कभी-कभी बच्चों की उपेक्षा की जाती है जिसके लिए वह एकमात्र व्यक्ति को दोषी ठहराती हैं।

पुरुष अहंकार- कामकाजी महिलाओं के लिए यह सबसे कठिन चुनौतियों में से एक है। पत्नी / सहकर्मी के रूप में पुरुष प्रायः स्त्रियों को बराबर का अधिकार देना नहीं चाहता। पुरुष महिलाओं को बाहर जाने और काम करने के लिए समर्थन तो करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें महिलाओं की प्रगति और उपलब्धि को स्वीकार करना मुश्किल लगता है। कई मामलों में यह पारिवारिक जीवन में परेशानी उत्पन्न करता है जो उसके आत्मविश्वास को कम करता है।

नौकरी में असमान अवसर - महिलाओं के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण चुनौतियों में से एक है कि वे आवश्यक योग्यता कौशल प्रतिभा कड़ी मेहनत और प्रदर्शन के बावजूद अपने पुरुष सहयोगियों की तुलना में उसकी उपेक्षा की जाती है और उसे निम्न दर्जा दिया जाता है। यह एक कारण है कि कई महिलाओं को अपनी क्षमताओं/प्रतिभा की तुलना में कम चुनौतीपूर्ण नौकरियों में कार्य करना पड़ता है।

अपनी कमाई पर कोई स्वामित्व नहीं- ज्यादातर मामलों में हालांकि महिलाओं की स्वतंत्र कमाई होती है, लेकिन इस पर उनका कोई नियंत्रण

नहीं होता है। अधिकांश परिवारों में महिला की आय या तो उसके पिता या पति के हाथों में जाती है न कि उसके अपने हाथों में। ऐसा माना जाता है कि वह वित्त प्रबंधन नहीं कर सकती।

यौन उत्पीड़न-कामकाजी महिलाओं के सामने एक बड़ी समस्या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न है। जब एक कामकाजी महिला बाहर निकलती है, तो उसे हर दिन यात्रा के दौरान, कार्यालय में, ऑफिस में, कैंटीन में, बाहरी बैठकों आदि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहुत यौन शोषण और उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। उसके साथ मौखिक, शारीरिक और प्रतीकात्मक रूप से दुर्व्यवहार किया जाता है। अपने सहयोगियों, उच्च अधिकारियों, अधीनस्थों आदि द्वारा रात की पाली में काम करने वाली महिला कर्मचारी ऐसी घटनाओं के प्रति अधिक संभावना होती हैं। क,रपोरेट सेक्टर में नाइट शिफ्ट में काम करने वाली नर्सों और महिलाओं को अक्सर इस समस्या का सामना करना पड़ता है। इस तरह के अस्वस्थ और असुरक्षित कामकाजी माहौल के बावजूद उसे अपने परिवार का समर्थन करने और इसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। क्या यह महिलाएं इन घटनाओं को नजरअंदाज करके अपना काम करते हैं लेकिन वो जब भी आवाज उठाततीं हैं उन्हें बहुत ज्यादा विरोध और समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

दिलचस्प बात यह है कि कामकाजी महिलाओं को जिन बाधाओं का सामना करना पड़ता है, वे उम्र के साथ बदल जाती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 से 29 वर्ष की आयु की युवा महिलाओं में कार्यस्थल पर अनुचित व्यवहार, दुर्व्यवहार या उत्पीड़न ठीक घटनाएं अधिक उम्र की महिलाओं की तुलना में अधिक होती हैं। 30 से 44 के बीच आयु वर्ग की महिलाओं में अपने बच्चों और परिवारों के लिए देखभाल की समस्या अधिक होती है। जैसे-जैसे महिलाएं बड़ी होती जाती हैं, उनमें पुरुषों के सापेक्ष असमान वेतन की समस्या बढ़ जाती है।

महिलाएं एक साथ कई कार्य करने में सक्षम होती हैं। वे अपनी सूझबूझ से अपने घर और कार्यस्थल दोनों को अच्छे से संभाल सकती हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें स्वयं में कुछ जीवन कौशलों का विकास करना बहुत जरूरी है। उन्हें अपने कामों के लिए पुरुषों पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति

को कम करना होगा साथ ही संविधान ने उन्हें क्या अधिकार दिए हैं यह उन्हें पता होना चाहिए ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहें और दोषी को दंड दिला सके।

भारतीय राज्य और महिला श्रमिकों की सुरक्षा में इसकी भूमिका भारतीय संविधान कानून के समक्ष महिलाओं के लिए समानता की गारंटी देता है, जिसमें महिलाओं के काम करने के अधिकार की रक्षा के लिए कई कानून हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं के संगठित क्षेत्र के कानूनी ढांचे को समझना भारत में लैंगिक समानता बनाने की दिशा में पहला कदम है। लैंगिक भेदभाव भारतीय संविधान महिलाओं को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। महिलाओं की समानता और सुरक्षा के लिए कानून ने कई अधिकार दिए हैं लेकिन समाज द्वारा उसका पालन करना आवश्यक है।

सुझाव- हाल ही में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की घटनाओं ने भारत में महिलाओं की सुरक्षा के बारे में गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले तीन दशकों में, कार्यस्थल महिलाओं की प्रतिशत मात्रा में तेजी से वृद्धि हुई है । फेडरेशन ऑफ इंडियन चौंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने कुछ सिफारिशें प्रदान की हैं, जिन्हें अगर लागू किया जाता है तो यह कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहयोगी होगी और उन्हें आवश्यक जानकारी प्रदान करेगी।

इन सिफारिशों को चार भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है: भौतिक, पर्यावरण, संगठनात्मक और शैक्षिक।

भौतिक सुरक्षा- यह संगठन में महिला कर्मचारियों की शारीरिक सुरक्षा पर केंद्रित है। भौतिक सुरक्षा से संबंधित उपायों में ड्राइवरों, सुरक्षा गार्डों और सभी आकस्मिक कर्मचारियों से पहचान सम्बन्धिब दस्तावेज (ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो आईडी, एड्रेस प्रूफ, फिंगर प्रिंट, एकत्र किए जाते हैं। महत्वपूर्ण स्थानों या स्थानों पर ऑपरेशनल सीसीटीवी कैमरे, इलेक्ट्रॉनिक दरवाजों की स्थापना शामिल हैं। केवल अधिकृत कर्मचारियों/कर्मचारियों, सुरक्षा गार्ड या एक सहयोगी को कैब में ड्राइवर के साथ जाने के लिए कार्य क्षेत्र, पैनिक बटन के साथ कैब / परिवहन वाहनों की जीपीएस आधारित निगरानी, एसएमएस अलर्ट / सूचना प्रणाली को डिजाइन / स्थापित किया जाना है।

वातावरण - यह पहलू सुरक्षा के भौतिक पहलू का पूरक है और किसी भी परिसर में एक सुरक्षित और सुरक्षित मानक बनाए रखने में मदद करता है इसमें स्पष्ट रूप से प्रदर्शित आपातकालीन संपर्क नंबर और एक नामित अधिकारी शामिल हैं।

संगठनात्मक- यह नियोक्ता के लिए कार्यस्थल पर एक सकारात्मक माहौल बनाने से संबंधित है। जहां एक महिला को काम पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, इस ज्ञान में सुरक्षित है कि उसके साथ सम्मान का व्यवहारवऔर उत्पीड़न से संरक्षित किया जाएगा।

शैक्षिक- यौन उत्पीड़न और लैंगिक भेदभाव पर उनकी कंपनी की नीतियों के बारे में महिला कर्मचारियों की जागरूकता और उन्हें बिना किसी डर के भेदभाव के सभी मामलों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

निष्कर्ष- मुख्य रूप से एक कामकाजी महिला की सामाजिक स्थिति को मजबूत करने की कुंजी उसके अपने हाथों में है। महिलाओं को घर और कार्यस्थल पर अपने अधिकारों के प्रति अधिक मुखर और जागरूक होने की आवश्यकता है। महिलाओं के सभी अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए, उनकी रक्षा की जानी चाहिए और उन्हें पूरा किया जाना चाहिए, चाहे वह संपत्ति का अधिकार हो, स्वास्थ्य का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो और सम्मान के साथ जीवन हो। तभी महिलाएं एक सच्चे नागरिक होने के अधिकारों की पूरी श्रृंखला तक पहुंच सकती हैं। एक महिला के सामने असीमित संभावनाएं होती हैं जब उसे अपनी प्रतिभा को निखारने और अपनी क्षमता का पता लगाने के लिए सही अवसर प्रदान किए जाते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. Sarah De Armond, Mary Tye, Peter Y. Chen, Autumn Krauss, D. Apryl Rogers, Emily Sintek, 09 August 2006 Age and Gender Stereotypes: New Challenges in a Changing Workplace and Workforce https://doi.org/10.1111/j.0021-9029.2006.00100.x
2. International Journal of Innovative Research and Advanced Studies (IJIRAS) Volume 6 Issue 5 , May 2019 Challenges And Problems Of A Working Woman Dr. P.Y Gouri Prabha ISSN : 2394-4404, page 118

3. INTERNATIONAL JOURNAL FOR INNOVATIVE RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY FIELD Indian Women in the Workplace : Problems and Challenges Sampurnaa Dutta Guest Lecturer , Department of Political Science North Eastern Hill University , Shillong , India Email - sampurnaa.dutta@gmail.com ISSN - 2455-0620 Volume - 3 , Issue - 3 , Mar – 2017, page 152 www.IJIRMF.COM
4. INTERNATIONAL JOURNAL FOR INNOVATIVE RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY FIELD Indian Women in the Workplace : Problems and Challenges Sampurnaa Dutta Guest Lecturer , Department of Political Science North Eastern Hill University , Shillong , India Email - sampurnaa.dutta@gmail.com ISSN - 2455-0620 Volume - 3 , Issue - 3 , Mar – 2017, page 13983, https://www.nveo .org.journal
5. https://www.hrkatha.com/research/top-10-challenges-working-women-face-worldwide/
6. https://www.researchgate.net /publication/337856752 exploring the_problems_ of_women_ at_workplace
7. https://www.researchgate.net/publication/ 335686812_ Challenges_And_Problems_Of_A_Working_Woman
8. http://ethesis.nitrkl.ac.in/6094/1/E-208.pdf
9. https://www.ijeat.org/wp-content/uploads /papers/ v8i2s2/B10840182S219.pdf
10. https://www.nveo.org/index.php/journal/article/ download/2998/2516/3006
11. https://eprajournals.com/jpanel/upload/1145pm_90. EPRA%20JOURNALS%207856.pd
12. https://www.worldwidejournals.com/global-journal-for-research-analysis

पंचायती राज में अनुसूचित महिला का नेतृत्व एवं राजनीति सहभागिता

• शिखा पाण्डेय

भारत में अनुसूचित तथा जनजातियों प्रायः शहर ग्राम तथा एकाकी क्षेत्रों में निवास करती है स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष के बाद भी ये लोग संचार माध्यमों तथा सूचनाओं की कमी के कारण अलगाव तथा अत्याचार भरी जिन्दगी जी रहे है। महिलाओं की राजनैतिक स्थिति में सुधार हेतु पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 73वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से महिलाओं को 33 प्रतिशत तक आरक्षण दिया गया है। मध्यप्रदेश, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड में ये आरक्षण 50 प्रतिशत है यद्यपि देश की संसद एवं विधान सभाओं 33 प्रतिशत का विधायक राज्य सभा में स्वीकार हो चुका है। जिससे महिलाओं की राजनैतिक स्थिति सुदृढ़ हुई है इसके अतिरिक्त महिलाओं की स्थिति में गतिशीलता लाने वाले कारकों में महिलाओं को दिये गये कानूनी अधिकार शिक्षा की स्वतंत्रता, महिला कल्याण कार्यक्रमों के अतिरिक्त औद्योगिकीकरण, संचार साधनों की भूमिका एवं वैश्वीकरण मुख्यतः रहे है, जिनके फलस्वरूप महिलओं की शैक्षणिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक स्थिति मजबूत हुई है। आज महिला शब्द सामने आते ही दिलो दिमाग में ऐसे प्राणी की छवि उभरती है जो पीड़ित है, असहाय है, लाचार है संवैधानिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करने के लिए, विवश है अन्याय के सामने आवाज उठाने के लिए, घुट घुट कर दूसरों की मर्जी के मुताबिक जीवन जीने के लिए। हम प्रति वर्ष 8 मार्च को अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं।

प्रस्तावना- लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में 73वाँ संशोधन अधिनियम मील का पत्थर साबित हुआ है। विकेन्द्रीकरण की इस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों को नेतृत्व में हिस्सेदारी प्राप्त हुई है। प्रस्तुत अध्ययन

• शोधार्थी समाजशास्त्र, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

ग्राम पंचायत स्तर पर निर्वाचित होकर आए अनुसूचित जाति महिला वर्ग के नेतृत्व के सूक्ष्म अध्ययन पर आधारित है। प्रस्तुत अध्ययन में विकेन्द्रीकरण को स्पष्ट करते हुए अनुसूचित जाति वर्ग की सामाजिक प्रस्थिति को उल्लेखित किया गया है। इसी क्रम में पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी के ऐतिहासिक परिदृश्य को प्रस्तुत किया गया है।

भारतीय लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था का मूल आधार पंचायत राज व्यवस्था रही है। सभ्य समाज की स्थापना के बाद से ही मनुष्य ने जब समूहों में रहना सीखा पंचायती राज के आदर्श एवं मूल सिद्धांत उसकी चेतना में विकसित होते आए हैं। इस व्यवस्था को विभिन्न कालों में अलग-अलग नामों से पुकारा जाता रहा कभी वे गणराज्य कहलाए, कभी नगर शासन व्यवस्था और कभी किसी अन्य नाम से उनकी पहचान हुई, लेकिन उन सारी व्यवस्थाओं में एक दूसरे के साथ रहने मिलजुल कर काम करने और अपनी तात्कालिक समस्याओं को अपने आप सुलझााने की प्रवृत्ति निरंतर विकसित होती रही। सहकारिता और आत्म-निर्भरता या स्वावलंबन इन व्यवस्थाओं का मूल मंत्र रहा है।

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट है कि महात्मा गांधी ने स्वतंत्र भारत में एक मजबूत पंचायती राज शासन पद्धति का स्वप्न संजोया था, जिसमें शासन कार्य की सबसे प्रथम ईकाई पंचायतें होगी। उनकी कल्पना पंचायतों की शासन व्यवस्था की धूरी होने के साथ ही आत्मनिर्भर पूर्णतया स्वायत्त और स्वावलंबी होने की थी। स्वतंत्रता के पश्चात् महात्मा गांधी की इस परिकल्पना को साकार करने हेतु समय-समय पर प्रयास किये गए। कभी ग्रामीण विकास के नाम पर और कभी सामुदायिक विकास योजनाओं के माध्यम से पंचायतों को लोकतंत्र का मूल आधार मजबूत बनाने के एिल उपयोग किया जाता रहा। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरह के प्रयोग इसके लिए चले। कुछ असफल रहे तो कुछ सफल रहे और अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय बने लेकिन पूरे देश में प्रशासन का विकेन्द्रीकरण करके बुनियादी स्तर पर पंचायतीराज की स्थापना और जनता के हाथ में, सीधे अधिकार देने की शुरुआत संवधिान के 73वें संविधान अधिनियम के माध्यम से संभव हुई।

73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत में पंचायतीराज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। पंचायतों में अनुसूचित जाति,

अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं को आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ।

पंचायती राज में अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व का उद्देश्य-

1. अनुसूचित जाति वर्ग के महिला नेतृत्व की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना जिसमें मुख्यतः उम्र, परिवार का आकार, शिक्षा, परिवार का आर्थिक स्तर, व्यवसाय, वैवाहित स्थिति, धर्म आदि से संबंधित जानकारी सम्मिलित है।
2. पंचायत राज व्यवस्था के क्रियान्वयन के संदर्भ में महिला नेतृत्व के दृष्टिकोण का पता लगाना तथा नवीन पंचायत राज व्यवस्था के बारे में जानकारी, पंचायतों की निर्वाचन प्रक्रिया, आरक्षण की व्यवस्था, पंचायत प्रतिनिधि के अधिकार एवं कर्त्तव्य, पंचायत प्रतिनिधियों का ग्रामीण विकास के संदर्भ में सोच, सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास की दिशा में प्रतिनिधियों की सजगता का स्तर पंचायतीराज की कार्य प्रणाली की जानकारी, कार्य करने में आने वाली बाधाएँ इत्यादि।
3. अनुसूचित जाति महिला वर्ग की राजनीतिक सजगता एवं अभिरूचि का मूल्यांकन करना तथा दलीय संबंधता राजनीतिक पृष्ठभूमि, स्थानीय समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण समाज के पिछड़े एवं दलित वर्गों के उत्थान हेतु कार्य योजना प्रशासन से संबंध, राजनीतिक महत्वकांक्षा, अनुसूचित जाति महिला वर्ग के नेतृत्व की इच्छा शक्ति आदि।

एस.एस. ढिल्लन (1955) ने दक्षिण भारतीय ग्रामों में नेतृत्व एवं वर्ग संबंधी अध्ययन किया। अपने अध्ययन के आधार पर उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय ग्रामीण नेतृत्व के स्वरूप में मुख्य तीन रूप से तीन तत्व प्रभावी होती हैं - प्रथम परिवार का उच्च सामाजिक स्तर, द्वितीय परिवार का आर्थिक स्तर, तृतीय व्यक्तिगत व्यक्तित्व के लक्षण। उत्तर भारत के ग्रामीण जीवन से संबंधित अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि भारत में ग्रामीण नेतृत्व का निर्धारण धन पारिवारिक प्रतिष्ठा, आयु, व्यक्तित्व के लक्षण, शिक्षा, बाह्य नेतृत्व से मेलजोल एवं प्रभाव, पारिवारिक प्रभावशीलता एवं वंश आदि तत्वों पर निर्भर करता है। पंचायत संस्थाओं के प्रमुख नेताओं एवं स्थानीय नेतृत्व संबंधी अपने अध्ययन में स्पष्ट किया है

कि पंचायत संस्थाओं के प्रमुख नेताओं एवं उच्च स्तर के नेतृत्व के बीच नए प्रकार के राजनीतिक संबंध विकसित हुए है, जिसके तहत पंचायती स्तर को नेतृत्व उच्च स्तर के नेतृत्व के लिए वोट बैंक के रूप में उपयोगी सिद्ध हुआ है, एवं इस प्रकार से सौदेबाजी की एक नई राजनीति का प्रचलन हुआ है। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में नवीन पंचायतीराज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। इस व्यवस्था के अनुरूप ही मध्यप्रदेश में पंचायत राज का विधान बना तथा पंचायतीराज संस्थाओं का गठन हुआ। इस व्यवस्था में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछडे वर्ग एवं महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की स्वायत्त इकाइयाँ बनाने के उद्देश्य से इन संस्थाओं को अधिकार, शक्तियों एवं कर्त्तव्य प्राप्त हुए। निर्देशन में 94 अनुसूचित जाति महिला सरपंचों को सम्मिलित किया गया। महिला सरपंचों से जानकारी एक साक्षात्कर-अनूसूची के माध्यम से एकत्रित की गई।

अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व की सामाजिक-आर्थिक स्थिति अनुसूचित जाति की वास्तविक स्थिति का ही प्रतिनिधित्व करती है। अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व पंचायतों में कम प्रतिस्पर्धा से आया है। उनकी ग्रामीण विकास एवं सामाजिक सुधार की बात उत्साहवर्धक मानी जा सकती है। अनुसूचित जाति के इन नेताओं, सरपंचों के उत्तरों को समग्र रूप से देखा जाये। ग्रामीण स्तर पर महिलाओं का एक ऐसा नेतृत्व उभर रहा है। अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व की पंचायतों में सजग एवं जागरुक नेतृत्व देने में सक्षम होगी।

पंचायती राज में महिला की भूमिका- भारत में पंच परमेश्वर तथा महिला स्वतंत्रता की परंपरा प्राचीनकाल से ही प्रचलन में थी। पंचपरमेंश्वर के रूप में ईमानदार और निष्ठावान सदस्य निष्पक्ष होकर सच्चा और सस्ता न्याय देते थे तथा महिलाएँ स्वतंत्रता पूर्वक अपने को साक्षर, शिक्षित और सशक्त बनाकर सामाजिक व्यवसा को संतुलित एवं सर्वहितकारी बनाने में निर्विघ्न नहीं रह पाया। दुर्भाग्यवश सैकड़ों वर्षों की पराधीनता के काल में विदेशी शासक अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति हेतु पंचायतीराज व्यवस्था तथा महिला स्वतंत्रता को जान-बूझकर समाप्त करने की चेष्टा करते रहे। महिलाओं को घरो की दीवारों के अंदर बंद रखने के लिए सतत प्रयास होते रहे, ताकि वे निरक्षर, अविकसित और शक्तिहीन बन जाएँ। ऐसी विकृत

व्यवस्था स्थापित करने में एक सीमा तक सफल भी हुए। सौभाग्य से सन् 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित और सक्रिय करने का प्रयास किया गया, फिर पुरुषों में सैकड़ों वर्षों की दासता वाली मानसिकता तथा महिलाओं में व्याप्त निरक्षरता और अवलापन की स्थिति के कारण पंचायती राज व्यवस्था सुदृढ़ और सक्रिय नहीं हो सकी। परिणामतः पुनर्जीवित की गई उस व्यवस्था से जो अपेक्षित परिणाम मिलने चाहिए थे, वे प्राप्त नहीं हो सके। इस विफलता के लिए उत्तरदायी अनेक कारणों में से एक प्रमुख कारण यह भी था कि उस पुनर्जीवित पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता चार शताब्दियों तक नगण्य सी रहती रही। उस स्थिति को सुधारने के लिए भारतीय संविधान में सन् 1992 में एक संशोधन अधिनियम (73वाँ और 74वाँ संशोधन) पारित किया गया, ताकि पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम से कम तिहाई अवश्य हो सके। संविधान के संशोधन से यह स्थिति तो बनी कि सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायतों में महिलाओं को एक तिहाई प्रतिनिधत्व मिल गया।

आधुनिक काल में अनुसूचित जाति समुदाय की सामाजिक स्थिति को परिवर्तित करने के लिए तथा शोषण, अन्याय और असमानता की व्यवस्था का अन्त करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से ही अनेक महत्वपूर्ण प्रयत्न किए गए हैं। ब्रिटिशकाल में पुलिस, कानून और न्याय की नवीन व्यवस्था स्वीकार करके परंपरागत जातिगत संस्तरण पर आधारित न्याय और सामाजिक आदान-प्रदान की व्यवस्था पर आघात किया। ब्रिटिश काल में ही अनेक सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, नवीन शिक्षा प्रणाली, पाश्चात्य के मूल्य, आदर्श और संस्थायें तथा नवीन सामाजिक विद्यानों ने भारतीय समाज में व्याप्त असमानता और शोषण के प्रति समाज के प्रबुद्ध वर्ग का ध्यान आकर्षित किया। स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हरिजन अछूतोद्धार और हरिजन कल्याण कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जाने लगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् इस कार्य को नवीन संवैधानिक राजनीतिक और आर्थिक बल प्रदान किया गया है। वर्तमान पंचायतीराज सामाजिक समता, और न्याय और व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर आधारित ग्रामीण जीवन का नया रूप देने का एक सामूहिक प्रयास है। इसी क्रम में पंचायतीराज में महिलओं के प्रमुख प्रयास रहे हैं।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में पंचायती राज व्यवस्था- वैदिक काल में ये पंचायतें बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। महाभारत काल के समय में पंचायतें अत्यंत महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाइयाँ थी। यहाँ तक कि राजा-महाराजा भी इन प्रथम इकाइयों, जो कि लोगों को स्थानीय प्रशासन और न्याय देती थी, के कार्य को बीच में बाधित करने से कतराते थे। श्री के. एम. पन्नीकर पंचायतों को प्राचीन भारत की बुनियाद मानते है। युद्ध के बारे में निर्णय लेने के साथ पंचायतें ग्रामों की सुरक्षा, कर लगाने का काम, स्थानीय झगड़ों का निपटारा, योजना का कार्यान्वयन और साधारण अधिकार की योजना की भी अधिकारणी शक्ति रखती थी।

स्वतंत्रता के पश्चात् पंचायती राज व्यवस्था- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के लिए मुख्य प्रावधान रखे गए। इसमें कहा गया है कि राज्य पंचायतों का गठन कर सकता है और उन्हें वह अधिकार और शक्ति दे सकता है, जो उन्हें स्थानीय स्वायत्त सरकार की तरह कार्य करने की शक्ति प्रदान कर सकें। देश की पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को समाज और जीवन के हर क्षेत्र में समानता के अवसर प्राप्त करने के योग्य बनाती है। वे ही पंचायतों से उनकी संबंधता पर असर डालती है। महिलाओं के बराबरी के दरजे की पहली बार भारतीय संविधान में मान्यता मिली।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सभी भारतीयों के लिए कानूनी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचार रखने की स्वतंत्रता, विश्वास और पूजा-पाठ, समान अधिकार और अवसर आपको आपसी भाई-चारे से आगे बढ़ाना, सभी को प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर देश की एकता बनाये रखने जैसे सुझाव पारित हुए। भारतीय महिलाओं को भी पुरुषों की तरह सभी अधिकार प्राप्त थे। भारतीय संविधान के अनेक अनुच्छेदों में महिलाओं को अधिकार दिये गये। विभिन्न अनुच्छेद में महिलाओं को कानून की नजरों में सब समान है तथा भेदभाव को निषेध माना गया है। राज्य के किसी भी कार्यालय में सशक्तिकरण अथवा नियुक्ति संबंधी मामले में सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध हो। राज्य नीति के संबंध में संविधान में नीति निर्देशक तत्व बनाए गए है, जिनमें मौलिक अधिकार भी सम्मिलित है।

पंचायती राज महिलाओं की स्थिति- भारतीय नारी सृष्टि के प्रारम्भ से ही अनंत गुणों का भण्डार रही है वह दया, करुणा ममता और प्रेम की पवित्र मूर्ति है। किसी राष्ट्र की परंपरा और संस्कृति उस राष्ट्र की महिलाओं से ही परिलक्षित होती है। महिलाएँ समाज की रचनात्मक शक्ति होती है। आने वाले कल को सुधारने के लिए हमें आज की महिला की स्थिति में सुधार लाना होगा। 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में 73वें संशोधन की तरह की शहरी स्थानीय निकाय, नगर-निगम और घोषित क्षेत्र प्राधिकरण के लिए प्रावधान बनाए गए। यह देश की महिलाओं के राजनैतिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। संवैधानिक संशोधन अधिनियम में राज्य विधान सभाओं और राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था अनिवार्य है। संविधान 81वें संशोधन का निर्माण हुआ। जिसमें महिलाओं के लिए एक तिहाई सीट संसद और राज्य विधान सभाओं में आरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया। महिला सशक्तिकरण से हमारा तात्पर्य महिलाओं की शिक्षा और स्वतंत्रता को समाहित करते हुए सामाजिक सेवाओं में समाज अवसर प्रदान करना, राजनैतिक और आर्थिक नीति निर्धारण में भागीदारी, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के तहत सुरक्षा देने का अधिकार आदि प्रदान करने से है। इसके साथ ही साथ ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में भी सुधार देखा गया है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. एच.एस. ढिल्लन, लीडर शिप एण्ड ग्रप्स इन साउथ इण्डिया विलेजस, प्रोग्राम ईवेल्यूएशन आर्गेनाइजेशन, प्लॉनिंग कमीशन, नई दिल्ली, 1995
2. ऑस्कर लेविस, ग्रुप डायनामिक्स इन नार्थ इंडिया विलेजस, ए स्टडी ऑफ फ्रेक्शन, प्लानिंग कमीशन, नई दिल्ली, 1958
3. अवतार सिंह लीडर शिप पैटर्न एण्ड विलेज स्ट्रक्चर, स्टलिंग पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1963
4. बी.एस. भार्गव, पंचायत राज सिस्टम एण्ड पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1979
5. डी.एस. चौधरी, इमर्जिंग रूरल लीडरशिप इन इण्डियन स्टेटस, मंथन पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1981
6. कुरुक्षेत्र (1964) पंचायती राज और महिला विकास, पाइंटर पब्लिशर्स, जयपुर

7. शर्मा हरिश्चन्द्र (1968) भारत में स्थानीय प्रशासन, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर
8. प्रसाद ईश्वरी (1956) राइज एण्ड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, सेन्ट्रल बुक डिपो, इलाहाबाद।
9. योजना पत्रिका मार्च 2019
10 कुरूक्षेत्र पत्रिका जनवरी 2017

मध्य प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान

• गायत्री देवी
•• आर. पी. गुप्ता

कृषि के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान प्रशंसनीय है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल महिला श्रमिकों में से 55 प्रतिशत खेतिहर मजदूर और 24 प्रतिशत कृषक थी, महिलाओं द्वारा निदाई, गोड़ाई, घास कटाई, कपास की छड़ी के संग्रह बीजों का देखभाल पशुओं का देखभाल, दूध दुहना, मत्स्य पालन करना आदि गतिविधियों में सहयोग सराहनीय है। महिला किसानों की सबसे बड़ी चुनौती भूमि के स्वामित्व के अधिकारों से वंचित रहना ऋण सुविधा का अभाव सूचनाओं से वंचित रहना है। कृषि के बहुमुखी विकास के लिये महिलाओं की हिस्सेदारी अहम है।

प्रस्तावना- भारतीय परंपरा में महिलाओं को दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती की उपाधि दी गई है समाज के विकास में पुरुषों के साथ-साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकास के रास्ते में सहयोग करने के लिये तैयार है। आज का युग महिला सशक्तीकरण का युग है। कृषि के क्षेत्र के अतिरिक्त व्यावसायिक औद्योगिक राजनैतिक सामाजिक एवं शासकीय नौकरियाँ सुरक्षा और देश के चौमुखी विकास में बराबर की हिस्सेदारी दे रही हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है यहॉ की 70 प्रतिशत आबादी कृषि के क्षेत्र में जीवकोपार्जन के लिये विकास में महत्वपूर्ण हिस्सा हैं आज की महिलाएं कृषि के क्षेत्र में पुरुषों के बराबर सहयोग करने के लिये पूर्णत: तैयार है। देश में करीब 48 प्रतिशत महिलाएं 75 करोड़ महिलाएं उत्पादन और पशुधन प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभा रही है। वर्ष 2011 के जनगणना के मुताबिक भारत में महिला किसानों की संख्या 3 करोड़ 60 लाख 45 हजार 846 है। खेती

• शोध छात्रा, वाणिज्य, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा, शोध केंद्र शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
•• प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रीवा, (म.प्र.)

किसानी में महिलाओं का योगदान के बावजूद भी महिलाओं की हिस्सेदारी या उनका योगदान शामिल नहीं किया जाता है। कृषि के क्षेत्र में खेत व इसके बाद कृषि की सारी गतिविधियों में कदम से कदम मिलाकर महिला किसान योगदान दे रही है। यूनाइटेड नेशन के खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार भारतीय कृषि में महिलाओं का योगदान 32 प्रतिशत है। इनके योगदान के बावजूद भी महिला किसान को फ्रैंडली मशीन बनाकर रखे हैं जबकि उनके इस क्षेत्र की सफलता की कहानियों में उनका नाम नहीं है यहां तक की महिला किसानों सशक्तीकरण पर होने वाले खर्च में सरकार 6 गुना कमी कर दी है। खेती में काम करने वाली कृषि वैज्ञानिक के रूप में उनके योगदान को रेखांकित नहीं किया जा रहा है।

खेती योग्य जमीन पर अधिकार- प्रधानमंत्री किसान सम्मान विधि स्कीम का विशेषण करने पर पता चला कि ज्यादातर राज्यों में महिलाओं के नाम औसतम् 23 से 25 फीसदी खेती योग्य जमीन है। पंजाब में बहुत कम है। मध्य प्रदेश में 26 प्रतिशत खेती योग्य जमीन महिलाओं के नाम है।

कृषि जनगणना के अनुसार महिलाओं का योगदान 118.7 मिलियन किसानों में से 30.3 प्रतिशत महिलाओं की हिस्सेदारी है। इसी तरह 144.3 मिलियन कृषि श्रमिकों में से 42.6 प्रतिशत महिलाएं हैं। कुल 146 मिलियन परिचालन में से महिला परिचालन सम्पत्ति धारकों का हिस्सा 13.87 प्रतिशत है। जबकि कृषि में महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सरकार को महिला किसानों व मजदूरों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधीन करने के लिये तैयार होना है। कृषि जनगणना के अनुसार 73.2 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं कृषिगत विधियों में संलग्न है किन्तु 8 प्रतिशत महिलाओं के पास ही भूमि का स्वामित्व है। भारत मानव विकास सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार 83 प्रतिशत कृषि भूमि पुरुष सदस्यों को परिवार के विरासत से मिली है जबकि महिलाओं को 2 प्रतिशत भूमि उत्तराधिकार में मिली है। इसके अतिरिक्त 81 प्रतिशत महिला कृषि मजदूर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग से है। 2011 के जनगणना के अनुसार 11.8 करोड़ कृषक और 4 करोड़ कृषि श्रमिक महिलाएं है।

कृषि में लैंगिक असमानता- प्रदेश में महिलाओं को वो अधिकार प्राप्त नहीं है जो उन्हें कृषक के रूप में प्राप्त होने चाहिए जैसे कि खेती के लिए कर्ज तथा कर्जमाफी फसल बीमा सब्सिडी महिला कृषकों को आत्महत्या

का मुआवजा। महिलाओं को किसानों के रूप में मान्यता न मिलना उनकी समस्याओं का यह एक पहलू ही महिलाओं को भूमि जल और जंगल पर अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त कृषि के अन्य समर्थन प्रणालियों जैसे, भण्डारण सुविधाओं, परिवहन लागत नये निवेश के लिये नगदी व पुराने बकायों का भुगतान एवं कृषि ऋण से संबंधित सेवाओं में लैंगिक भेदभाव किया जाता है। महिलाओं का कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद महिला किसान हासियों पर है जो शोषण के प्रति बहुत ही सुभेद है इस समस्या का कारण सांस्कृतिक सामाजिक व धार्मिक है।

कृषि कानून और महिला किसानों से संबंधित प्रावधान- महिला कृषक नए कृषि कानूनों से भी चिंतित है चूँकि सरकार की नीतियों का मुख्य उद्देश्य कभी भी असमानता या उनकी परेशानियों को कम करना नहीं रहा है। अत: महिला किसानों को डर है कि नये कृषि कानूनों से लैंगिक असमानता में और वृद्धि हो जायेगी।

महिला किसान मंच के अनुसार नये कृषि कानूनों में किसानों को शोषण से बचाने के लिये एम.एस. पी. का उल्लेख न होना प्रथम मुद्दा है। इससे महिला किसानों की सौदेबाजी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही महिलाएं ऐसी स्थिति में नहीं हैं जो एक सशक्त एजेंट संस्थाओं के साथ होने वाले समझौते को लिखित समझ सके या उन पर बातचीत कर सके इस प्रकार किसानों की उपज खरीदने के लिये या अन्य सेवाओं के लिये इन संस्थाओं से समझौता करने में महिलाओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यह स्पष्ट है कि किसानों को कार्पोरेट संस्थाओं के साथ सौदेबाजी की शक्ति प्राप्त नहीं होगी क्योंकि कार्पोरेट्स बिना किसी सुरक्षा जाल या पर्याप्त निवारण तंत्र के उपजों की कीमतें तय करेंगे। इससे महिला कृषक अधिक प्रभावित होगी।

परिणामत: लघु सीमांत और मध्यम किसानों को अपनी भूमि बड़े कृषि व्यावसायिक घरानों को बेचने और मजदूरी करने के लिये मजबूर होना पड़ेगा। सरकार को महिला किसानों की परेशानियों को भी समझना होगा क्योंकि वर्तमान में हो रहें विरोध में वे पुरुष के साथ बराबरी में शामिल है।

कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की समस्याएँ- महिलाओं के प्रत्यक्ष योगदान एवं सक्रिय भागीदारी के परिणामस्वरूप भारत अनेक प्रकार के फल सब्जी

और अनाज के मामले में महत्वपूर्ण उत्पादक देश बन गया है। पशुपालन, मछली पालन, चटनी, अचार, मुरब्बे यानि की खाद्य परीक्षण हथक रधा दस्तकारी जैसे कामों में ग्रामीण महिलाएं पीछे नहीं है। वे खेतों में कार्य करने के अलावा कृषि संबंधी मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय भी लेती है। कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण उपयोगिता होते हुए भी उन्हें बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कृषि कार्यों में लगी महिलाओं की कोई अपनी अलग पहचान नहीं है क्योंकि अर्थव्यवस्था की बागडोर प्रायः पुरुषों के पास रहती है। ज्यादातर के पास जमीनों के मलिकाना हक भी नहीं है। उनकी अशिक्षा अनभिज्ञता उदासीनता और अंधविश्वास रास्ते के रोड़े साबित होते हैं। पुरुषों के तुलना में उन्हें मजदूरी भी कम मिलती है। शिक्षा, सूचना तथा मनोरंजन के अवसर उन्हें अपेक्षाकृत कम मिलते हैं।

कृषि मंत्रालय के स्तर से भी निरंतर इस बात से प्रयास किये जा रहे हैं कि कृषि कार्यों में लगी ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में तेजी से सुधार हो। हमारे देश में कृषि विज्ञान केन्द्रों के द्वारा विकास हेतु कृषि कार्यों में लगी महिलाओं के लिये विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाते हैं। इनके द्वारा सिर्फ संस्थागत प्रशिक्षण की ही व्यवस्था नहीं की गई है बल्कि गाँवों में। ''महिला चर्चा मण्डल'' स्थापना की गई है और उनके माध्यम से महिलाओं के पास कृषि पशुपालन, बाल विकास तथा पोषाहार से संबंधित तकनीकी सूचनाएं प्रसारित की जाती है।

प्रयासों के बावजूद बहुत कम महिलाएं कृषि पशुपालन गृह बाटिका तथा गृह विज्ञान के नवीनतम तकनीकी से लाभान्वित हुई है। सहकारी समितियों में महिलाओं को सदस्य बनाने के लिये अभियान चलाने की आवश्यकता जिससे महिलाओं को भी सहकारी समितियों से ऋण तकनीकी मार्गदर्शन कृषि उत्पादों का विपणन आदि की सुविधा उपलब्ध हो सके। महिलाओं को संस्थागत ऋण प्राप्त हो इसके लिये खेत पर पति-पत्नी के नाम पर संयुक्त पट्टा होना चाहिए। महिलाओं की कुशलता और उनके कृषि औजारों की दक्षता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। राष्ट्र के विकास के लिये कृषि कार्यों में जुड़े ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण पर ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है।

महिलाओं द्वारा कृषि के नयी तकनीक के प्रयोग- किसी भी नई तकनीकी को अपनाने के पूर्व आवश्यक होता है कि जोखिम खड़ा करने

वाले तत्वों का निवारण किया जाए तथा बाजार में फैली झूठी भ्रांतियों से बचा जाए। तकनीक को अपनाने के पूर्व निम्नलिखित बिन्दुओं पर सोच-विचार कर उसकी विश्वसनीयता को परखें तथा जल्दबाजी से बचें। इस हेतु निम्नलिखित तथ्यों का ध्यान रखें-

पूरी जानकारी एकत्र करें- जानकारी के अमानक स्रोत अपने निजी स्वार्थों के चलते भ्रांतियां फैलाते हैं। इनके दुष्प्रचार से बचने के लिए किसी संस्था अथवा कृषि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि प्रसार केन्द्र, अनुसंधान केन्द्र एवं सरकारी संस्थाओं से सम्पर्क करें, साथ ही विश्वसनीय पत्र-पत्रिकाओं में भी उपलब्ध जानकारी खंगालें। इस प्रकार से आपके पास समस्त आवश्यक सूचना सही स्रोतों से ज्ञात हो सकेगी।

अवलोकन करें- प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अत: जब आपके पास समस्त जानकारी उपलब्ध हो जाए तो ऐसे प्रखण्डों या प्रक्षेत्र का अवलोकन करने अवश्य जाएं जहां पर तकनीकी का प्रदर्शन किया जा रहा है अथवा फसल खड़ी अवस्था में हो। इसमें फसल की अवस्था में लगने वाले कीट, रोग, भूमि का प्रकार आदि का भली-भांति निरीक्षण करें तथा अपनी तसल्ली कर लें। यथासंभव अपने साथ एक-दो अनुभवी एवं पैनी नजर वाले विश्लेषकों को साथ ले जाएं।

विशेषज्ञों की राय लें- यदि किसी कारणवश प्रदर्शन प्रक्षेत्रों का अवलोकन संभव नहीं है तो संबंधित अनुभवी वैज्ञानिकों या विषय-वस्तु विशेषज्ञों से शंका का समाधान अवश्य करें एवं उनकी राये लें। विशेषज्ञ से मिलने के पूर्व विषय संबंधी समस्त बिन्दुओं पर अच्छी तरह मनन् कर लें। तत्पश्चात् अपने प्रश्नों को संक्षेप में सूचीबद्ध कर लिख लें, ताकि आप विषय पर विस्तारपूर्वक चर्चा कर सकें।

बाजार की संभावनाएं तलाशें- औषधीय फसलों के बहुत से उत्पादक आज हानि उठा रहे हैं। इसके दो कारण हैं- पहला कारण है कि जिन लोगों ने उनसे, उनका उत्पादन क्रय करने का वायदा किया था वे या तो माल लेने से मुकर गए हैं या फिर मनमाने भावों पर माल क्रय कर रहे हैं। दूसरा कारण है कि औषधीय फसलों के विक्रेता स्वयं अपने उत्पाद का उपर्युक्त बाजार नहीं जानते और दलालों या बिचौलियों पर निर्भर है। एक समझदार और विवेकी किसान ऐसी परिस्थितियों को स्वयं पर हावी नहीं होने देता।

इसलिए आवश्यक है कि जो भी उपज या उत्पादन तैयार हो उसके विक्रय की समस्त संभावनाएं पहले ही तलाश लें, साथ ही यह भी देखें कि किस समय उक्त उपज का बाजार भाव अच्छा मिलता है।

योजना बनाएं- जब उपरोक्त बिन्दुओं पर आपकी तसल्ली हो जाए तब आप योजनाबद्ध तरीके से तकनीकी अंगीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। सुरक्षित कृषि हेतु जोखिम को कम करना अत्यावश्यक है। अतः नई फसल अथवा नई किस्म का बीज का वृहद स्तर पर परीक्ष न करें। प्रथम वर्ष अपनी कुल भूमि का एक चौथाई से अधिक भाग इस्तेमाल में न लें, क्योंकि इस समय लाभ अथवा हानि की अनिश्चितता रहती है। भूमि परीक्षण के पश्चात् फसल की आवश्यकता के अनुसार अनुशंसित जैव एवं रासायनिक उर्वरक तथा अन्य आदान खरीदें। किसी भी प्रकार का आदान लेने के पूर्व उसकी एक्सपायरी डेट अवश्य देखें। अपने क्रय की पक्की रसीद लेना न भूलें।

फसल बीमा कराएं- यदि आपके पास ली जाने वाली फसल बीमित फसलो की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं तो उसका बीमा अवश्य कराएं ताकि अन्य ऐसी कई योजनाओं का लाभ लें, जिनमें संभावित हानि की भरपाई की जा सके। इस प्रकार की जानकारी आपको पंचायत घर में तथा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है।

कृषक समूह बनाएं- संगठन में शक्ति होती है, जिस प्रकार से गन्ना उत्पादक समूह एक बड़ा संगठक है, उसी प्रकार की विभिन्न कृषि उत्पादकों (कृषकों) को मिलकर संगठित होना चाहिए। ऐसे कृषक समूहों को आवश्यक रूप से पंजीकृत कराएं तथा अपने समूह के उद्देश्य स्पष्ट एवं सामुदायिक उत्थान की भावना से उत्पन्न रखें, ताकि समूह का प्रत्येक सदस्य स्वयं को जिम्मेदार एवं समर्पित महसूस कर सके। समूह के कार्य की दिशा निर्धारित होनी चाहिए। इन समूहों के दीर्घकालीन व अल्पकालीन लक्ष्य तय होने चाहिए।

निर्णय लेने की क्षमता का विकास करें- जल्दी का काम शैतान का होता है। प्रगतिशील होना और जल्दबाजी होने में बहुत महीन फर्क होता है। आवश्यकता इस फर्क को पहचानने की है। प्रगतिशील कृषक लाभ-हानि के संदर्भ में दूरदृष्टि रखते हुए निर्णय लेता है, जबकि जल्दबाज कृषक विवेकहीनता के साथ धुएं में लट्ठ घुमाता है यानी चल गया तो तीर और न

चले तो तुक्का। इस तरह लाभ-हानि की संभावना 50-50 प्रतिशत हो जाती है, जबकि कृषि स्वयं मौसम का जुआ है।

महिलाओं का योगदान- महिलाएं किसी भी विकसित समाज की रीढ़ की हड्डी होती हैं। किसी भी समाज में महिलाओं की केंद्रीय भूमिका एक राष्ट्र की स्थिरता प्रगति और दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करती है। कई कारणों से कई विकासशील देशों में कृषि खराब प्रदर्शन कर रही हैं। इनमें मुख्य यह भी शामिल है कि महिलाओं के पास संसाधनों और अवसरों की कमी है। जिन्हें उन्हें बनाने की जरूरत है अपने समय का सबसे अधिक उत्पादक उपयोग।

महिलाएं किसान श्रमिक और उद्यमी हैं। लेकिन लगभग हर जगह उन्हें उत्पादक तक पहुँचने में पुरुषों की तुलना में ज्यादा बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यह लिंग अंतर उनकी उत्पादकता में बाधा डालता है और कम करता है कृषि उतपादकता में वृद्धि गरीबी और भूख को कम करके समाज के लिए लाभ और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

विकासशील देशों में कृषि श्रम में महिलाओं की हिस्सेदारी 38 प्रतिशत है। यह भी अनुमान है कि 45.3 प्रतिशत कृषि श्रम में केवल महिलाएं शामिल हैं। ग्रामीण महिलाएं खेत में काम करती हैं। अपनी जिम्मेदारियाँ संभालती हैं और घर के काम भी करती हैं।

घरेलू गतिविधियों में प्राथमिक काम पशुधन या पोल्ट्री फार्म की देखभाल करना है। प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास प्राकृतिक आपदाओं धीरे-धीरे जलायु परिवर्तन पुरुष प्रवाह और बदलती कृषि प्रौद्योगिकियों के कारण उनका काम कठिन होता जा रहा है। महिलाएं फसल उत्पादन बागवानी पशुधन कटाई के बाद के संचालन मत्स्य पालन कृषि-वानिकी और घरेलू गतिविधियों में व्यापक रूप से शामिल हैं। उनका अधिकांश समय ईंधन चारा और पानी के संग्रह घर में सब्जियाँ उगाने और मुर्गी पालन के लिए समर्पित है।

वे कृषि मजदूरी कमाने वालों और कुटीर उद्योग के माध्यम से घरेलू आय के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम वेतन पार्ट टाइम और मौसमी रोजगार में कम वेतन पर रखने की अधिक संभावना होती है और उनकी योग्यता पुरुषों की तुलना में अधिक होने पर भी उन्हें कम भुगतान किया जाता है।

भारत विभिन्न प्रकार के अनाज दालें बाजरा तिलहन नकदी फसलें वृक्षारोपण फसलें और बागवानी फसलों को उन क्षेत्रों में उगाता है जहां महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉ. स्वामीनाथन ने कहा है कि महिलाओं ने ही सबसे पहले फसल को बोया और खेती और विज्ञान की शुरूआत की थी। भूमि, जल, वनस्पति और जीव-जंतुओं जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

पशुपालन में महिलाएं- वैश्विक स्तर पर भारत का पहला स्थान दूध उत्पादन, तीसरा अंडा और पांचवा चिकन उत्पादन में है। पशुपालन के क्षेत्र में महिलाएं कई भूमिकाएं निभाती हैं। जैसे कि पशु शेड की सफाई, जानवरों की देखभाल, दूध निकालना, चारा खिलाना, पानी पिलाना, चारा संग्रह, चारे का भण्डारण और दूध देने वाले बर्तनों की सफाई, घी और दूध निकालना आदि शामिल है। महिलाएं गोबर से खाद बनाती है और खेत में ले जाती हैं। कभी-कभी वे टहनियों और फसल के अवशेषों के साथ गोबर मिलाकर खाना पकाने का ईंधन तैयार करती हैं। यद्यपि पशुधन और उसके उत्पादों पर महिलाओं का नियंत्रण अधिक नहीं है फिर भी वे पशुधन और उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

यदि हम ग्रामीण कुक्कुट पालन में महिलाओं की भागीदारी पर विचार करते हैं तो यह पक्षियों के भोजन और प्रबंधन से शुरू होकर घर से अंडे पक्षियों के खरीदने तक। इसलिए पोल्ट्री को महिला का क्षेत्र माना जाता है जो परिवार के पोषण और आय का कार्य करता है। इसी तरह ग्रामीण परिवारों में बकरी पालन में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाओं द्वारा बकरी पालन में की जाने वाली गतिविधियों जैसे कि प्रजनन के लिए जानवरों की देखभाल नवजात बच्चों की देखभाल और प्रबंधन खाद का संग्रह और बिक्री चारा संग्रह इसकी कटाई और कटाई और पशुओं को चरना आदि।

रेशम उत्पादन में महिलाएँ- भारत में रेशम उत्पादन सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसलों में से एक है। अनिवार्य रूप से एक गांव उद्योग पर आधारित हैं जहाँ ज्यादातर महिलाएं प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में पाई जाती हैं। विश्व स्तर पर एशिया को रेशम का मुख्य उत्पादन माना जाता है। क्योंकि यह 95 से भी अधिक उत्पादन करता है।

भारत को विश्व में रेशम के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में स्थान दिया गया है। और इसके पास 18 लगभग 28,000 मैट्रिक टन वार्षिक रेशम उत्पादन के साथ वैश्विक कच्चे रेशम उत्पादन में महिलाओं की हिस्सेदारी है। भारत के 6.39 लाख गांवों में से लगभग 69,000 गांवों में रेशम उत्पादन का अभ्यास किया जा रहा है। रेशम उत्पादन में कुल कार्य बल की लगभग 60 महिलाओं को शामिल किया गया है।

शहतूत के बगीचे में वे रेशमकीट खाद्य पौधों की खेती अंतर खेती निराई फार्म यार्ड खाद के आवेदन पत्ती की कटाई और उनके परिवहन कच्चे और उनके परिवहन कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए छंटाई और रेशमकीट लार्वा पालन में काम करते है। कोकून के बाद की तकनीक में महिलाओं को रेशमी धागे को घुमाने रंगने बुनाई और छपाई की कुशलता में शामिल किया जाता है। घर पर भी महिलाओं को रेशमकीट पालन गतिविधियों जैसे पत्ती काटना बिस्तर की सफाई रेशम के कीड़ों को खिलना स्वच्छता बनाए रखना पके हुए कीड़ों को उठाना और उन्हें अर्सबल पर रखना आदि की देखभाल करने की जिम्मेदारी भी महिलाएं निभाती है।

बागवानी में महिलाएं- बागवानी में महिलाएं भूमिका निभाती है। फर्ला की खेती में सिंचाई छंटाई और ग्रेडिंग में शामिल होती है। सब्जी उत्पादन मे महिलाओं की भागीदारी खेत की तैयारी बीज की सफाई बीज की बुवाई रोपाई की रोपाई निराई कटाई छंटाई और ग्रेडिंग में होती है। कभी-कभी वे खाद डालने के लिए भी जाती है। जिन कृषि कार्यो में महिलाओं की भागीदारी शत-प्रतिशत होती है। उनमें उत्पाद की सफाई कटाई भंडारण जैसी गतिविधियां शामिल हैं चयनित महिलाआं को सब्जियों फलों और औषधीय पौधों की जैविक खेती के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। वे मशरूम की खेती वर्मी-कम्पोस्ट प्रसंस्करण फूलों की खेती नर्सरी रखरखाव टिशू काल्वर फलों और फूलों के अंकुर उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से अत्यधिक रोजगार उत्पन्न करती है।

फॉरेस्ट्री में महिलाएं- ज्यादातर भारतीय ग्रामीण और आदिवासी आबादी पर जंगलों पर निर्भर करती है। भारत में सामाजिक-सांस्कृतिक विविधताओं के आधार पर महिलाएं गैर-लकड़ी वन उत्पादो एनटीएफपी की प्रमुख संग्राहक और उपयोगकर्ता हैं। वे फल, नट जड़ें कंद सब्जियां मशरूम रस गोंद दवाएं बीज घरेलू सामान निर्माण सामग्री अंडे शहद फर

जंगली पत्ते और कृषि उपकरण एकत्र करती है। महिलाएं वानिकी और कृषि–वानिकी मूल्य श्रृंखलाओं में विशेष योगदान देती है। इसके अलावा महिलाओं द्वारा इन गतिविधियों से उत्पन्न आय उनके घरों की क्रय शक्ति में महत्वपूर्ण वृद्धि करती है।

ग्रामीण उत्पादन में महिलाएं- भारतीय ग्रामीण महिलाएं मजदूरी गैर–कृषि आय सृजन गतिविधियों में लगी हुई हैं प्रमुख गतिविधियों में उनकी भागीदारी पशुधन छोटे उद्यमों कृषि प्रसंस्करण और घरेलू उद्यानों के माध्यम से होती है। वे टोकरी झाड़ू रस्सी और चटाई बनाने रेशम कोकून पालन बास के काम लाख की खेती तेल निष्कर्षण और पत्ती प्लेट बनाने आदि जैसे छोटे पैमाने के उद्यमों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

महिलाएं अपने परिवार के जीवन की गुणवत्त को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला कार्यक्रम और भारत के मनरेगा कार्यक्रम के माध्यम से काम करती है। इन सरकारी कार्यक्रमों योजनाओं का उद्देश्य गरीबी और बेरोजगारी को कम करना स्वास्थ्य और शैक्षिक स्थिति में सुधार करना और ग्रामीण आबादी के भोजन आश्रय और कपड़े जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना है।

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में महिलाएं- भूमि उपयोग और उसके प्रबंधन में महिलाएं बहुत योगदान देती है। वे वनों से खाद तैयार करती है। भारतीय महिलाओं ने चिपको अप्पिको जैसे वनों की सुरक्षा के लिए कई आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे जानते है कि पानी की गुणवत्ता का सरंक्षण और रख रखाव कैसे किया जाता है पहाड़ी क्षेत्रों की महिलाएं अपने घरों के आसपास के संसाधनों को उपयोग में कैसा लाना है इस से भलीं भांति परिचित है।

खाद्य सुरक्षा में महिलाएं- पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे प्रमुख अनाज पशुधन और मत्स्य उत्पादों के प्रोसेसर के खाद्य उत्पादक के रूप में कार्य करती है उनकी भूमिका प्रबंधकों से लेकर भूमिहीन मजदूरों तक होती हैं गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं वृद्ध और बीमार व्यक्तिओं बच्चों और अन्य सहित परिवार के सदस्यों को सही भोजन प्रदान करने की मुख्य भूमिका महिलाएं ही निभाती है।

कृषि महिलाएं हरी पत्तियां सब्जियां और फलों की आपूर्ति करती है। गायों के पालन से दूध और उत्पादक मुर्गी पालन बत्तख पालन पक्षियों स्थानीय जलाशयों से स्थानीय मछलियों और केंकड़ों के पालन के माध्यम से अंडे बरसात के मौसम में इलाके से संग्रह मे माध्यम से मशरूम और मधुमक्खी पालन के माध्यम से शहद खाद्य और पोषण सुरक्षा वैश्विक समुदाय का एक महत्वपूर्ण विकास एजेंडा बना हुआ है।

कृषि और जेडर मुद्दों में महिलाओं योगदान को ध्यान मे रखते हुए कार्यक्रम योजनाओं और अनुसंधान परियोजनाओं को महिलाओं के लिए विकसित किया जाना चाहिए कृषक महिलाओं द्वारा की जाने वाली कृषि गतिविधियों को केवल उनके लिए आरक्षित रखा जाना चाहिए जिससे उन्हें साल भर रोजगार मिल सके

महिलाओं का सशक्तिकरण उनके मानसिक और बौद्धिक स्तर को देखते हुए व्यक्तिग घरों से शुरू होना चाहिए। दूसरी ओर महिलाओं को सशक्तिकरण के लाभों को अधिकतम करने के लिए खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक मजबूत नेटवर्क विकसित करना चाहिए जिससे लैंगिक असमानता और अभाव कम होगा और गुणवत्तापुर्ण जीवन बनाए रखने में मदद मिलेगी।

उपसंहार- कृषि के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान सारहनीय है। महिलाएं कृषि विकाश और उसमें सम्बंधित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कृषि में महिलाओं की भागीदारी की प्रकृति और सीमा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बहुत भिन्न होती है। इन विविधताओं के बावजूद भी महिलाएं विभिन्न कृषि और संम्बन्ध गतिविधियों में सक्रीय रूप से योगदान दे रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल महिला श्रमिकों में से 55 प्रतिशत खेतिहर मजदूर थी और 24 प्रतिशत कृषक थी केवल 12.8 प्रतिशत परिचालन ज्योत का स्वामित्व महिलाओं के पास था जो कृषि भूमि के स्वामित्व में लैगिंक असमानता को दर्शाता है। महिलाओं द्वारा परिचालन ज्योत 25.7 प्रतिशत का है। ग्रामीण महिलाएं कई श्रम गृहण कार्य करती है। जैसे निदाई गोड़ाई घास काटना चुनना कपास की छड़ी का संग्रह रेसे से बीजों को अलग करना पशुओं को रखना और उससे जुड़ी हुई विभिन्न गति विधियाँ करना तथा दूध दुहना दुग्ध और बनी हुई मिठाईयाँ तैयार करना महिला किसानों की सबसे बड़ी चुनौती भूमि के स्वामित्व के अधिकारों से वंचित

रहना वित्तीय ऋण सुविधा का आभाव प्रमुख संसाधनों सूचना और कृषि विस्तार सूचनाओं से वचिंत रहना और महिलाओं का तिहरा बोझ जैसे खेत का काम रसोई का काम बच्चों का पालन पोषण आदि है। सरकार द्वारा समय समय पर महिलाएं के उत्थान के लिये कई योजना एवं बनाये या प्रयास किया गये हो जैसे महिला किसान सशक्ती कारण योजना महिला केन्द्रित राष्ट्रीय नीति जेंडर आधारित बजट महिला किसान दिवस 15 अक्टुबर को घोषित करना आदि सरकारी प्रयास किया गया है। कृषि के सर्वागणी विकास के लिये महिलाओं के हिस्सेदारी अहम भूमिका अदा करता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. कृषक भारतीय राष्ट्रीय कृषि पत्रिका किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला शहडोल (म.प्र.)
2. फार्म एवं फूड पत्रिका 1 नवम्बर 2019 पृष्ठ संख्या 15,16,26,27
3. जवाहरलाल कृषि संदेश त्रैमासिक पत्रिका अंक 29 अप्रैल जून 2020
4. कुरूक्षेत्र मासिक पत्रिका नवम्बर 2022 पृष्ट संख्या 42, 43
5. पठारी कृषि वर्षा कृषि विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका 2019
6. Http://www.krishisewa.com.1444
7. Khabarianariya.org
8. Https://www.ponjabkesari.in news

आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भूमिका

• निशा सिंह

भारत "आजादी का अमृत महोत्सव" के साथ अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस क्रम में सशक्त नारी–सशक्त भारत के नारे के साथ महिला सशक्तीकरण पर भी बल दे रहा है।

विकास का मतलब केवल संख्या ही नहीं है। यह देश के प्रतिगामी सामाजिक ढांचे को बदलने और भाई है। परोपकार सहित जमीनी स्तर पर काम करने वाली कुछ सबसे बड़ी नींव महिलाओं के नेतृत्व वाली है। पूर्वाग्रहों को चुनौती देने से भी आता है। उस पहलू में, भारतीय महिलाओं ने देश के दृष्टिकोण को बदलने में एक प्रमुख भूमिका का निर्वाह किया है,उनके योगदान को नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

- अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी में सुधार की आवश्यकता एक दीर्घकालिक प्राथमिकता रही है और यह सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में भी महत्वपूर्ण है।
- सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण महिलाओं की श्रम भागीदारी दर मार्च 2022 में मात्र 9.92 प्रतिशत थी, जबकि पुरूषों के लिये यह 67.24 प्रतिशत थी।
- आजीविका कमाने के लिये (यहाँ तक कि कम भुगतान और कठिन कार्य परिवेश में भी) विभिन्न प्रकार के कार्यों के बीच निरंतर भटकती हुई ऐसी महिला श्रमिकों को अनिवार्य श्रमिक या बलात्श्रम श्रमिक के रूप में संदर्भित किया जा सकता है।
- चूँकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारत की राष्ट्रीय आय में एक महत्वपूर्ण योगदान करती है, इसलिये ग्रामीण महिलाओं की

• रिसर्च स्कॉलर, व्याख्याता अर्थशास्त्र, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करवां जिला-सूरजपुर(छ.ग.)

समस्याओं पर ध्यान देने और तत्काल कार्यवाई करने की आवश्यकता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान

यद्यपि एक राष्ट्र के रूप में हमारे पास महिला श्रम शक्ति की भागीदारी कम है, फिर भी महिलाओं ने देश के सकल घरेलु उत्पाद में योगदान दिया है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में महिलाओं का योगदान 18: है, महिलाओं के लिए बेहतर अवसरों के साथ, दर में सुधार हो सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी काफी हद तक कृषि प्रधान है, कम से कम ग्रामीण भारत में, और महिलाओं के योगदान ने कृषि को समृद्ध बनाया है, यह महिलाएं हैं जो भारी शारीरिक कार्यों में अधिक योगदान देती है। 2011 की जनगणना के अनुसार, 97.6 मिलियन महिलाएं कृषि क्षेत्र में काम करती हैं जो इसे कुल कृषि कार्यबल का लगभग 37 प्रतिशत बनाती है।

अक्टूबर 2020 में जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर-दिसंबर 2019 में महिला बेरोजगारी की दर 9. 8 प्रतिशत रही जो वर्ष 2019 में जुलाई-सितंबर की तिमाही के आँकड़ों से अधिक है, गौरतलब है कि COVID-19 महामारी के बाद देशभर में बेरोजगारी के आँकड़ों में व्यापक वृद्धि देखी गई।

असंगठित क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी

- कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी लगभग 60 प्रतिशत है परंतु इनमें से अधिकांश भूमिहीन श्रमिक हैं जिन्हें स्वास्थ्य, सामाजिक या आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कोई भी सुविधा नहीं प्राप्त होती है।
- वर्ष 2019 में मात्र 13 प्रतिशत महिला किसानों के पास अपनी जमीन थी और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, यह अनुपात मात्र 12.8 प्रतिशत था।
- इसी प्रकार विनिर्माण क्षेत्र (लगभग पूरी रतह असंगठित) में महिला श्रमिकों की भागीदारी लगभग 14: ही है।
- सेवा क्षेत्र में भी अधिकांश महिलाएँ कम आय वाली नौकरियों तक ही सीमित हैं, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 2005 के अनुसार, 4. 75 मिलियन घरेलू कामगारों में से 60 प्रतिशत से अधिक महिलाएँ हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका

- भारत में महिला रोजगार संबंधी आँकड़े देश के आर्थिक विकास, कम प्रजनन दर और स्कूली शिक्षा की दर में वृद्धि जैसे संकेतकों से मेल नहीं खाती।
- वर्ष 2004 से वर्ष 2018 के बीच स्कूली शिक्षा के मामले में घटते लैंगिक अंतराल के विपरीत कार्य क्षेत्रों में भागीदारी के संदर्भ में लैंगिक अंतराल में भारी वृद्धि देखने को मिली।
- हाल ही में जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS), 2018.19 के अनुसार, कार्यक्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी में भारी गिरावट देखने को मिली है।
- वर्ष 2011–19 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यस्थलों पर महिलाओं की भागीदारी 35.8: से घटकर 26.4: ही रह गई।
- वर्ष 2019 में 'विश्व आर्थिक मंच' (World Economic Forum-WEF) की 'वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट' में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और इसके लिये उपलब्ध अवसरों के संदर्भ में भारत को 153 देशों की सूची में 149 वें स्थान पर रखा गया था।
- गौरतलब है कि इस सर्वेक्षण में भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसमें आर्थिक भागीदारी में लैंगिक अंतराल राजनैतिक लैंगिक अंतराल से अधिक पाया गया।
- वर्ष 2019 में जारी ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार, लिंग के आधार पर वेतन के मामले में होने वाले भेदभाव के मामले मे एशिया के देश सबसे प्रमुख हैं, एशिया में समान योग्यता और पद पर कार्य करने वाली महिलाओं को 34 प्रतिशत कम वेतन प्राप्त हुआ।

जब हम विकास की बात करते हैं, तो पर्यावरण पर विकास के प्रभाव को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन से विस्थापित होने वाले लोगों में 80 प्रतिशत महिलाएं हैं। पर्यावरण क्षरण के परिणामों के प्रति महिलाएं अधिक संवेदनशील हैं। इसलिए, बहुत सी महिलाएं पर्यावरण के रक्षक के रूप में उभरी है। इसके कारण, हाल के दिनों में पारिस्थितिक नारीवाद की अवधारणा ने भी लोकप्रियता हासिल की है।

- वर्तमान समय में देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के साथ, कार्यस्थलों पर व्याप्त भेदभाव और महिला सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को दूर करने के लिये बहु-पक्षीय प्रयासों को अपनाया जाना चाहिये।
- सरकार को असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं के लिये लक्षित योजनाओं (प्रशिक्षण, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा आदि) के साथ अर्थव्यवस्था के सभी स्तरों पर महिलाओं की भागीदारी और उनके हितों की रक्षा सुनिश्चित करने से जुड़े प्रयासों पर विशेष ध्यान देना होगा।
- कार्यस्थलों पर महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये यातायात साधनों की पहुँच में विस्तार के साथ सार्वजनिक स्थलों पर प्रसाधन केंद्रों आदि के तंत्र को मजबूत करना बहुत आवश्यक है।
- उच्च शिक्षा और पेशेवर प्रशिक्षणों में शामिल होने के लिये महिलाओं को सहयोग प्रदान करने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की पहुँच को मजबूत करने पर विशेष ध्यान देना होगा। इसके साथ ही नीति निर्माण और महत्वपूर्ण संसाधनों के शीर्ष तंत्र में महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ाने हेतु प्रयास किये जाने चाहिये।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

- The Hindu "Recognising the compulsory woman worked at 20.06.2022
- The Indian Express
- Business line

स्वामी विवेकानन्द की दृष्टि में नारी के आदर्श प्रतिमान

• ऋचा मिश्रा

आज अधिकांशतः महिलाओं को यह समझाने का प्रयास किया जाता है कि उनकी श्रेष्ठता की कसौटी उनका दैहिक सौन्दर्य है। यह विचार पूरी स्थिति को बदल देता है। आवश्कता यह है कि महिलायें अपने प्रति सचेत हो, अपनी स्थिति से परिचित हो और इसके लिये जरूरी है कि वे निरक्षरता और अज्ञान की अन्धेरी सुरंग से निकलकर शिक्षा और ज्ञान के आलोक में विचरण करें। स्वामी विवेकानन्द के विचार भारतीय महिलाओं के लिये आज भी आदर्श हैं। उन्होंने महिलाओं को सम्बोधित करते हुये कहा था कि भारत! तुम मत भूलना कि तुम्हारी स्त्रियों का आदर्श सीता, सावित्री, दमयन्ती है, मत भूलना कि तुम्हारे उपास्य सर्वत्यागी उमानाथ शंकर हैं, मत भूलना कि तुम्हारा विवाह, तुम्हारा धन और तुम्हारा जीवन इन्द्रिय-सुख के लिए तथा अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है, मत भूलना कि तुम जन्म से ही 'माता' के लिए बलिस्वरूप रखे गये हो, मत भूलना कि तुम्हारा समाज उस विराट् महामाया की छाया मात्र है।

प्रत्येक भारतीय भगवान् श्रीराम और माता सीता के जीवन को आदर्श मानता है। प्रत्येक बालिका सीता जी के भव्य आदर्श की आराधना करती है। भारत की प्रत्येक स्त्री की यह आकांक्षा रहती है कि वह अपने जीवन को भगवती सीता के समान पवित्र एवं भक्तिपूर्ण बनाये। सीताजी और भगवान् श्रीराम के चरित्रों के अध्ययन से भारतीय जीवन के आदर्श का पूर्ण ज्ञान होता है। जीवन के पाश्चात्य और भारतीय आदर्शों में भारी अन्तर है। सीता का चरित्र भारतीय महिलाओं के लिए सहनशीलता का आदर्श है। पाश्चात्य संस्कृति कहती है कि आज यन्त्रवत् कार्य में लगे रहो और अपनी शक्ति का परिचय कुछ भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करके दिखाओ। भारतीय आदर्श, इसके विपरीत, कहता है कि तुम्हारी महानता दुःखों को

• शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश

सहन करने की शक्ति में है। पाश्चात्य आदर्श अधिक से अधिक धन-सम्पत्ति के संग्रह में गर्व करता है, भारतीय आदर्श हमें अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम कर जीवन को सरलतापूर्वक व्यतीत करना सिखाता है। इस प्रकार पूर्व और पश्चिम के आदर्शों में दो ध्रुवों का अन्तर है। माता सीता भारतीय आदर्श की प्रतीक है। इसलिए हमारे लिए सीता जी का आदर्श अनुकरणीय है। सीताजी का चरित्र अद्‌भुतरम्य है (सीताजी के जीवन चरित्र का उद्रव विश्व इतिहास की वह घटना है, जिसकी पुनरावृत्ति असम्भव है। यह सम्भव है कि विश्व में अनेक राम का जन्म हो, परन्तु दूसरी सीता कल्पनातीत है। सीताजी भारतीय नारीत्व को उज्जवलता का प्रतीक हैं। पूर्ण-विकसित नारीत्व के सभी भारतीय आदर्शों का मूल स्रोत वही एकमात्र सीता-चरित्र है। आज सहस्रों वर्ष के उपरान्त भी भगवती सीता काश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक, क्या पुरुष, क्या स्त्री और क्या बालक-बालिका, सभी की आराध्यदेवी हैं) पवित्रता से भी अधिक पवित्र, धैर्य और सहनशीलता की साक्षात् प्रतिमा रामदयिता सीता सदा-सर्वदा इस महान् पद पर आसीन रहेंगी।

स्वामी विवेकानन्द के समक्ष यह प्रश्न उठा कि स्त्रियों को किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है। इसका उत्तर देते हुये उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि भारत की स्त्रियों को ऐसी शिक्षा दी जाय, जिससे वे निर्भय होकर देश के प्रति अपने कर्तव्य को भलीभांति निभा सकें ओर संघमित्रा, लीला, अहिल्याबाई और मीराबाई आदि भारत की महान् देवियों द्वारा चलायी गयी परम्परा को आगे बढ़ा सकें। भारत की स्त्रियां पवित्रता व त्याग की मूर्ति हैं, क्योंकि उनके पास वह बल और शक्ति है, जो सर्वशक्तिमान परमात्मा के चरणों में सम्पूर्ण आत्मसमर्पण से प्राप्त होती है। ..... मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि धर्म ही शिक्षा का मेरूदण्ड है।" धर्म, शिल्प विज्ञान, गृहकार्य, स्वास्थ्य, रन्धन, सीना-पिरोना आदि सब विषयों का स्थूल मर्म सिखलाना उचित है। केवल पूजा-पद्धति सिखलाने से ही काम न बनेगा। सब विषयों में उनकी आंखे खोल देना उचित है। छात्राओं के सामने आदर्श नारी-चरित्र सर्वदा रखकर त्यागरूप व्रत में उनका अनुराग उत्पन्न करना होगा। सीता, सावित्री, दमयन्ती, लीलावती, मीराबाई आदि के जीवन चरित्र बालिकाओं को समझाकर, उन्हें अपने जीवन को इसी प्रकार गढ़ने का उपदेश देना होगा। उन्हें पुराण, इतिहास, गृहविज्ञान एवं शिल्प आदि

की शिक्षा वर्तमान विज्ञान की सहायता से देनी होगी। इतिहास साक्षी है कि सहस्र वेदज्ञ ब्राह्मणों की सभा में गार्गी ने गर्व के साथ याज्ञवल्क्य को ब्रह्मज्ञान के शास्त्रार्थ के लिये आह्वान किया था। इन सब आदर्श विदुषी स्त्रियों को जब उस समय अध्यात्मज्ञान का अधिकार था, तब फिर आज भी स्त्रियों को वह अधिकार क्यों न रहेगा? एक बार जो हुआ है, वह पुनः अवश्य हो सकता है। इतिहास की पुनरावृत्ति हुआ करती है। सभी जातियां स्त्रियों की पूजा करके बड़ी बनी हैं। जिस देश, जिस जाति में स्त्रियों की पूजा नहीं होती, वह देश, वह जाति कभी बड़ी नहीं बनी और न कभी बन ही सकेगी। मनु ने कहा है, 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः।।' जहां पर स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, जहां वे दुःखी रहती हैं उस परिवार की, उस देश की उन्नति की आशा कभी नहीं की जा सकती। इसलिए पहले इन्हें उठाना होगा। प्रत्येक मनुष्य को स्त्रियों के प्रति मातृभाव रखना चाहिए, फिर वह चाहे किसी भी जाति की कैसी भी स्त्री क्यों न हो। इसीलिए लड़कियों के लिए गांव-गांव में पाठशालाएं खोलकर उन्हें शिक्षित बनाने के लिए कहता हूँ। स्त्रियां जब शिक्षित होंगी, तभी तो उनकी सन्तानें सत्कर्म करेंगी और भारत में विद्या, ज्ञान, शक्ति भक्ति जागेगी। इसलिए सर्वप्रथम स्त्री को सुशिक्षित बनाओ, फिर वे स्वयं कहेंगी कि उन्हें किन सुधारों की आवश्यकता है। तुम्हें उनके प्रत्येक कार्य में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है? अपनी समस्याओं की पूर्ति वे स्वयं कर लेंगी। बालिकाओं के विवाह के सम्बन्ध में स्वामी विवेकानन्द यह मानते थे कि पावित्र्य और सतीत्व तो भारतीय नारी की वह बहुमूल्य निधि है, जो उसे अतीत काल से परम्परा में प्राप्त हुई है। इसीलिए स्वभावतः वह उसे समझती है। सर्वप्रथम, हमें उनमें इस आदर्श के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न करनी चाहिए। यदि वे इस आदर्श पर दृढ़ हो गयीं, तो इसके फलस्वरूप उनका चरित्र इतना बलवान और दृढ़ होगा कि उसके प्रभाव से वे अपने प्राणों की आहुति देकर भी अपने पावित्र्य एवं सतीत्व की रक्षा करना अपना धर्म समझेंगी - चाहे वे विवाहित हों अथवा अविवाहित रहने का ध्रुव-संकल्प धारण किये हों। स्वामी विवेकानन्द से जब यह पूंछा गया कि क्या आपके विचार से स्त्री और पुरुष दोनों का विवाह अधिक आयु में होना चहिए? तो उन्होंने उत्तर दिया अवश्य, परन्तु साथ ही साथ उन्हें उचित शिक्षा भी देनी चाहिए, अन्यथा अनाचार फैलने की सम्भावना है। शिक्षा से

मेरा तात्पर्य कन्याओं को आजकल दी जाने वाली शिक्षा से नहीं, वरन् सच्ची रचनात्मक शिक्षा से है। केवल पुस्तकी विद्या से कुछ भला नहीं हो सकता। हमें तो वह शिक्षा चाहिए, जिससे मनुष्य का चरित्र निर्माण होता है, उसके मानसिक बल की वृद्धि होकर उसका बौद्धिक विकास होता है और उसे अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति प्राप्त होती है।

इस प्रकार से स्त्रियों की शिक्षा होने पर स्त्रियां अपनी समस्याओं को स्वयं सुलझा लेंगी। आज तक तो उन्हें दासता एवं परवशता की ही शिक्षा मिलती रही है, जिसका परिणाम यह हुआ कि छोटी सी भी आपत्ति अथवा दुर्घटना के आने पर वे अश्रुपात के अलावा और कुछ नहीं कर सकतीं। शिक्षा के साथ स्त्रियों में साहस और वीरता का प्रादुर्भाव होना चाहिए। आज की परिस्थिति में यह अनिवार्य हो गया है कि वे आत्मरक्षा की शिक्षा प्राप्त करें। क्या आपको झांसी की रानी की वीरता विदित नहीं है? भारतीय समाज में पति या पत्नी के चुनाव में पूर्ण स्वतन्त्रता चाहिए, क्योंकि विवाह पर ही हमारे भावी जीवन का सुखमय अथवा दुःखमय होना निर्भर है। अतः इस विषय में विवाहेच्छु नवयुवक और नवयुवतियों को अपने लिए वधू या वर के चुनाव का पूरा-पूरा अधिकार होना चाहिए। विवाह इन्द्रियसुख के निमित्त नहीं किन्तु मानव वंश को आगे चलाने के लिए होना चाहिए। विवाह का भारतीय आदर्श यही है।

स्वामी विवेकानन्द जी के उक्त विचार उच्च नैतिकता के प्रतिमान है। आज भारत में मूल्य आधारित शिक्षा दिये जाने पर जोर दिया जा रहा है। इसलिये यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम हम शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नैतिक अवमूलयन को रोकें। बालक-बालिका के अन्तर को समाप्त करते हुये समाज में स्त्री-पुरुषों के बीच पूर्ण समानता स्थापित करें।

जुलाई 2020 में केंद्रीय सरकार द्वारा एक नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। यह शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पहले 1968 तथा 1986 में शिक्षा नीतियां लागू की गई थी। हमारी शिक्षा नीति1986 से चली आ रही है। 34 साल से हमारी शिक्षा नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। वास्तव में इसमें बदलाव की आवश्यकता थी। बदलते वैश्विक परिवेश में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा वैश्विक स्तर पर

भारतीय शिक्षा व्यवस्था की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा नीति में परिवर्तन आवश्यक था ऐसे में नई शिक्षा नीति 2020 बहुत महत्व रखती है। इसमें विद्यालय स्तर जिसमें प्री स्कूल, प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतम स्तर तक कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस शिक्षा नीति के द्वारा 2030 तक सभी के लिए समावेशी एवं समान गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। यह 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश की आवश्यकताओं को पूरा करना है । यह नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है। एक सभ्य समाज का निर्माण उस देश के शिक्षित नागरिकों द्वारा होता है और नारी इस कड़ी का अहम हिस्सा है, वैसे शिक्षा सभी के लिए स्त्री हो या पुरुष समान रूप से महत्वपूर्ण है। किसी भी देश की नागरिक होने के नाते शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक स्त्री का मूल अधिकार है जो देश की प्रगति,उन्नति एवं विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि हम वर्तमान परिस्थिति की चर्चा करें, तो आज नारी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुकी है सभी क्षेत्रों में उसका पदार्पण हो चुका है। आज नारी हर क्षेत्र में आगे आई हैं लेकिन यह स्थिति सभी वर्ग की महिलाओं पर लागू नहीं होती।

अभी भी ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्र सामाजिक आर्थिक एवं अल्पसंख्यक रूप से पिछड़ी महिलाओं को सशक्तिकरण की आवश्यकता है और सशक्तिकरण का सबसे अच्छा साधन शिक्षा है। नारी के लिए शिक्षा और भी अधिक आवश्यक है क्योंकि वह केवल स्वयं शिक्षित नहीं होती बल्कि अपने पूरे परिवार एवं बच्चों को भी शिक्षित करती है चाहे घर हो या बाहर दोनों की जिम्मेदारियां निभाती है। नारी शिक्षा के लिए समय-समय पर अनेक प्रयास किए गए हैं, योजनाए बनाई गई और सफल भी हुई है। उसके बावजूद भी महिलाएं जो हमारी कुल जनसंख्या का आधा हिस्सा मानी जाती है वह अभी भी अशिक्षित है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. स्वामी विवेकानंद साहित्य भाग 1
2. शर्मा, प्रज्ञा (2006), भारतीय समाज में नारी, पाइन्टर पब्लिर्शस, जयपुर
3. दोषी,एस.एल.एवं जैन, पी.सी, (2002) भारतीय समाज संरचना और

परिवर्तन,नेशनल पब्लिशिंग हाउस,जयपुर

4. भट्ट,जयश्री (1998) समाज कल्याण : नारी दीक्षा संस्कृति, आदित्य पब्लिशिंग,बीना
5. भट्टाचार्य,सुनील (2004) भारत की सामाजिक समस्याएँ राधा पब्लिशिंग, नई दिल्ली

महिला सशक्तिकरण में लैंगिक समानता एक चुनौती

• रेशमा देवी
•• डॉ. पी.के. शर्मा

प्रस्तावना- यह सत्य है, कि नारी का सफर भूतकाल से वर्तमान में संक्रमण की स्थिति से गुजर रहा है। एक तरफ उसे देवी[1] के समकक्ष खड़ा कर दिया जाता है, तो दूसरे ही पल उसे इतना असहाय बना दिया जाता है, कि जन्म से लेकर मृत्यु तक पुरूषों के अधीन कर दिया जाता है।[2] अजीब विडम्बना है, कि सशक्त बनाने वाली नारी को ही सशक्तिकरण की जरूरत पड़ रही है। वेद, उपनिषद, शास्त्रों, धर्मशास्त्रों में भी नारी के साथ भेदभाव किया गया और दोयाम नागरिक का स्थान दिया गया।[3] लैंगिक भेदभाव तो तब भी व्याप्त था। नारी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक, राजनैतिक सभी क्षेत्रों में चन्द अंगुलियों पर गिनी जा सकती थी। कहने का तात्पर्य लैंगिक असमानता की जड़ें कितनी गहरी हैं।[4] इसके उपरान्त भी भारतीय नारी सामाजिक प्रथाओं, परम्पराओं, रीतियों कुरीतियों की दहलीज लाँघ कर अपनी पहचान इतिहास के पन्नों में दर्ज करा रही है।

उद्देश्य- शोध पत्र का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण में लैंगिक समानता : एक चुनौती के लिए उत्तरदायी कारणों को ज्ञात करना।

महिला सशक्तिकरण- आज की नारी किसी संदर्भ की मोहताज नहीं है। वह अब किसी की बेटी, बहिन, माँ, पत्नी आदि के नाम से नहीं जानी जाती है वह पारिवारिक कार्यों के साथ देश की बागडोर भी संभाल रही है वह खेल जगत, प्रिन्ट मीडिया, संचार मीडिया, उद्योग प्रबधन, सरकारी, गैरसरकारी, सशस्त्र सेन्य बल जैसे सभी क्षेत्रों में अपनी पहचान दर्ज करा रही है।[5] वह अपने मौलिक अधिकारों के प्रति सजग हो गयी है। जिसका उदाहरण – सदियों से पिता का दाह संस्कार पुत्रों के द्वारा किया जाता था, अब बेटियाँ भी करने लगी है।[6]

• शोध छात्रा, पी.सी. बागला पी.जी. कॉलेज, हाथरस
•• एसोशिएट प्रोफेसर अध्यक्ष, समाज शास्त्र विभाग, पी.सी. बागला (पी.जी.) कॉलेज हाथरस

महिला सशक्तिकरण में पैतृक सम्पत्ति में समान अधिकार अधिनियम[7] 2016 तीन-तलाक अधिनियम[8] 2018, मीडिया, संचार मीडिया का अद्वितीय योगदान है। महिला को भले ही कमजोर मानते है, लेकिन 17000 वैज्ञानिकों में मंगल मिशन की कामयाबी का श्रेय एक महिला को हो जाता है। जिसने अपनी गृह विज्ञान का प्रयोग विज्ञान में करके (PSLV) को मंगल तक पहुँचा दिया। लेकिन भेदभाव यहाँ पर भी देखा गया क्योंकि मिशन कामयाबी तक इसे पूरी मिशन के नाम से पुकारा जाता था।[9]

लैंगिक समानता- लैंगिक समानता से तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक, धार्मिक आदि क्षेत्रों में भेदभाव न करना। भारत में लैंगिक भेदभाव माँ की कोख से ही शुरू हो जाता है। जिसका परिणाम कन्या भ्रूण हत्या जन्म लेते ही हत्या एवं परित्याग स्त्री पुरूष अनुपात 2001 से 2011 स्त्री पुरूष के बीच अन्तराल को स्पष्ट करता है।

सारणी 01

2001		2011	
पुरूष	स्त्री	पुरूष	स्त्री
1000	933	1000	940

स्रोत : भारत की जनसंख्या रिपोर्ट 2010-1110

परिवार- संयुक्त राष्ट्र जन संख्या कोष रिपोर्ट (2017) के अनुसार दुनिया के अनपढ़ वयस्कों में दो तिहाई महिलायें हैं शिक्षित महिला भावी पीढ़ी का निर्माण करती हैं[11] फिर भी विकासशील देशों की एक चौथाई लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती, आमतौर पर ऐसे परिवारों में जो बेटी की अपेक्षा बेटे को अधिक प्राथमिकता देते हैं[12] 90 प्रतिशत परिवारों में बेटा-बेटी के स्कूल व खान-पान में भेदभाव देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए कि आज भी बेटी को पराया धन और बेटे को वंश संवाहक माना जाता है, ये संकुचित सोच पुरूष की अपेक्षा महिलाओं में अधिक पायी जाती है जो श्रंखला व्यवस्था के रूप में एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती जाती है। लैंगिक असमानता का बीजारोपण परिवार से किया जाता है।[13] जिसमें धर्म की मुख्य भूमिका है क्योंकि धर्म द्वारा निर्देशित कार्य परिवार के माध्यम से पूर्ण किये जाते हैं।

भारत में धार्मिक संक्रीर्णता के कारण महिला को उसके जैविक कार्य (मासिक धर्म) के कारण कुछ मन्दिरों में 10 से 50 साल की महिला का जाना वर्जित करता है। अजीब विडम्बना है।[14] जिस रक्त से एक जीवन की उत्पत्ति होती है, वही उसकी अपवित्रता का कारण बन जाता है। एक तरफ हम आधुनिकता का गुणगान करते हैं दूसरी तरफ देश की आधी आबादी के साथ पवित्रता/अपवित्रता के नाम पर भेदभाव करते हैं। इतना ही नहीं भारत महिलाओं के प्रति हिंसा की चुनौती का सामना कर रहा है एक बुनियादी अध्ययन से पता चला, कि नई दिल्ली में 92 प्रतिशत महिलाओं ने अपने जीवन में सार्वजनिक स्थलों पर किसी न किसी रूप में 'यौन हिंसा' का अनुभव किया है।[15] वर्तमान में महिला के साथ यौन हिंसा एवं हत्या जैसी वारदातें दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ उसकी अस्मिता को तार-तार किया जाता है, तो दूसरी तरफ कोमार्यता परीक्षण जैसे घिनौने अमानवीय कृत्य चलन में आ रहे हैं।[16] जिससे सिर्फ स्त्री को गुजरना पड़ता है पुरूष को नहीं। जो महिला सशक्तिकरण के लिये एक प्रश्न चिन्ह है।

समानता का अधिकार संविधान के प्रावधानों की धारा एवं समान पारिश्रमिक अधिनियम 197617 अब सिर्फ कागजों तक सीमित रह गये हैं। क्योंकि आर्थिक क्षेत्रों में लैंगिक असमानता बखूबी देखी जा सकती है। हाल ही में क्रेडिट सुइस रिसर्च इंस्टीट्यूट सी.एस. जेन्डर 300 रिपोर्ट द्वारा विश्व के 56 राष्ट्रों की कम्पनियों का सर्वे किया गया। जिसमें भारत की महिलाओं की भागीदारी अच्छी नहीं है।18 वैश्विक स्त्री पुरूष समानता सूचकांक (2019) में भारत 129 देशों में से 95वें पायदान पर रहा है। यह सूचकांक गरीबी, शिक्षा, साक्षरता, राजनीति प्रतिनिधित्व और कार्य स्थल पर समानता का आकलन करता है। जिसमें भारत धाना रवांडा और भूटान जैसे देशों से पीछे है।[19] WEF 2019 ग्लोबल जेन्डर गैप इन्डेक्स रिपोर्ट के अनुसार 153 देशों की सूची में भारत की 112वी श्रेणी है जो 2018 की रिपोर्ट से 4 अंक नीचे खिसक गया है।[20, 21]

सारणी 02

स्रोत : WEF जेन्डर गेप रिपोर्ट 2018-20 के अनुसार

क्र.सं.	परीक्षण क्षेत्र	2018	2020
1.	विश्व आर्थिक मंच में भारत का स्थान	(108/149)	(112/153)
2.	आर्थिक भागीदारी एवं अवसर	142	149
3.	शैक्षिक उपलब्धियाँ	114	112
4.	स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता	147	150
5.	राजनीति सशक्तिकरण	19	18

इस रिपोर्ट में महिलाओं की स्वास्थ्य एवं आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। श्री सातासी सासाकी (ILO कन्ट्री ऑफीसर दक्षिण एशिया के लिए डिसेन्ट वर्क टीम के उप-निदेशक) के अनुसार प्रबन्धन और नेतृत्व में महिलाओं का केवल 27 प्रतिशत अनुपात है और महिलाओं को पुरूषों की तुलना में कम भुगतान किया जाता है।[22] केन्द्रीय साँख्यकीय एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट पर गौर करें तो लैंगिक असमानता इस प्रकार है[24] -

सारणी 03

क्र.सं.	महिला प्रतिनिधित्व	प्रतिशत
1.	केन्द्रीय मंत्री परिषद	17
2.	लोकसभा में	11
3.	विधान सभा में	09
4.	विधान परिषद में	06
5.	सर्वोच्च न्यायालय में	04
6.	उच्च न्यायालय में	11

खेल जगत में भी लैंगिक असमानता पायी जाती है[24] विश्व प्रसिद्ध क्रिकेट में महिला क्रिकेट टीम की कप्तान का नाम 90 प्रतिशत लोग नहीं जानते जबकि पुरूष कप्तान का नाम बच्चे-बच्चे की जुबा पर है। तभी तो WEF ग्लोबल जेन्डर गैप रिपोर्ट (2018) के अनुसार भारत में आर्थिक क्षेत्र लिंग समानता लाने में अभी 257 साल लगेंगे।

विश्व में लैंगिक समानता- 2018 की विश्व आर्थिक मंच में संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने लिंग अन्तर सूचकांक में 19वीं श्रेणी प्राप्त हुई है। जोकि आर्थिक सशक्तिकरण में उच्च स्थान पर है, फिर भी महिलाओं की आर्थिक शक्ति पुरूषों की तुलना में 20 प्रतिशत कम है।[25] सोफिया इजाकिरेडो सोचेज (हाउस फील्ड वि.वि.) ने अपने सहयोगियों के साथ

हालीवुड कलाकारों के साथ लिंग–आय अन्तर की जाँच के करने के लिए आई.एम.बी.डी. बाक्स मोजो सहित विभिन्न स्रोतों की एक सारणी का उपयोग किया जिसमें 267 विभिन्न कलाकारों के साथ 1344 फिल्मों की जाँच की गई जिसमें महिला कलाकारों ने औसतन यू.एस. +2.2 M प्रति फिल्म कमाई की जो पुरूष कलाकार की तुलना में 56 प्रतिशत कम है ऐसा सभी क्षेत्रों में पाया गया जैसे– साफ्टवेयर श्रमिकों के बीच 20 प्रतिशत चिकित्सक के बीच 20 प्रतिशत व्यापार के क्षेत्र में 45 प्रतिशत का अन्तर पाया गया[26] संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (2017) की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के दस सबसे गरीब लोगों में 6 महिलाऐं शामिल हैं इसका कारण परिवार एवं समुदायों के भीतर सारे अवैतनिक कार्य महिलाओं के कन्धों पर आते हैं।[27] विश्व की 50 प्रतिशत आबादी के पास केवल 1 प्रतिशत सम्पत्ति जिससे उन्हें आर्थिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है[28] जो महिला सशक्तिकरण पर कड़ा प्रहार है।

सुझाव- लैगिंग समानता लाने के लिए संवैधानिक/गैरसंवैधानिक नियम, कानून के अतिरिक्त महिला को अपने मौलिक अधिकारों के प्रति सजग होना होगा साथ ही आर्थिक रूप से सशक्त होना होगा जिससे अपने निर्णय स्वः ले सके। लैंगिक समानता लाने के लिए परिवार को मुख्य रूप से बेटा–बेटी के भेदभाव का खत्म करना होगा तथा दोनों की शिक्षा–दीक्षा समानता लानी होगी। स्त्री–पुरूष के बीच भेदभाव का बीज परिवार में पनता तो खत्म भी परिवार से होगा। बेटी के साथ बेटे की भी समय की पाबन्दी होनी चाहिए। जिससे आये दिन निर्भया जैसे काण्डों में कमी आ सकती है बेटा वंश का निर्धारक है जैसी प्रथाओं का अन्त करना चाहिये। इसके साथ ही जिस दिन महिलाओं में अपने आभूषणों की अपेक्षा अपने आत्म सम्मान से प्रेम हो जायेगा, तभी लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य पूर्ण हो सकता है।

निष्कर्ष– अतः स्पष्टतः कहा जा सकता है, कि महिलाओं ने विज्ञान, तकनीकी मीडिया, संचार मीडिया, खेल जगत आदि सभी क्षेत्रों में पहचान बना ली एक गृहणी से लेकर राष्ट्रपति और जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक का सफर तय कर लिया। लेकिन आज भी धर्म के नाम पर पवित्रता/अपवित्रता की धारणा सामाजिक रूप से कोमार्यता परीक्षण जैसे घिनौने अवमानवीय कृत्य तथा आर्थिक क्षेत्र में समान कार्य का समान

वेतन न देना लैंगिक समानता में प्रश्न चिन्ह है। यही कारण है कि महिला को पुरूष के समकक्ष आने में अभी साल और लगेंगे। यानी लैंगिक समानता महिला सशक्तिकरण में एक चुनौती है यह सिद्ध होता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. मनुस्मृति, अध्याय IIIN 54
2. मनुस्मृति अध्याय IX/2, 3, 6
3. डॉ नायल सुमन, (2015) पारिवारिक मूल्य एवं लिंग असमानता ISSN :2231-5063 वोल्यूम 5
4. कुमार रॉकी http://hindi.feinisminidia.co December 2018
5. जोशी पूनम (2016) महिला सशक्तिकरण में जनसंचार की भूमिका, राजस्थान ऑफ सोशियोलॉजी, ISSN : 2249-3934 vol. 8
6. गुप्ता नेहा (2015) महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सशक्तिकरण का योगदान ISSN : 2321-8819 Vol. 3-P-121
7. वेयर एक्ट 2016
8. वेयर एक्ट 2018
9. मंगल मिशन फिल्म 2019
10. भारत की जनसंख्या रिपोर्ट 2010-2011
11- https://www.unfpd.org 10 May 2018
12- https://www.peacecorps.gov/educators /resources/ globalissues-gender-equality- and womens-empowerment
13. स्व:अनुभव
14- http://www.drishtiias.com/hi...
15- https://in.one.org/sustaible.development goal/say.goal
16- ik:ypUnzkhttps:www.ichowk.instory 4 February 2019
17. भारत का संविधान वेयर एक्ट
18- https://www.drihtiias.com/hi.15/10/19
19- https://m.thewrehindi.com
20- WEF-GGGR-2018.pdf
21- WEF – GGGR – 2020 pdf
22- https://www.Ilo.org/newdelhi/info/pub 09/08/19
23- https://deshbandhu.com.in/vichar/challe.....10/3/17 Reeta Singh
24- VIC GOV.AU 10/09/19
25- https://www.peacecorps.gov/educators/resources /global-issues-gender-equality - and womens-empowerment
26- https://the conversation.com/hollywoods-million-dollar-

gender-pay-gap-revealed-123219
26. https://www.unfpd.org 10 May 2018

परिवर्तित परिदृश्यः सिंगल मदर्स समस्याओं के बावजूद एक सफल अभिभावकत्व

• श्रीमती ज्योति बाला चौबे
•• डॉ. रूपम अजीत यादव

आधुनिक सांख्यिकीय रूझान यदि विश्व स्तर पर देखा जाये तो हम पाते हैं कि सभी परिवारों में से एक तिहाई परिवारों का नेतृत्व सिंगल मदर्स द्वारा किया जा रहा है। पारिवारिक जीवन की दिन प्रतिदिन की अप्रत्याशित जटिलतायें यदि समय गुजरने के साथ साथ बढ़ती ही चली जा रही हैं, एवं समायोजन की सभी गुंजाईशें बाकी ही नहीं रह पा रहीं है, तो न्यायिक अलगाव ही श्रेष्ठ होता हैं।

"एक विचलित या समस्याग्रस्त पारिवारिक कुसमायोजन से सदस्यों को बचाने के लिये एकल अभिभावक परिवार एक वैकल्पिक पारिवारिक व्यवस्था के रूप में देखा जाना चाहिए।" कूण्टज 1997

कभी कभी जीवन में अनअपेक्षित घटनायें जिनमें अस्वस्थता, दुर्घटनाओं आदि की वजह से भी पति की असामयिक मृत्यु हो जाने आदि के कारण भी महिलायें एकल मातृत्व को जीने हेतु मजबूर हो जाती है और उन्हें एक सिंगल मदर के रूप में अपने बच्चों के साथ जीवन का नये सिरे से अध्याय शुरू करना होता है।

सिंगल मदर अपने आप में एकल अभिभावक है जो अपने बच्चों की संरक्षिका है। और वह उनकी देखभाल, परवरिश, पोषण, शिक्षण एवं रक्षण का कार्य स्वयं अपने बलबूते पर करती है। ताकि उनके बच्चे समर्थ एवं आत्म निर्भर बन सके।

बीसवीं, शताब्दी के उत्तरार्द्ध में एकल अभिभावक परिवारों की संख्या अवश्य बढ़ी है, किंतु ज्यादा संख्या सिंगल मदर्स फैमिली की है। आंकड़े बताते है, कि एकल माता, पिता के साथ रहने वालों में अधिकांश

• सहायक प्राध्यापक,गृह विज्ञान, मानव विकास, महिला महाविद्यालय सेक्टर ९ भिलाई
•• सहायक प्राध्यापक,गृह विज्ञान, आहार एवं पोषण, महिला महाविद्यालय सेक्टर ९ भिलाई

अपनी माता के साथ रहते है। रिपोर्ट 2019-2020 यूनाईटेड नेशन्स वीमेन एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सिंगल मदर्स का प्रतिशत 4.5 है अर्थात एकल माता परिवारों की संख्या बढ़ रही है लगभग तेरह मिलियन परिवार एकल कामकाजी माताओं द्वारा चलायें जा रहे है।

ऐसी पंद्रह एकल कामकाजी माताओं की समस्याओं एवं बच्चों पर प्रभाव तथा उनके समायोजन विषय से संबंधित एक संरचित सीमित प्रश्नावली द्वारा सिंगल मदर्स से जानकारी एकत्रित कर अध्ययन किया गया संरचित प्रश्नावली स्वयं की अपनी परेशानियों एवं चुनौतियों पर केंद्रित थी दूसरी बच्चों के प्रति कंसर्न से संबंधित थी।

ये सभी वर्किंग सिंगल मदर्स अलग अलग व्यवसायिक क्षेत्रों से संबद्ध है, जिनमें महाविद्यालय में कार्यरत, बैंक, स्कूलों में, प्राइवेट संस्था में एवं स्वरोजगार आदि में संलग्न है और वें घर एवं कार्यक्षेत्र के साथ साथ बच्चों की परवरिश का कार्य भी कर रही है।

सिंगल मदर्स को आए दिन किसी ना किसी समस्या का सामना करना पड़ता है। एकल माताओं के लिये बच्चों की परवरिश करना कोई सरल कार्य नहीं होता एक इंसान माँ के रूप में पिता का दायित्व अपने कंधों पर उठाकर बच्चों को आदर्श मूल्य देने का प्रयास करती है। बच्चों की परवरिश में की गई कोई भी लापरवाही एकल माता की सभी कोशिशों को नाकामयाब कर सकती है। जिससे उन्हें ग्लानि और तनाव का सामना करना पड़ सकता है।

संरचित प्रश्नावली से प्राप्त सिंगल मदर्स की जो प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई उनसे उनकी समस्याओं एवं भावनाओं को समझने में मदद मिली।

1. सिंगल मदर्स की उनके बच्चों के प्रति कन्सर्न या चिंतायें निम्नांकित क्षेत्रों में बताई गई-
2. बच्चों की शिक्षा के संबंध में
3. बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के संबंध में।
4. घर में, स्कूल में अनुशासन बनाये रखने के संबंध में।
5. बच्चों के लिए क्वालिटी टाइम न निकाल पाने के संबंध में ।

5 बच्चों के बेहतर भविष्य के संबंध में

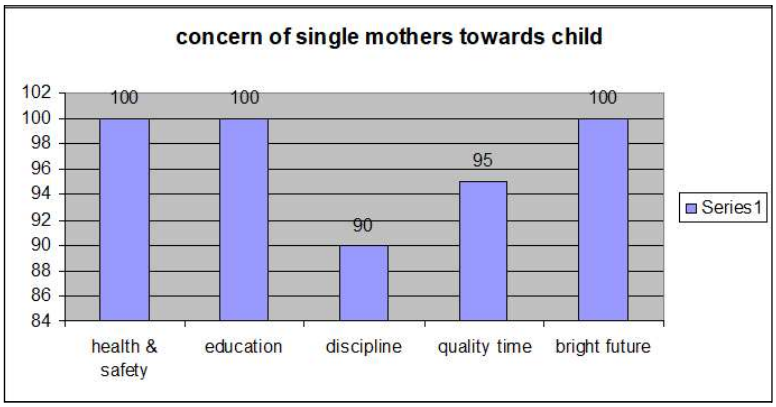

सिंगल मदर्स की स्थिति में बालक पूर्णतः अपनी माता पर इमोशनली निर्भर हो जाता है और माता बच्चों की हरसंभव ख्वाहिशें पूर्ण करना चाहती है, ये सोचकर की कहीं कोई कमी न रह जाये इस रवैये के कारण, अध्ययन की गई प्रतिक्रियाओं के अनुसार अधिकतर माताओं को एक या अधिक बार बच्चों की अनुचित मांगों को भी पूर्ण करना पड़ा है। काऊंसलर एवं ट्रेनर मैडम मंजू सप्रे (परिवर्तन परामर्श एवं प्रशिक्षण, और अनुसंधान केन्द्र बेंगलुरू) के अनुसार सिंगल मदर्स को अपने परिवार की वास्तविकता को समझने एवं बच्चों को शुरूआत से ही अनुशासित रखने का प्रयास करना चाहिए। संरचित प्रश्नावली से प्राप्त उत्तरों के आधार पर सिंगल मदर्स की भावनात्मक समस्यायें निम्नानुसार पायी गयी–

1. अकेलेपन की भावनायें
2. समय की कमी (कामकाजी होने के कारण)
3. निर्णय लने में असहाय महसूस करना
4. व्यवहार में चिड़चिड़ापन
5. घर बाहर एवं बच्चों की व्यवस्था के तालमेल का दबाव।

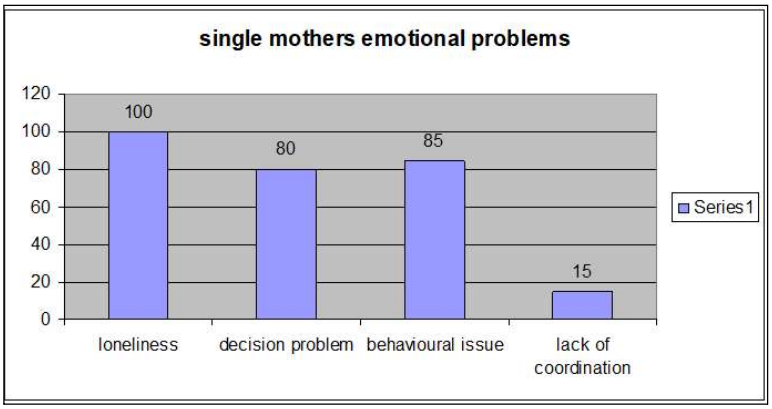

सभी सिंगल मदर्स ने स्वीकार किया कि एक ही समय में माता एवं पिता की भूमिका निभाना आसान नहीं है। बच्चों के शालेय वर्षों के दौरान अक्सर अकेलेपन की भावना का सामना करना पडा था । विशेषकर पैरेंटस मीटिंग में परंतु जब हमारे बच्चे कहते हैं कि "आप सबसे अच्छी एवं मजबूत माँ है वर्ल्ड की और हमें गर्व है आप पर"। तब हमें बेहद खुशी व संतोष की अनुभूति होती है।

1970 के दशक के अध्ययनों से ज्ञात हुआ कि जो एकल माताऐं आर्थिक रूप से स्थिर नहीं है। उनमें वित्तीय तनाव की वजह से अवसाद के लक्षण 50 से 60 प्रतिशत तक हो सकते है।

कामकाजी सिंगल मदर्स की चुनौतियो का मैग्नीट्यूड तब और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता और वे घर व बाहर में तालमेल नहीं बैठा पाती। ऊपर से सोशल प्रेशर भी कम नहीं रहता है।

सर्वाधिक गंभीर समस्याये तब आती है जब बच्चों की किस नये कोर्स में एडमिशन कराना होता है और प्रवेश फार्म में पिता के ही हस्ताक्षर करने जरूरी होते है। परंतु एकल माताओं के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण फैसला आया है कि कोई भी संस्था माँ को बाध्य नहीं कर सकती कि बच्चे के डाक्यूमेंटस में पिता का नाम दर्ज करें। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इस दिशा में एक सराहनीय कदम है।

जीवन की नई पारिवारिक स्थिति को स्वीकार करना एक भारी वास्तविकता हो सकती है, परंतु हमारी सकारात्मक सोच एवं दृढ़ता हमारे बेटे एवं बेटियों को पालने एवं उन्हे शिक्षित-दीक्षित करने और उन्हें

भावनात्मक रूप से स्थिर रखते हुये इस दुनिया में मजबूती से खड़े रहने की शक्ति देते हैं।

डॉ. निर्मला राव सायक्रियाट्रिस्ट का कहना है कि इन परिस्थितियों में जो आपका ध्यान रखते हैं उन परिजनों एवं मित्रों की मदद लेने से न चूकें। वास्तविकता को स्वीकारें, कुछ नया सोचें एवं आगे बढ़ें। आपको जीवन के हर मुकाम पर फाइनेंशियल सोशली एवं इमोशनली मजबूत बनना ही पड़ेगा क्योंकि आप "मॉ भी है और पा" भी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. https://www.encyclopedia.com.sin
2. https://madreshay.com>familia.mo
3. https://www.hmoob in single parent
4. https://timesayindia.indiantimes.com
5. https://www.momjunction.com>hindi
6. hindi.whiteswamyfoundation.org
7. https://en.wikipedia.org.wiki.sin
8. https://m.jagran.com.sakhi

भारत में महिला विकास
वर्तमान अवस्थिति एवं सुझाव

• डॉ. मीना कुमारी

भारतीय इतिहास साक्षी है कि वैदिक काल में घोषा, लोपा, मुद्रआरा, अपाला, गार्गो एवं मैत्रेयी जैसी विदुषी नारियां हुई है, जिन्होंने अपनी विद्वता से न केवल समाज को प्रभावित किया बल्कि वैदिक ऋचाओं की रचना में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ-साथ अपाला जैसी महिलाओं ने सार्वजनिक जीवन जैसे कृषि कार्य इत्यादि में भी अपना योगदान दिया है। यद्यपि प्राचीन काल में जहां नारी का दैवीय रूप प्रधान रहा है, वही उसकी शक्ति का भी युग रहा है । मध्य युग में आते-आते नारी की गरिमा को क्षति पहुंची। भारत में धीरे -धीरे सोलहवीं शताब्दी तक नारी मात्र भोग विलास एवं वासना की वस्तु बनकर रह गई । ब्रिटिश भारत में भी नारी पद दलित ही रही। उसके बाद भी स्वाधीनता संघर्ष में महिलाओं का भी विशेष योगदान रहा है, पंडित विजय लक्ष्मी, सरोजिनी नायडू, अरूणा आसफ अली, कल्पना दत्त, दुर्गा भाभी आदि ऐसे नाम हैं, जिन्हें भारत का स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास कभी विस्मृत नहीं कर सकता है। स्वतंत्रता के बाद नारी के जागरण का नया युग आरंभ हुआ, जो हमें हिन्दी नव जागरण में भी दिखायी देता है। मैथिलीशरण गुप्त ने सही लिखा है-

एक नहीं दो दो मात्रायें।
नर से भारी नारी।।

किसी भी सभ्य समाज अथवा राष्ट्र का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकास का अंतरंग संबंध महिला विकास से है। किसी भी समाज या राष्ट्र का 50 प्रतिशत महिला समाज दलित, शोषित, उपेक्षित अथवा विकसित हो । उक्त राष्ट्र का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकास कैसे संभव हो सकता है। इसी –ष्टिकोण से अभिप्रेरित होकर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय

• एसोसिएट प्रोफेसर, चित्रकला विभाग, आगरा कॉलेज ,आगरा

स्तर पर परंपरागत दकियानूसी अवधारणाओं एवं मनोवृतियों को तिलांजलि देते हुए महिलाओं के उत्थान एवं विकास के लिए मात्र भारत सरकार ने ही आवाज नहीं उठायी, बल्कि 1948 में ही संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार घोषणा-पत्र में 'महिला- पुरुष' के समान अधिकार की पुनः अभिव्यक्ति की गई। 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा तृतीय विकास संघ का 'महिला दशक' घोषित किया गया। महिलाओं के विकास की अवधारणा से पूर्व ही भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14, 15 ,16 के अंतर्गत महिलाओं को समान अधिकार, 1953 केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, 1976 महिला कल्याण एवं विकास बोर्ड हिंदू विवाह अधिनियम 1955, विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976, प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961, समान वेतन अधिनियम 1976, बाल विवाह संशोधन अधिनियम 1978, अनैतिकता एवं वेश्यावृत्ति उन्मूलन अधिनियम 1986, दहेज निषेध अधिनियम 1961, 1984, 1986, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 इत्यादि के साथ-साथ पंचायती राज अधिनियम 1993 में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का 30 प्रतिशत आरक्षण 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई । इसी के साथ ही महिलाओं के विकास की अवधारणा को आत्मसात करते हुए 1970 -75 की पंचवर्षीय योजना में 'महिलाओं के लिए विकास एवं महिलाओं के साथ विकास' की अवधारणा की नींव रखी गई। परंतु उपरोक्त संवैधानिक उपाय एवं विकास योजनाएं महिलाओं को तो व्यवहारिक रूप से पुरुषों के समकक्ष क्षमता दिलवा सकी और न ही विकास प्रक्रिया में समुचित स्थान ही । क्योंकि महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का केंद्र एवं राज्य सरकारों की उदासीनता के साथ-साथ लालफीताशाही एवं वकीलोन्मुख न्याय व्यवस्था के कारण उन तक नहीं पहुंचा सकी है। इसी के साथ परंपरागत ग्रामीण-अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण एवं पुनः निर्माण तो हुआ है परंतु महिलाओं के परंपरागत व्यवसाय से वस्त्र निर्माण, सिलाई एवं खाद्य संभरण इत्यादि महिलाओं के हाथों से छिन गए। यद्यपि नए-नए व्यवसायो का जन्म तो हुआ परंतु वह पुरुषों के हाथों चले गए। इसी के साथ भारत में जो आर्थिक, सामाजिक, विकास हुआ, उसमें महिलाओं की नगण्य भागीदारी के कारण भारत में समान सामाजिक-आर्थिक वितरण संभव नहीं हो सका।

आज भारत में महिलाएं देश के 50 प्रतिशत मानव संसाधन का प्रतिनिधित्व करने के उपरांत उनकी राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी लगभग संसद में 8 प्रतिशत, राज्य विधानसभाओं में 5 प्रतिशत, नौकरियों में 21 प्रतिशत, आरक्षण में 39 प्रतिशत, मतदान में लगभग 60 प्रतिशत जबकि पुरुषों की 68 प्रतिशत से भी अधिक है। जहां तक राजनीतिक दलों के नेतृत्व का प्रश्न है, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, नंदिनी सत्पंथी, जयललिता, मायावती, ममता बनर्जी जैसे अपवादों को छोड़कर राजनीतिक दलों का नेतृत्व पुरुषों के ही हाथों में है। प्रशासनिक क्षेत्र में लगभग 40 करोड़ महिलाओं में से केवल लगभग 1100 महिलाएं प्रबंध एवं नीति निर्माण स्तर तक ही पहुंच सकी है। जबकि 1500 लाख महिलाएं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने के लिए आज भी विवश है। भारत में वास्तविक महिला विकास तभी संभव है, जबकि पुरुष समाज में अपनी पौरुषदम्म की दकियानूसी मानसिकता का परित्याग कर परस्पर सहयोग, साहचर्य एवं बराबरी के स्तर की सामाजिक मनोवृति का विकास हो । व्यवसायिक स्तर पर नारी उन्मुख शिक्षा आर्थिक आत्मनिर्भरता, राजनीतिक शिक्षा, नौकरियों आदि में महिलाओं को संख्या आधारित भागीदारी की समुचित व्यवस्था हो। इसी के साथ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका सरल, सुगम एवं लोकोन्मुख हो।

पृथ्वी की रचना से लेकर आज के समय तक नारी ने अपना अहम् योगदान दिया है तथा पुरूषों के साथ कदम ताल करके चली है। वह एक बहन के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक बहू के रूप में, एक जीवन संगिनी के रूप में तथा इन सबसे ऊपर एक जननी अर्थात् एक माता के रूप में हमारे जीवन के हर क्षेत्र में पूर्व से ही विद्यमान रही है तथा हमारे समाज को सीचती और संवारती रही है। पर क्या इस समाज ने अपने स्वयं के इस निर्मात्री को अपने इस संचयिका को वो स्थान, वो दर्जा दिया जिसका ये सदा से हकदार रही है। यदि हम इस विषय पर गहनता से विचार करें तो शायद उत्तर ना ही होगा। उल्लेखनीय है कि इस समाज ने, जो कि हमेशा से ही पुरूष प्रधान समाज के रूप में जाना जाता रहा है, स्त्री को हमेशा भोग विलास की वस्तु समझता रहा है तथा उसके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करता रहा है। चाहे राजे-महाराजे के समय एक राजा के द्वारा अनेक रानियाँ रखने की बात हो, उनके रंगमहल की बात हो, वेश्यालयों की बात हो या

पुराने समय से लेकर आज तक दक्षिण भारत के मंदिरों में प्रचलित देव-दासी प्रथा की बात हो। कभी सीता के रूप में उसे बिना दोष के अग्नि परीक्षा देनी होती है तो कभी द्रौपदी के रूप में उसे एक साथ पाँच-पाँच मर्दो की पत्नी होने का दंश झेलना पड़ता है।

यदि हम आज के परिपेक्ष्य में नारी की स्थिति को देखते हैं तो पाते हैं कि विसंगतियाँ अभी भी उस अनुपात में कम नहीं हुई हैं जिस अनुपात में होनी चाहिए थीं। पुराने समय की सामाजिक कुरीतियाँ जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, बालिका वध, भ्रूण हत्या आदि जिसने न केवल नारी जाति को वरन् पूरे भारतीय समाज को काफी पीछे ढकेल दिया वो आज भी हमारे समाज में विद्यमान है तथा इसे दीमक की तरह खाये जा रही है। हम बदले, हमारा देश बदला, हमारे लोग बदले पर नारियों के प्रति हमारे सोच में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। यद्यपि कुछ परिवर्तन हुए है। पर वो पर्याप्त नहीं है।

ज्ञातव्य है कि आजादी के 75 वर्ष हो गये हैं। स्वातंत्रयोत्तर काल के बाद हमारा देश तथा समाज दोनों लगातार तीव्र वेग के साथ परिवर्तित हो रहे हैं। भारत एक पिछड़े देश से विकासशील देशों की अग्रणी श्रेणी में आ खड़ा हुआ है, पर ये विकास, ये परिवर्तन क्या केवल पुरूषों के चलते संभव हुआ है ? स्पष्टत प्रतिशत नहीं। चूँकि नारी इस गाड़ी रूपी समाज की एक पहिए के समान है अत: इस परिवर्तन में उसका उतना ही योगदान है जितना की पुरूषों का। स्त्रियों की दशा और दिशा दोनों में ही परिवर्तन हुए हैं। जिस देश में नारी को घर की दहलीज से बाहर निकलने की आज्ञा नहीं थी, उस देश में आज नारी पुरूषों के साथ कंधे-से-कंधा मिलाकर चल रही है तथा साथ-साथ सारे काम कर रही है। देश का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, जहाँ नारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है। विगत दशकों में हमारे देश में महिलाओं ने बड़ी तादाद में घरेलू दायित्वों के अतिरिक्त कारखानों, बागानों, खदानों, सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों, छोटे और बड़े पैमाने के उद्योगों, ज्ञान, चिकित्सा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विनिर्माण एवं असंगठित क्षेत्र की उत्पादनशील गतिविधियों में अपनी पहचान बनाना प्रारंभ कर दिया है। आज की इस पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में हर कार्य का मूल्य एवं अवमूल्यन होता है। उसका राष्ट्रीय विकास में कुछ योगदान होता है। अत: प्रत्येक महिला कुछ भी कार्य करती है तो वह देश के आर्थिक

विकास की उतनी ही बराबर की भागीदार है, जितना की एक पुरूष। इसी कारणवश आज महिलायें विश्व के हर क्षेत्र में अपना योगदान तथा अपनी उपस्थिति बहुत ही मजबूत तरीके से दर्ज करा रही है। अब सरकार भी महिलाओं के प्रति अपनी नीतियों में तीव्र गति से परिवर्तन ला रही है तथा अपने विकास के मानदंडों में बदलाव ला रही है। पहले जहाँ सरकार महिलाओं के लिए केवल कल्याणोन्मुखी योजनायें लाती थी आज इससे बेहतर और वृहत् कार्यक्रम महिलाओं के लिए ला रही है। नारी कल्याण के जगह अब नारी सशक्तिकरण की बातें की जा रही है। अबला नारी को हर तरह से अब सबला बनाने को सैकड़ों कार्यक्रम केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने चला रखे हैं। उन्हें हर तरह से चाहे वो मानसिक हो, बौद्धिक हो, शैक्षणिक हो, सामाजिक हो या शारीरिक हो सबल बनाने का अथक प्रयास लगातार जारी है। सरकार तथा समाज के इन्हीं पहलों का नतीजा है कि महिलायें ना केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहीं हैं। देश तथा समाज के विकास रूपी गाड़ी का यह पहिया तेजी से घूमने की ओर लगातार अग्रसर है। इसके विकास की ओर बढ़ते कदम आज पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन चुके हैं। आज महिलायें बेहतर भविष्य एवं रोजगार के लिए किसी भी स्थान पर तथा किसी भी परिस्थिति में काम करने को हर तरह से तैयार हैं। यद्यपि यह सच है कि शारीरिक संरचना के आधर पर स्त्रियाँ पुरूषों से भिन्न है तथा उनमें कुछ कमजोरियाँ हैं तथापि यह कभी नहीं समझा जाना चाहिए कि ये कथन सभी नारी के लिए समान रूप से लागू होता है। ऐसा इसलिए भी कि पूर्व में पुरूष द्वारा संचालित ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें महिलायें बढ़चढ़ कर हिस्सा नहीं ले रहीं हैं तथा सफलतापूर्वक उसका संचालन नहीं कर रहीं हैं। यदि पुरूष रेलगाड़ी, ट्रक, ट्रैक्टर, बस, कार और ऑटो चला सकता है तथा हवाईजहाज, रॉकेट, लड़ाकू विमान उड़ा सकता है, हिमालय की चोटी को फतह कर सकता है, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर पहुँच सकता है, देश तथा दुनिया को चला सकता है तो स्त्री भी यह सब कर सकती है। इस संदर्भ में किरण बेदी, बछेन्द्री पाल, संतोष यादव, मागरिट थैचर, श्रीमाओ भंडार नायके,कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, इन्दिरा गाँधी, विजया लक्ष्मी पंडित, मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल, प्रमिला परिमल, श्रीमती कोचर, श्रीमती भरतीया, मृणाल पाण्डेय, इन्दिरा नुई, वर्जिनिया वुल्पफ, जेन

ऑस्टीन, एमिली ब्रोन्ट, हिलरी क्लिंटन, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल आदि का नाम उल्लेखनीय है। ये वो महिलायें हैं जिन्होंने पुरूष संचालित सभी क्रियाकलापों में जैसे पुलिस सेवा,पर्वतारोहण,राजनीति, खगोलविद्या, साहित्य, खेल,सूचना प्रौद्योगिकी,संपादन, प्रबंधन आदि में ना केवल हिस्सा लिया बल्कि इनका सपफलतापूर्वक संचालन कर पूरे विश्व को महिलाओं की बहुआयामी प्रतिभा का एहसास कराया। यह सच है कि अठारहवीं सदी तक औरतों को शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था। कई समाज सुधारकों ने उन्हें इस स्थिति से उबारने के लिए अथक प्रयास किया। महात्मा फूले औरत को आदमी से श्रेष्ठ मानते थे क्योंकि वह जन्मदात्री होती है। उसका ऋण नहीं चुकाया जा सकता। बाबा साहब अंबेडकर तो भारतीय नारी के लिए मसीहा बनकर आये। उन्होंने स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने के लिस शिक्षित होना आवश्यक माना है। फ्रांस की नारीवादी चिंतक सिमोन द बोउवार ने कहा है कि- ''स्त्री पैदा नहीं होती उसे बना दिया जाता है।'' बनने की उसकी यह प्रक्रिया अत्यंत जटिल है। इसके लिए एक-एक धागे को आपस में बुना जाता है तब जाकर पूरा तंत्र तैयार हो पाता है। पूर्व के चिंतकों एवं विचारकों के प्रयास तथा तात्कालीन परिवर्तनों का असर नारी जाति पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। महिलायें शिक्षा ग्रहण कर रही है तथा अंधविश्वास तथा कुरीतियों पर आधरित विभिन्न सामाजिक बंधनों को तोड़ रहीं हैं और लगातार आगे बढ़ रहीं हैं। यहाँ तक कि बिहार जैसा राज्य जिसे की सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक रूप से अत्यंत पिछड़ा माना जाता है तथा जहाँ महिलाओं की स्थिति और भी चिंतनीय है, वहाँ भी हाल के दशकों में इन सभी क्षेत्रों उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। इसके साथ-साथ सरकार ने यहाँ शिक्षा तथा राजनीति में महिलाओं को पर्याप्त आरक्षण प्रदान किया है, जिसके पफलस्वरूप महिलाओं में जागृति आई है और महिलायें घर के कामकाज के साथ-साथ शिक्षा तथा राजनीति में बढ़-चढ़कर हिस्सा ही नहीं ले रही हैं, बल्कि इनमें सफलता के नये-नये कीर्तिमान स्थापित कर रहीं हैं। सरकार के इन प्रयासों का आलम यह है कि जिन घरों में लड़कियों का जन्म लेना भी दु:खद माना जाता था, जिन घरों की महिलाओं का सारा जीवन घर की चाहरदीवारी के अंदर बीत जाता था, उन घरों में भी अब बच्चियों के जन्म पर आनंद मनाया जाता है तथा उनकी महिलायें भी अब घर के बाहर आ रहीं हैं और सरकार द्वारा

उपलब्ध करायी गई योजनाओं का भरपूर लाभ ले रहीं हैं। शहरी क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब महिलायें राजनीति में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहीं हैं तथा सपफलता प्राप्त कर रही हैं। राजस्थान जैसे राज्य जहाँ नारी जाति हमेशा से उपेक्षित रही है, वहाँ अब नारियाँ विभिन्न सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर बाहर निकल रही हैं और समाज के मुख्य धारा से जुड़ने के लिए सतत् प्रयासरत हैं। अन्य पिछड़े राज्यों जैसे- उड़ीसा,झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि में भी परिस्थितियाँ लगातार बदल रहीं हैं और महिलायें सशक्तिकरण की राह पर बड़ी तेजी से बढ़ रही है।

सिनेमा तथा टेलीविजन सशक्तिकरण की गाड़ी को और तेजी से हाँकने में हमेशा से उत्प्रेरक का कार्य करते रहे हैं तथा आज भी कर रहे हैं। इनके माध्यम से नारी की विभिन्न समस्याओं को लगातार प्रदर्शित किया जाता रहा है जो कि विभिन्न संस्थाओं तथा संगठनों, नेताओं, सरकार आदि का ध्यान इन समस्याओं की ओर आकृष्ट करने में सपफल रही हैं। टी.वी. विभिन्न सिरीयलों के माध्यम से नारी सशक्तिकरण को एक निश्चित गति प्रदान करने में सफल रहा है। इस संदर्भ में कलर्स चैनल पर आने वाले सिरियलों जैसे- 'बालिका वधू', 'ना आना इस देस लाडो', 'भाग्य विधता' आदि तथा सोनी चैनल पर आने वाले 'लेडिज स्पेशल' आदि का नाम उल्लेखनीय है। इन सिरियलों के द्वारा विभिन्न नारी समस्याओं को उठाया जाता है तथा हम उन समस्याओं को देखकर उनका निदान सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। नारी सशक्तिकरण में समाचार पत्रों का भी प्रमुख योगदान है। ये इस विषय से संबंधित खबरें छापकर लोगों का ध्यान इनकी ओर खीचने का भरपूर प्रयास करते हैं तथा जिसका असर भी लोगों और उनके सोंच पर पड़ता है। वो समझने लगते हैं कि क्या अच्छा है तथा क्या बुरा तथा उसी के हिसाब से कार्य भी करने लगते हैं।

सरकार तथा मिडिया के प्रयासों का असर हर स्तर जैसे वैयक्तिक, राज्य स्तर पर, देश स्तर पर ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर भी दृष्टिगोचर होता है। हाल के वर्षो में अलग-अलग देशों में आये नारी के प्रति विभिन्न परिवर्तन इसका उदाहरण है। अन्त में इन सारे बिन्दुओं पर विचार करने से ये स्पष्ट हो जाता है कि नारी अब घर के अन्दर बंद रहने वाली मुक मूर्ती नहीं है तथा उसे विभिन्न सामाजिक नियमों और रीति-रिवाजों के बेड़ियों में बाँधकर नहीं रखा जा सकता। उसके विकास

तथा परिवर्तन का पहिया अपने पूरे आवेग से घूमने को बेकरार है। हम बहुत हद तक उनके दशा में बदलाव लाने में सफलता प्राप्त की है पर अभी भी मंजिल पूरी तरह से नहीं पाई जा सकी है। हमें अभी और गहन प्रयास करने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

- National Report : Date 19 March]2022: National News Channel "vkt rd" Date 19& March] 2022 International Women Day ij ,d International Research.
- Sudhir Varma : Women's Development : Policy and Administration, National Perspective Plan for Women 1888& 2000] New Delhi] Government of India.
- Elite Women in Indian Politics : Vijay Agnew.
- वीणा मजूमदार : अग्रगामी नीतियां, सन 2000 तक महिलाओं की प्रगति रिपोर्ट, नई दिल्ली
- महिला सशक्तिकरण : दशा एवं दिशा, आलोक मेहता

स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान

• श्रीमती मंजरी अवस्थी

"स्त्री को अबला कहना उसका अपमान है।" 1857 की क्रांति के बाद हिंदुस्तान की धरती पर हो रहे परिवर्तनों ने जहाँ एक ओर नवजागरण की जमीन तैयार की वहीं विभिन्न सुधार आदोंलनो और आधुनिक मूल्यों और रोशनी में रूढ़िवादी मूल्य टूट रहे थे। हिन्दू समाज के बंधन ढीले पड़ रहे थे। और स्त्रियों की दुनिया चूल्हे-चौके से बाहर नये आकाश में विस्तार पा रही थी।

इतिहास साक्षी है कि एक कट्टर रूढ़िवादी हिंदू समाज में इसके पहले इतने बड़े पैमाने पर महिलायें सड़कों पर नहीं उतरी थी। पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसे उदाहरण कम ही मिलते हैं। गांधी जी ने कहा था कि हमारी माँओं-बहनों के सहयोग के बगैर यह संघर्ष संभव ही नहीं था। जिन महिलाओं ने आजादी की लड़ाई को अपने साहस से धार दी उनका जिक्र यहाँ लाजिमी हैं।

झांसी की रानी लक्ष्मी बाई- 1857 की क्रांति देवी थीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में वे एक प्रेरणा की अक्षय स्त्रोत रहीं हैं। मन में गौरव का अनुभव होता है कि अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिये पुरूषों की तरह लड़ने वाली रानी झांसी ने भारत की मिट्टी में जन्म लिया, रानी शौर्य और बलिदान की जीति-जागती मूर्ति थीं। और उनकी कहानी देश भक्त भारतीयों के लिये शास्वत दीपशिखा थी। झांसी की रानी लक्ष्मी बाई अपने शौर्य, बलिदान के कारण एक किंवदंतीं बन गई है। उनके ऊपर हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में विपुल साहित्य का निर्माण हुआ है। हिंदी के यशस्वी लेखक स्वः वृन्दावन लाल वर्मा ने उनके चरित्र पर एक उपन्यास की रचना की है। कि यह कविता बहुतों को याद होगी।

"बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी।
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।"

• सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, शासकीय कन्या महाविद्यालय, इटारसी

अंग्रेज सेनापतियों ने भी रानी की वीरता का लोहा माना था। जनरल ह्यूरोज ने उन्हें क्रांतिकारियों में सबसे अधिक बहादुर और अच्छा सेनापति बताया था।

अवध की बेगम हजरत महल- 1857 की महिला स्वतंत्रता सेनानियों में झांसी की रानी लक्ष्मी बाई के बाद अवध की बेगम हजरत महल का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह सही है कि बेगम हजरत महल को रानी लक्ष्मीबाई के समान प्रसिद्धि नहीं मिली है। लेकिन स्वाधीनता संघर्ष में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने योग्य है। नवंबर 1857 में वाजिद अलीशाह की गिरफ्तारी और कलकत्ता निष्कासन के बाद बेगम हजरत महल ने गुप्त रूप से सैनिक तैयारियां शुरू कर दी। उन्हें इस बात का एहसास हो गया था। निकट भविष्य में अंग्रेजों से युद्ध होकर रहेगा। 16 मई को अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार किया और मुगल सम्राट बहादुरशाह जफर को अपना नेता चुना। बेगम हजरत महल ऐसे ही अवसर की प्रतीक्षा में थी। अवध के अनेक जमींदारों, व्यापारियों और सिपाहियों ने बेगम हजरत महल के झंडे के नीचे एकत्रित होकर यह सिद्ध कर दिया कि लोगों के मन में शाही परिवार के प्रति हमदर्दी है। 7 जुलाई 1857 को बिरजिस कद्र की ताजपोशी की गई। बेगम हजरत महल उसकी संरक्षिका बनी। इस समय बिरजिस कद्र की उमर मात्र 11 वर्ष की थी। बेगम हजरत महल को जनाब-ए-आलिया का खिताब दिया गया। इस समय अवध के शासन की पूरी जिम्मेदारी हजरत महल के ऊपर थी। उनके सामने अनेकों समस्याऐं थी। विदेशी शत्रुओं का संकट था। बेगम हजरत महल के नेतृत्व में अवध की अनेक महिलाओं ने पुरूष वेश में क्रांति में भाग लिया टाइम्स के संवाददाता रसेल ने उन्हें अपने बादशाह पति से अच्छा मर्द बताया।

एनी बीसेंट- 1873 में 26 वर्ष की आयु में उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, 1874 में एनी बीसेंट चार्ल्स बेडैला की एक संस्था नेशनल सेक्युलर सोसायटी की सदस्य बन गई। एनी बीसेंट ने नेशनल सेक्युलर सोसायटी की ओर से सार्वजनिक भाषण देने शुरू किये। उनका पहला भाषण 1874 में स्त्रियों की राजनीतिक स्थिति में हुआ था। एनी बीसेंट ने श्रमिकों की समस्याओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया और मजदूर आंदोलन में भाग लिया। 1889 में एनीबीसेंट की सोसायटी की संस्थापिका एच.पी. ब्लेकटस्की से भेंट हुयी। ब्लेकटस्की की पुस्तक द सीक्रेट डाक्ट्रीन ने

उनके मन को झकझोर दिया और वे थिमोसो फिस्ट बन गई। श्रीमती बीसेंट चाहती थीं कि इण्लैंड और भारत एक दूसरे के निकट आयें और एक दूसरे को समझें। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इंग्लैंड का भाग्य भारत के साथ जुड़ा है। भारत को होमरूल देकर संतुष्ट करना अंग्रेज शासकों के अपने हित मे होगा। श्रीमति बीसेंट का कहना है कि होमरूल भारत का अधिकार है। वह इंग्लैंड के प्रति भारत वर्ष की राजभक्ति का पुरूस्कार नहीं है। उन्होने कहा था, भारत ने अपने पुत्रों और पुत्रियों के रक्त को इसलिये नहीं बहाया है कि इसके बदले में उसे स्वतंत्रता मिले, अधिकार मिले। यह सौदेबाजी नहीं है। भारत एक राष्ट्र की सियासत में साम्राज्य की जनता के बीच न्याय पाने के अधिकार का दावा करता है।

मैडम मिरवई जी रूस्तम कामा- भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सभी स्त्री, पुरूषों ने योगदान दिया है। पारसी जाति भारत की एक अल्पसंख्यक जाति है और उसके भी अनेक सदस्य स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी रहे हैं। ऐसी ही एक स्वतंत्रता सैनानी है मैडम मिरवई जी रूस्तम कामा स्वतंत्रता संग्राम के आरंभिक दौर में मैडम कामा ने विदेशों मे 35 वर्ष तक क्रांति की दीपशिखा को प्रज्जवलित रखा। मिरवई जी कामा पारसी जाति की थी। विदेशों में रहने के बावजूद अपने धर्म के प्रति आस्थावान बनीं रहीं। जमशेद जी दादा भाई मोरारजी, दिन शा वांछा, फिरोज शाह, मेहता, फिरोज गांधी, मैडम कामा बहुत से नेता पारसी हुये हैं। भारत में महिला क्रांति कारियों में मैडम कामा का नाम सबसे उपर है।

मिरवई जी कामा के मन में अंग्रेजी साम्राज्यवाद के प्रति घृणा की भावना थी। मिरवई जी समझने लगीं थी। कि भारतीय स्वतंत्रता का प्रश्न सारे संसार के साम्राज्य विरोधी संघर्षो से जुड़ा है। मिरवई जी ने स्थाई रूप से लंदन में बसने का निर्णय लिया उन्होंने जर्मनी, स्काट लैंड और फ्रांस की यात्राएं की।

कस्तूरबा गांधी - अगर हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो हमारे मस्तिष्क में अनेकों महिलाओं का नाम प्रतिबिंबित होता है पर वो महिला जिनका नाम ही स्वतंत्रता का पर्याय बन गया है वो हैं 'कस्तूरबा गाँधी'। 'बा' के नाम से विख्यात कस्तूरबा गाँधी राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की धर्मपत्नी थीं और भारत के स्वाधीनता आन्दोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। निरक्षर होने के बावजूद कस्तूरबा के अन्दर अच्छे-बुरे को

पहचानने का विवेक था। निरक्षर होने के बावजूद कस्तूरबा के अन्दर अच्छे–बुरे को पहचानने का विवेक था। उन्होंने ताउम्र बुराई का डटकर सामना किया और कई मौकों पर तो गांधीजी को चेतावनी देने से भी नहीं चूकीं। बकौल महात्मा गाँधी, "जो लोग मेरे और बा के निकट संपर्क में आए हैं, उनमें अधिक संख्या तो ऐसे लोगों की है, जो मेरी अपेक्षा बा पर कई गुना अधिक श्रद्धा रखते हैं।" उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन अपने पति और देश के लिए व्यतीत कर दिया। इस प्रकार देश की आजादी और सामाजिक उत्थान में कस्तूरबा गाँधी ने बहुमूल्य योगदान दिया।

सरोजनी नायडू - सरोजनी नायडू की भारतीय शिखर पुरूष गोपाल कृष्ण गोखले से पहली भेंट 1902 में हुयी थी। गोखले ने उनका ध्यान सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों की और खींचा । गोखले की प्रेरणा से सरोजिनी देश के विभिन्न भागों का दौरा करने और सामाजिक राजनीतिक महत्व के विषयों पर व्याख्यान देने का क्रम आरंभ किया। सरोजिनी नायडू ने अपने भाषण में पुरूष भाइयों को याद दिलाया कि राष्ट्र की वास्तविक निर्माता महिलायें होती है, पुरूष नहीं। भारत की अद्योगपति का एक बड़ा कारण यह है कि भारत में महिलाओं का शिक्षा से वंचित कर दिया। 1988 में सरोजिनी नायडू को उनकी सार्वजनिक सेवाओं के लिये केसरे हिंद पदक प्राप्त हुआ। इंग्लैंड के एक पत्र यार्कशायर पोस्ट ने बर्ड ऑफ टाइम के बारे में लिखा था, श्रीमति नायडू ने न केवल हमारी भाषा को समृद्ध किया है। अपितु पूर्व के चमत्कार, रहस्यवाद, भावनाओं और आत्मा के साथ निकट संपर्क बढ़ाने में हमें समर्थ भी किया है। 6 अगस्त 1914 को लंदन में सराजिनी नायडू की महात्मा गांधी से पहली बार भेंट हुयी। इस समय सरोजिनी नायडू की उम्र 35 वर्ष की थी, वे भारतीय राजनीति में अच्छी तरह से प्रतिष्ठित थी। 1915 में उन्होंने बम्बई में कांग्रेस के अधिवेशन में अपनी जागो कविता सुनाकर तहलका मचा दिया। सरोजिनी नायडू 1920 में भारत वापस लौटी आगे के दो वर्ष तक वे असहयोग आंदोलन में जुटी रहीं।

राजकुमारी अमृता कौर - राजकुमारी अमृता कौर सार्वजनिक जीवन में समर्पित थी। 1930 में वे अखिल भारतीय महिला संम्मेलन (ऑलइंडिया बूमेंस काफ्रेंस) की सचिव बनी। 1931 से 1933 तक वे महिला संघ की अध्यक्ष थी। 1938 में वे अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष निर्वाचित हुर्यी। उन्हें शिक्षा सलाहकार बोर्ड का सदस्य मनोनित किया गया।

इस पद को सुशोभित करने वाली वे पहली भारतीय महिला बनी। 1945 में उन्होंने लंदन में यूनेस्कों के संम्मेलन में भाग लिया। भारत के स्वतंत्र होने पर राजकुमारी अमृता कौर को देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनने का सम्मान प्राप्त हुआ, वे 1947 से 1957 तक केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रहीं। भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री के रूप में राजकुमारी अमृता कौर का सबसे उल्लेखनीय कार्य था।

ऑल इंडिया इन्सीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) की स्थापना की। इस संस्थान की स्थापना के लिये उन्होनें आस्ट्रेलिया, अमरीका, स्वीडन तथा पश्चिमी जर्मनी से आर्थिक एवं राजनैतिक सहायता प्राप्त की। अमृता कौर ने आजीवन कांग्रेस के कार्य कलापों में भाग लिया था। उन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। राजकुमारी अमृता कौर का अंग्रेंजी भाषा पर असाधारण अधिकार था। राजकुमारी की व्यापक मानवीयता बहुत कम लोगों को ज्ञात है।

विजय लक्ष्मी पंडित- विजया लक्ष्मी पंडित मोती लाल नेहरू की पुत्री और जवाहर लाल नेहरू की बहिन थी। इस नाते नेहरू खानदान का रिश्ता उन के नाम के साथ जुड़ा था। नेहरू परिवार के अन्य सदस्यों की तरह स्वतंत्रता आंदोलन में तो भाग लिया ही आजादी के बाद भी उन्होने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। 26 जनवरी 1932 को उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्हें एक वर्ष का कठोर कारावास का दंड मिला। कुछ दिनों तक इलाहाबाद जेल में रखा गया। फिर लखनऊ जेल में भेज दिया गया जेल से छूटने के बाद विजय लक्ष्मी ने इलाहाबद की म्युनिसपल राजनीति में भाग लिया वहां वे शिक्षा समिति की अध्यक्ष चुनी गई। 1944 में विजय लक्ष्मी पंडित अमरीका गई। उन्होने भारत की राजनीतिक स्थिति के संबंध में अनेक भाषण दिये। अमरीकियों को भारत के बारे में बहुत कम जानकारी थी। 19 जनवरी 1946 में आम निर्वाचन हुये। विजय लक्ष्मी पंडित उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये निर्वाचित हो गई। वे मंत्रिमंडल में शामिल की गई। श्रीमती पंडित को रूस में भारत का पहला राजदूत बनाकर भेजा गया। श्रीमति पंडित लखनऊ शहर से लोकसभा के लिये खड़ी हुयी और भारी बहुमत से जीती। 1952 के अंत में भारत सरकार ने 36 सदस्यों का एक शिखर मंडल चीन भेजा गया। श्रीमति विजय लक्ष्मी को इस शिखर मंडल का नेता चुना गया।

सुचेता कृपलानी - सुचेता कृपलानी एक विदुभाषी महिला थी। उनको

व्याख्यान में आंकड़ों तथा तर्कों का बाहुल्य रहता था। वे पूरी तैयारी के साथ भाषण देती थी। उन्होनें अनेक देशों की यात्रायें की कुछ के बारे में तो अपने संस्मरण में लिखा था।

1947 में सुचेता कृपलानी कांग्रेस कार्य समिति की सदस्य बनीं। इस पद पर वे कई वर्षों तक रहीं। 1959 में वे कांग्रेस की महासचिव बनीं। 1962 में वे उ.प्र. मंत्रिमंडल में मंत्री नियुक्त हुयीं और उन्होनें श्रम विभाग संभाला। 1963 में वे उ.प्र. जैसे सबसे महत्वपूर्ण की मुख्यमंत्री बनी। यह उनकी सार्वजनिक सेवा तथा उनके व्यक्तित्व के प्रति श्रध्दांजलि थी। सुचेता 3 वर्षों तक उ.प्र. की मुख्यमंत्री रहीं। कांग्रेस की दलबंदी के कारण 1966 में उन्होने उ.प्र. के मुख्यमंत्री का पद त्याग दिया।

1962 में चीन ने तिब्बत पर हमला किया था लाखों तिब्बती शरणार्थी भारत में आ गये थे। सुचेता ने उनके पुर्नवास के लिये कार्य किया। सुचेता ने एशिया और यूरोप के अनेक देशों तथा अमरीका की कई बार यात्रायें की। 1952 में शांति संम्मेलन में भाग लेने जर्मनी भी गई थी। 1962 में उन्होनें शिखर संम्मेलन में भाग लिया। सुचेता का संपूर्ण जीवन कर्ममय था। उन्होनें कभी भी हिम्मत नही हारी थी। उन्हें अपने जीवन से संतोष था। उन्होनें लिखा था जब मैं अपने लंबे जीवन पर दृष्टिपात करती हूँ, तो मुझे लगता है कि वह रोचक और कुल मिलाकर संतोष जनक था।

इंदिरा गांधी - पंडित जवाहर लाल नेहरु की पुत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी का जन्म 19 नवम्बर 1917 को एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उन्होंने इकोले नौवेल्ले, बेक्स (स्विट्जरलैंड), इकोले इंटरनेशनेल, जिनेवा, पूना और बंबई में स्थित प्यूपिल्स ओन स्कूल, बैडमिंटन स्कूल, ब्रिस्टल, विश्व भारती, शांति निकेतन और समरविले कॉलेज, ऑक्सफोर्ड जैसे प्रमुख संस्थानों से शिक्षा प्राप्त की। उन्हें विश्व भर के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। प्रभावशाली शैक्षिक पृष्ठभूमि के कारण उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा विशेष योग्यता प्रमाण दिया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी शुरू से ही स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहीं। बचपन में उन्होंने 'बाल चरखा संघ' की स्थापना की और असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टो की सहायता के लिए 1930 में बच्चों के सहयोग से 'वानर सेना' का निर्माण किया। सितम्बर 1942 में उन्हें जेल में डाल दिया गया। 1947 में इन्होंने गाँधी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली के दंगा

प्रभावित क्षेत्रों में कार्य किया। 1947 में जवाहर लाल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी नई दिल्ली अपने पिता के साथ रहने लगी। उन्होनें जवाहर लाल नेहरू के साथ संसार के विभिन्न देशों की यात्रायें की अन्तराष्ट्रीय सभा, सम्मेलनों में भाग लिया। 1955 में इंदिरा कांग्रेस कार्य समीति की सदस्य बनाई गई। 1958 में वे कांग्रेस के संसदीय बोर्ड की सदस्य बनी और 1959 में कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित हुयीं। जवाहर लाल की मृत्यु के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधान मंत्री बने उन्होने इंदिरा गांधी को अपने मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी ने प्रधान मंत्री पद की बागडोर संभाली 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गाधी ने प्रधान मंत्री पद की शपथ ली।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. भारतीय इतिहास में नारी – डॉ. एस.एल खरे
2. मध्यप्रदेश में आजादी की लड़ाई में आदिवासी – सुधीर सक्सेना
3. स्वतंत्रता संग्राम और महिलायें – विश्व प्रसाद गुप्त, मेहिनी गुप्त
4. आजादी के पचास साल – विश्व प्रसाद गुप्त, मोहिनी गुप्त
5- https://www.pmindia.gov.in

भारतीय महिलाओं के शोषण की उत्थानकारी बुन्देली चितेरी: कामिनी बघेल

• राज कुमार सिंह

भारतीय समाज मे नारी जो वैदिक काल मे ब्रह्मवादिनी थी, वेद स्तोत्र की रचना करती थी और उत्तर वैदिक काल में भी शास्त्रार्थ करती थी। वहीं मध्यकालीन भारतीय नारी की साक्षरता का दर्जा किस स्तर तक नीचे आया इसकी एक झलक तत्कालीन समाज की शैक्षणिक स्थिति के अध्ययन मे देखा जा सकता है। इस प्रकार शिक्षा से वंचित होने पर सामान्य भारतीय नारी को सामाजिक, राजनीतिक भूमिकाओं का तो कोई प्रश्न ही नही उठता था। उसकी भूमिका केवल गृह-कार्यों तक सीमित हो गई। बच्चों का प्रसव और पालन पोषण तो प्रकृति से ही स्त्रीत्व से सबद्ध है। गृह कार्यों का निर्वाह उसके जिम्मे सामाजिक व्यवस्था की प्रतिफल है। लेकिन मध्यकाल से लेकर अभी तक स्त्रियों की यही भूमिका रही। वे चाहें खेतों मे काम करें या कारखानों में अथवा नौकरिया में आज भी उनकी यह भूमिका गौण ही है, माँ के रूप में और गृहणियों के रूप में उनका कार्य प्राथमिक और अनिवार्य है। अशिक्षा, बाल विवाह आदि दुखद सामाजिक स्थितियों और परिवार में आर्थिक अधिकारहीन, महत्वहीन भूमिका के कारण नारी का सम्बल क्षीण हुआ है।

केवल मध्य वर्ग ही सामाजिक आचार विचार का वाहक बन अपने समय के समाज को स्थिरता व व्यवस्था प्रदान करता है। सामाजिक स्थितियों में गहरे परिवर्तन होने का कारण मध्यम वर्ग की बदली हुई विचारधारा है, जो विशेष रूप से धार्मिक प्रथाएं, स्थानिक सामाजिक परपराएं, विदेशी आक्रमण, जातीय व सामुदायिक रीति रिवाज, अशिक्षा अंधविश्वास और कुरीतियां, वर्ण, जाति और वर्ग संघर्ष, अकाल, आर्थिक या व्यवसायिक स्थितियों और औद्योगीकरण के प्रभाव से निर्मित हैं। आज के समय में सामाजिक विघटन द्वारा नारी शोषण को

• असिस्टेंट प्रोफेसर, इंस्टिट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर

प्रभावित करने वाली मुख्य स्तिथियों में एक है, औद्योगीकरण।

पश्चिमी संस्कृति में नारी का पत्नी और प्रेयसी रूप प्रधान है, भारतीय संस्कृति में माँ का स्थान सर्वोपरि है, यही वह पुरुष से स्थान में ऊँची है। हमारे आचार्य जब जीवन व्यवहार की शिक्षा देते थे, तब यही कहते थे, 'मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचाय देवो भव।' इसमें माता का स्थान गुरु और पिता से पहले है। जगदगुरु शंकराचार्य ने भी कहा था, जगनमाता जगत गुरु। यह जगनमाता का स्थान न केवल परिवार और समाज मे माँ के ऊँचे स्थान का परिचायक है, उसे देवत्व तक उठाकर आदि शक्ति का रूप भी दिया गया है। संसार मे शक्ति के बिना न तो किसी लौकिक कार्य में सफलता मिलती है न किसी साधना में सिद्धि।

कामिनी बघेल के जीवन मूल्यों में भी प्रेम, संवेदना, उत्साह, करूणा, स्त्री का अल्हड़पन, समाज की त्रासदी सभी कुछ समाहित है। उनके केन्द्र में भारतीय स्त्री का जीवन रहा है। आधुनिक जीवन में विचरण करती सहज स्त्री को आप की तूलिका अपना आधार रूप बनाती है। जो अपनी संस्कृति, समाज, अपनी माटी की खुशबू से स्तब्द्ध है। एक परिपक्व सचेत स्त्री होने के कारण आप कला और निजी जीवन में सभी आवश्यक वर्जनाएं स्वयं निर्धारित करती है। आप के चित्रों की अपनी एक विशेष पहचान है जिनमें स्त्री के सरोकार जुड़ते है और स्त्री जीवन के इर्द-गिर्द घूमते है। आप का कहना है, मेरी सदैव यह कोशिश रही कि नारी क्या है, उसकी मर्यादा क्या है, समस्या क्या है, उसे मैं समझूँ और रंगों के माध्यम से नारी के विभिन्न पहलुओं को चित्रतल पर जीवन्त करने का प्रयास करूँ।

आधुनिक संदर्भ आपके चित्रों में देखे जा सकते है। जीवन संघर्ष, आकांक्षा, उड़ान आदि चित्र स्त्री के सपनों व आकांक्षाओं को बयां करते है। वहीं शराब और बरबादी, असहाय वृद्धावस्था, अग्निपरीक्षा, भारतीय नारी, टूटते सपने जैसे चित्र जो पितृसतात्मक समाज में नारी की स्थिति की व्याख्या करते है।

कामिनी बघेल नारी के संघर्ष में जीवन त्याग, बलिदान व व्यथाओं का चित्रण चित्रकला के द्वारा कर आप नारी मुक्ति का आहवान कर रही है। इनके चित्र देखने से नारी के संघर्षमय जीवन का स्पष्ट स्वरूप आंखों के सामने झूमने लगता है। नारी की अग्निपरीक्षा का चित्र आज के मशीनरी युग में मानव को झकझोरता है। देवी सीता की अग्निपरीक्षा का

केन्द्र बिन्दु व भारतीय प्राचीन समाज में नारी सती की झलक इनके चित्र में देखने को मिलती है।

1964 में एक मध्यवर्गीय परिवार में जन्मी कामिनी बघेल के गृह नगर झांसी, जहाँ महिलाओं पर काफी पाबंदियां है। जो सामाजिक, आर्थिक व संरचनात्मक तौर पर मर्यादा के रूप में नारियों के लिए प्रचलित है । बाल्यवस्था से आपका खिंचाव चित्रकारी की ओर था, उसका परिणाम है की आप चित्रकारी दुनिया में अपने कदम बढ़ाती जा रही है। जिसमें इनके पिता चंद्रकिशोर व माता मीरा का विशेष योगदान रहा है। यह सत्य है कि चित्रकार अपने वातावरण और परिवेश में जिस किसी विषय की खोज करता है, चित्र उसका ही प्रतिविम्व होता है। प्रतीक तो एक सर्वमान्य संकेत होते हैं। चित्र में प्रतीकों के माध्यम से उसकी विषयवस्तु को ग्रहण करना प्रायः सरल होता है। इन अर्थों में देखा जाए तो उदीयमान चित्रकार कामिनी बघेल की आकृतियों को किसी भाषा या शीर्षक का सम्बल नहीं चाहिए। उनके चित्र स्वयं बोलते प्रतीत होते है।

महिलाओं के लिए इस संस्कृति में कुछ कुरितियाँ भी विद्यमान है जैसे पर्दा प्रथा, कामिनी जी ने 1981 में शादी के पश्चात् सदैव इस पर्दा प्रथा को निर्वहन किया है। मैं इसे समाज के द्वारा एक प्रकार से महिलाओं की आजादी पर एक प्रश्न चिन्ह मानती हूँ। बुन्देलखण्ड के क्षेत्र में पेयजल का अभाव वहां की प्रमुख समस्या है। यहाँ की महिलाओं को दूर-दूर तक पैदल जाकर पेयजल का इन्तजाम करना पड़ता है, जिसके कारण महिलाओं को मानसिक एवं शारीरिक कष्ट सहने पड़ते हैं और उनकी दिनचर्या दुष्कर हो जाती है। साथ ही शराब, नशा आदि की कुरितियों ने भी बुन्देलखण्डी समाज को गिरफ्त में ले लिया है। जिससे यहाँ पर और अधिक कठिन परिस्थितियों उत्पन्न हो गई है। इन परिस्थितियों का सीधा प्रभाव महिलाओं के जीवन पर देखने को मिलता है। इन परिस्थितियों के सुधार हेतु ही कामिनी जी की कला है।

देश विदेश में अनेक एकल व समूह प्रदर्शनियों से कला प्रेमियों के दिलों में पैठ बना चुकी कामिनी की कला सतही स्तर पर देखने में साधारण नजर आती है, लेकिन जैसे-जैसे हम उसके दर्शन में गहरे होते चले जाते हैं, हमारे सामने नए अर्थों की परत खुलती जाती है। उनके बनाए गए चित्र साधारण नारी के जीवन की छोटी-छोटी संवेदनाओं को सामने लाते है ।

कामिनी ने अपने चित्रों को बड़ी ही कुशलता से तैल्य व एक्रेलिक रंगों में काम करते हुए खूबसूरती से आकारों को अमूर्तन में रचती है और एक तरह की रहस्यात्मकता के प्रभाव की चेष्ठा करती है, जो उनके कलात्मक कौशल का प्रमाण है। झांसी की कामिनी बघेल स्त्री सरोकारों की संवेदनशीलता तथा स्त्री के भावों का गरिमामय चित्रांकन करने वाली चितेरी है।

कामिनी ने स्त्री के विभिन्न रूपों व भावों का चित्रण किया है। भूरे, काले रंगों से कामिनी ने चित्तवृत्ति देने की कोशिश की है। विषय-वस्तु की दृष्टि से नारी की परम्परागत छवि और बुन्देलखण्ड की कला अपनी कला विशेषताओं के लिए विश्व प्रसद्धि है। इस कला में बिहार की लोककला की भांति महिन व बारीक रेखांकन का प्रयोग किया गया है। यहाँ की महिलाओं को परिश्रमी व संस्कृती का पोषक दर्शाया गया है। पूँजीवादिता से दूर व आदर्शों से ओत प्रोत यहाँ की संस्कृति में रूपकों के अनेक प्रभाव होते हैं और इन्हीं प्रभावों को अपनी कला में प्रयोग करके हम इन रूपाकारों से अपनी कला सार्थकता प्रदान कर सकते है। इनमें से कुछ प्रतीक सार्वजनिक है ये वो प्रतीक है। जिनका अर्थ सभी के लिए समान होता है और कुछ ऐसे रूपों का सृजन भी होता है जिनका प्रतीकात्मक अर्थ केवल कुछ विशेष वर्गीय लोग या कुछ विशेष मनुष्य ही समझ पाते है। अक्सर धार्मिक प्रतीक सार्वजनिक रूपों का प्रतिनिधित्व करते है और निजी रूपों में आधुनिक कला के अमूर्तन प्रतीकों को रखा जा सकता है। कामिनी जी ने सदैव सार्वजनिक प्रतीकों का प्रयोग ही कला में किया है। इनके सार्वजनिक प्रतीकों की प्रेरणा इनके क्षेत्र की चितेरी कला से रही है। साथ ही महिलाओं को भी इन्होंने एक निजी प्रतीक की तरह अपनी कला में प्रयोग किया है।

ग्रामीण वेशभूषा में मासूमियत लिए महिलाएं अपनी वेदना को स्वयं ही प्रदर्शित करने में सक्षम है। जल जीवन का प्रतीक है और जल भरने को जाती हुई महिलाएं इस बात का प्रतीक है कि वो एक प्रकार से अपने जीवन में जीवंतता को लाने का प्रयास कर रही है। 'शराब और बर्बादी' नामक चित्र में भी रोटी, शराब की बोतल व खाली पड़े वर्तनों का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप से कामिनी जी ने किया है। इनके रूपाकार आमजन को आसानी से समझ में आनेवाले हैं और सर्वसाधारण में से ही चयनित किए गए है।

कामिनी जी ने सदैव भारतीय नारी का पारंपरिक वेशभूषा में चित्रण किया है। ग्रामीण परिवेश में चेहरे पर भोलापन लिए हुए नारीयों का चित्रण इनकी कला में प्रमुख रूप से दृष्टायमान होता है । नारीरूप को साधारण ढंग से व संस्कृति से ओतप्रोत दर्शाने हेतु इन्होंने ग्रामीण नारी रूपों का चयन अपनी कला हेतु किया है। कही साड़ी पहने, कहीं घाघरा चोली पहने तो कही कहीं अन्य पारम्परिक पहनावे में नारी को दर्शाया है। खेत में कुदाल चलाते हुए, पानी लेने जाती हुई, झूला झुलाती हुई, शोषण सहते हुए व सपने बुनते हुए, हरेक पहलु में नारी का चित्रण कामिनी जी ने प्रमुखता से किया है।

आपकी कला में कोमल वर्णों के साथ कोमल रेखाओं का प्रयोग आपकी कला की आभा को को और विस्तारता प्रदान है। दिखावे से परिपूर्ण रेखाओं का भी प्रयोग न के बराबर देखने को मिलता है। इनके रेखांकन की सबसे बड़ी विशेषता कोमलता ही है । कामिनी जी के चित्रण में कथई और भुरा रंग दुख व वेदना को प्रकट करने का माध्यम है और वहीं इन वर्णों से बनी पृष्ठभूमि पर लाल, पीले व नारंगी रंग से बनी नारी आकृति प्रतीक है कि नारियाँ जिस नारकीय व अन्धकारमय जीवन को सह रहीं हैं मानो वो उससे से बाहर निकलने की चेष्टा में संघर्षरत है। आपकी कला में इन आभामान वर्णों का उपयोग आशावादी दृष्टिकोण दर्शाने हेतु किया गया है। आपकी आकृतियाँ नारी संघर्ष एवं व्यथा को मार्मिकता प्रदान करती प्रतीत होती है। कामिनी जी ने अपनी कला के सौदर्य वर्धन हेतु कभी भी अनावश्यक व बहुत सारे रंग-बिरंगे वर्णों का प्रयोग नहीं किया है।

इनकी माता जी ने सदैव कामिनी जी को कला के लिए प्रोत्साहित किया। परिवार में कला के लिए सकारात्मक वातावरण कामिनी जी को सदैव प्राप्त होता रहा। इन्हें किसी प्रकार की रूढ़िवादी विचारधारा को सहन नहीं करना पड़ा। बाद में शादी के बाद भी इनके पति व ससुराल पक्ष ने भी इन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाने का काम नहीं किया। लेकिन समाज में व्याप्त शराब, जुआ, नशा व नारी के प्रति घरेलू हिंसा व नारी की दयनीय स्थिति ने सदैव कामिनी जी मन को उद्वेलित किया है। इस प्रकार की अव्यवस्थाओं ने कामिनी जी में समाज के प्रति समझ व परिपक्वता का विस्तार हुआ और यही कारण है कि आज कामिनी जी एक जिम्मेदार नागरिक की तरह समाज की कुरितियों को देखकर उनके प्रति जागरूक

करने का प्रयास अपनी कला द्वारा करती है। उन्होंने सदैव नारी जीवन की समस्याओं को अनुभूत किया व उन्हें चित्रित करने का प्रयास किया है।

कामिनी जी किसी महानगर से सम्बन्ध नहीं रखती है, यह बात आपके लिए एक चुनौती से कम न थी। कामिनी जी ने जब कला सीखना प्रारम्भ किया तब झांसी जैसे शहर की कला पर कलाविदों का इतना ख्याल नहीं था, लेकिन कामिनी जी ने अपना कला संघर्ष सदैव बनाये रखा और अपनी कला से न सिर्फ अपनी पहचान कला जगत में सुनिश्चित की बल्कि अपने क्षेत्र को भी कला जगत में प्रमुखता प्रदान की। आज के दौर में कला भी व्यवसायिक हो गई है। ऐसे चितेरे बहुत कम ही दिखाई देते है, जो कला को समाज कल्याण की भावना से करने, कामिनी जी की कला ने कला जगत की इस परिस्थिति का भी समाधान अपनी कला साधना के द्वारा ढूंढ निकालने का प्रयास किया है। आपके अनुसार लेखक हो या कलाकार, उसे एक जिम्मेदार नागरिक व समाज के प्रति सजग भी होना चाहिए।

कामिनी जी को कला साधना में अक्सर आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने बताया कि उन्हें अक्सर अपनी जरूरत की चीजों को भी त्याग कर कला हेतु धन जुटाना पड़ता था। अल्पायु में ही शादी हो जाने के कारण उन्होंने जब शादी के पश्चात् विधिवत कला शिक्षण ग्रहण करने का मन बनाया तब परिवार के दायित्वों को भी यो अनदेखा नहीं कर सकती थी और उन्होंने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए भी अपना कला सिखना आरम्भ रखा। कामिनी जी मानती है कि उनके लिए उनकी कला समाज से संवाद का माध्यम है। समाज कल्याण व समाज से कुरितियों के नाश हेतु कला ही उनका प्रमुख हथियार है और कामिनी जी के लिए उनकी कला ही उनकी पहचान का माध्यम है। कामिनी जी स्वीकार करती है कि कला ही उनके जीवन का अभिन्न व नितांत आवश्यक अंग है। कामिनी जो अपनी कला व अपनी कला शैली को अपने विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम स्वीकार करती है और इस प्रकार से उनका मानना है कि वो अपनी कला में स्वयं को प्रकट करती है। मनुष्य की पहचान उसके विचारों व कर्मों से होती है और कामिनी जी के विचार व कर्म उनकी कला में स्पष्टता से –ष्टिगत होते है। अत: यह कहना

अतिश्योक्ति न होगी की कि कामिनी जी के लिए उनकी कला ही उनकी पहचान है। नारी के संघर्षमय जीवन, त्याग बलिदान व व्यथाओं का चित्रण कर नारी मुक्ति की प्रेरणा कामिनी बघेल जी अपने चित्रों के माध्यम से करती आई है। इनके चित्रों में नारी के संघर्षमय जीवन का स्पष्ट स्वरूप आंखों के सामने स्पष्ट हो जाता है। इसी प्रकार नारी की सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, स्थिति को ग्रामीण परिवेश के साथ प्रदर्शित करने की कोशिश जारी है। कामिनी जी ने सदैव अपनी कला के माध्यम से नारी जाति के कल्याण की कामना की है।

कामिनी बघेल जी ने झांसी की ही नहीं अपितु प्रदेश, देश व दुनिया के कोने-कोने में जहाँ-जहाँ गयी अपनी अमिट छाप छोड़ के आई है। आकृति मूलक कला उन्हें देश-विदेश में दखल लायक बना देती है। कामिनी जी ने स्वयं अपनी कला को नारी की कला, नारी को समर्पित, कहकर परिचय दिया है, अपनी कला का इन्होंने झांसी, ग्वालियर, इलाहाबाद की प्रतिष्ठित कला विधिकाओं में 'नारी एक जीवन' नामक नारी पर केन्द्रित एकल चित्र प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया है। जिसमें इन्होंने नारी उन्मुलन व नारी जीवन को सशक्त व सुदृढ़ बनाने हेतु प्रयास प्रमुखता से किये है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. व्होरा आशारानी, नारी शोषण आईने और आयाम, नेशनल पब्लिशिंग हाउस ,नई दिल्ली ,1982
2. स्वंय सर्वेक्षण के आधार पर 20/09/2021
3. स्वदेश, झांसी, 3 मार्च, 2000
4. अमर उजाला, इलाहाबाद न्यूज ,09 दिसम्बर 2003
5. यूनिटेड भारत, इलाहाबाद न्यूज ,09 दिसम्बर 2003
6. जागरण, झांसी, दिनांक 21 फरवरी, 2003
7. जनसेवा मेल, झांसी, 9 फरवरी 2016

- सम्पादक परिचय -

डॉ. अखिलेश शुक्ल एक ऐसे युवा समाज वैज्ञानिक हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा उत्कृष्ट लेखन के लिये सात बार प्रतिष्ठित "पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त अवार्ड" तथा सन् 2006 में भारत सरकार द्वारा "भारतेन्दु हरिश्चन्द्र अवार्ड" से सम्मानित किया गया है। डॉ. शुक्ल प्रारम्भ से ही एक मेधावी अध्येता रहे हैं। जिन्होंने "जुविनाइल डिलिनक्वेंसी" जैसे गूढ़ विषय पर शोध कार्य पूर्ण करके अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा से डॉक्टर आफ फिलासफी की उपाधि 1994 में अर्जित की। 1997-98 में उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी, भारत सरकार द्वारा "गोल्डन जुबली रिसर्च फेलोशिप" स्वीकृत की गई थी। डॉ. अखिलेश को "प्रो. रमाकुमार सिंह मेमोरियल गोल्ड मेडल" (1990) से सम्मानित किया गया है। डॉ. शुक्ल की अभी तक 40 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। प्रो. अखिलेश के 300 से अधिक शोध पत्र अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय रिसर्च जरनल्स में प्रकाशित हो चुके हैं और अनेक शोध पत्र प्रकाशनाधीन हैं। डॉ. अखिलेश इस समय शासकीय टी.आर.एस. आटोनामस कालेज (एक्सीलेन्स सेन्टर) रीवा में कार्यरत हैं। इनके निर्देशन में अनेक शोधार्थी समाजशास्त्र, अपराधशास्त्र एवं समाज कार्य के क्षेत्र में शोध कार्य कर रहे हैं। डॉ. अखिलेश रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइन्सेज (ISSN 0973-3914) तथा रिसर्च जरनल ऑफ आर्ट्स, मैनेजमेन्ट एण्ड सोशल साइन्सेज (ISSN 0975-4083) के ऑनरेरी एडिटर का कार्य भी सम्पादित कर रहे हैं।

978-81-87364-84-9

गायत्री पब्लिकेशन्स
रीवा (म.प्र.) भारत
Mobile : 07974781746
E-mail : gayatripublicationsrewa@gmail.com
www.researchjournal.in